वर्ष : 7, अंक : 27-28 (संयुक्तांक)

जुलाई-दिसम्बर 2023

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

विशेषांक

भारतीय भाषा दिवस

11 दिसम्बर 2023

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

निजभाषोन्नतौ राष्ट्रोन्नतिः

विशेष : तेलुगु भाषा का संक्षिप्त परिचय

हिन्दुस्तानी भाषा भारती (त्रैमासिक पत्रिका) के प्रकाशित अंक

क्षेत्रीय भाषा, साहित्य, संस्कृति और लोक कलाओं पर केंद्रित विशेषांक

वर्ष : 7, अंक : 27-28 (संयुक्तांक)

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

मूल्य : 30 रुपये

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

सम्पादक
सुधाकर बाबू पाठक

प्रबन्ध सम्पादक : **विजय कुमार शर्मा**
परामर्श सम्पादक : **सुरेखा शर्मा**
संयुक्त सम्पादक : **राजकुमार श्रेष्ठ**
सह सम्पादक : **सागर समीप**
उप सम्पादक : **सरोज शर्मा**
: **सुषमा भण्डारी**
: **डॉ. सोनिया अरोड़ा**
: **शशि प्रकाश पाठक**
सम्पादकीय सलाहकार : **डॉ. वनीता शर्मा**
: **गरिमा संजय**
: **विनोद पाराशर**
वित्तीय सलाहकार : **राम सिंह मेहता**

कार्यालय :
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034
ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com
सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं। प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा।

सम्पादन एवं संचालन पूर्णतः अवैतनिक और अव्यावसायिक है।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित।

विषय सूची

सम्पादकीय :
भारतीय भाषा दिवस : भाषाई सौहार्द के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण का उत्सव 04

रिपोर्ट : 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर 'सांस्कृतिक समारोह' का आयोजन 06

साक्षात्कार : डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा, भूतपूर्व प्रथम सचिव, भारतीय उच्चायोग, फीजी, लेखक, अनुवादक एवं भाषा वैज्ञानिक 08

चमत्कार लोक भाषाओं का :
तेलुगु भाषा का संक्षिप्त परिचय -डॉ. गुर्रमकोंडा नीरजा 13

हिन्दी भाषा को उसके अपने ही घर में तोड़ने का प्रयास -प्रो. महावीर सरन जैन 16

राजभाषा से राष्ट्रभाषा की यात्रा -विजय प्रभाकर नगरकर 21

विलुप्त होती भाषाएँ -दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश' 24

विदेशों में हिन्दी की संभावनाएँ और भविष्य -डॉ. मोतीलाल गुप्ता 25

मलयालम भाषा के महाकवि गोविंद शंकर कुरुप -गौरी शंकर वेश्य 'विनम्र' 29

युवा मत :
कया सचमुच हिन्दी बढ़ रही है? -सुनील कालाकोटी 31

समाज में हिन्दी के प्रति उदासीनता -डॉ. दीनदयाल साहू 32

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता -माणक तुलसीराम गौड़ 34

रिपोर्ट :
'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान समारोह-2023' सम्पन्न 36

हिन्दी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा से जोड़ने पर बढ़ेगी हिन्दी की स्वीकार्यता -संजय चौधरी 39

हिन्दी : इतिहास और वर्तमान -अनिकेत सिन्हा 41

हिन्दी कैसे बने विश्व-भाषा -डॉ. वेद प्रताप वैदिक 43

हिन्दी का बढ़ता वैश्विक दायरा -डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय 46

रिपोर्ट :
'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के सभागार में गूंजे 'आजादी के तराने' 47

भूटान में 16-22 सितम्बर 2023 तक आयोजित '10वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन' 48

आगामी आयोजन :
'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा उत्सव के अन्तर्गत 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' 50

सम्पादकीय

भारतीय भाषा दिवस : भाषाई सौहार्द के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण का उत्सव

सुधाकर पाठक
सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

मनोविज्ञान का सिद्धान्त यह कहता है कि यदि आपको किसी के हृदय में अपनी जगह बनानी हो अथवा किसी व्यक्ति को गहराई से जानना-समझना हो, तो उसकी मातृभाषा में बात करिए । प्रत्येक मनुष्य अपनी मातृभाषा से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है । यह भावनात्मक जुड़ाव मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी गहरी पैठ बना चुका होता है, कि मनुष्य अपनी भाषा से पृथक रहकर किसी अन्य भाषा में नवीन कल्पना कर ही नहीं सकता । यदि कोई मनुष्य अपनी भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में संवाद स्थापित कर रहा है, तो उसमें उसकी मौलिकता नहीं है, अपितु वह उसके मस्तिष्क द्वारा किया गया अनुवाद मात्र है । यह अनुवाद इतनी तीव्र गति से होता है कि बोलने वाले को भी स्वयं महसूस नहीं होता । विज्ञान भी यह मानता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जिस भाषा में चीजें, वस्तुएँ, विचार, चिंतन, रंग, चित्र, ध्वनि, स्वाद, सुगन्ध, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, स्वप्न आदि कोडिंग होता है वो उसकी मातृभाषा में होता है । आप विश्व की अनेक भाषाओं में बोलिए, किन्तु जो सहजता आपको अपनी भाषा में मिलती है वह अन्य भाषा में नहीं मिल सकती । किसी भी व्यक्ति की भाषा की मौलिकता केवल उसकी मातृभाषा में ही झलकती है । यही कारण है कि मनुष्य अपनी भाषा के प्रति अति संवेदनशील होता है । जहाँ कहीं भी उसकी भाषाई अस्मिता की बात आती है तो वह उद्वेलित होता है । यह भाषाई अस्मिता ही क्षेत्रवाद का रूप लेती है । क्षेत्रवाद की भावना शक्ति का एक रूप है, किन्तु जब हावी होती है तो यह राष्ट्रवाद की भावना को बहुत तेजी से खोखला करना शुरू कर देती है । यहीं से एक ही राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के बीच वैमनस्य अपनी जगह बना लेता है जो आपसी सौहार्द और भाईचारे को दो भिन्न भाषा, संस्कृति, साहित्य और कला के बीच रमने वाले लोगों के बीच पनपने नहीं देती । क्षेत्रवाद की अवधारणा सदैव नकारात्मक ही होती है, ऐसा कतई नहीं है । हरेक क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है? जो कि उसकी अपनी भिन्न भाषा, संस्कृति, साहित्य, परम्परा, वेशभूषा, रहन-सहन, खान-पान, कला, संगीत, आस्था और धार्मिक मान्यता होती है । ये सभी आर्थिक पक्ष, सामाजिक संरचना, धार्मिक मूल्य-मान्यता और सांस्कृतिक सम्पदा ही किसी राज्य की विरासत होती है । राज्य में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र की कला, संस्कृति और भाषा के उत्थान के लिए कर्तव्यनिष्ठ ही होता है । किन्तु हमारा उद्देश्य क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास और एकता को स्थापित करना होना चाहिए । यही एक नागरिक की राष्टवाद की भावना है ।

भारत एक संविधान सम्मत राष्ट्र है । भारतीय संविधान भारत के किसी भी भू-भाग में रहने वाले नागरिक की जाति, धर्म, पन्थ, भाषा, कला और संस्कृति का सम्मान करता है । संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और न्याय व्यवस्था निर्दिष्ट है । भारतीय संविधान 22 भागों में वर्गीकृत है जिसमें 395 मुख्य अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं । संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित है तथा आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है । संविधान में निर्दिष्ट भाषाओं के अतिरिक्त भी भारत में कई भाषाएँ, उपभाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं । यह भाषाई विविधता ही भारत की अप्रतिम सुन्दरता है । कोई भी भाषा कदाचित अकेली नहीं होती, अपितु उसके साथ-साथ उस भाषा में विद्यमान संस्कृति और साहित्य भी प्रवाहित होता है । किसी भी भाषा का अस्तित्व उसके बोलने वाले लोगों के आचरण पर टिका होता है । जब तक समाज में भाषा प्रयुक्त होती रहेगी और उसका अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होता रहेगा तब तक भाषा जिन्दा रहेगी । यदि भाषा का हस्तांतरण रुक जाता है या कम हो जाता है, तो उस भाषा के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। मनुष्य के जीवन में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होती है । भाषा ने मनुष्य के जीवन को बहुत सरल और व्यवस्थित बनाया है । यदि भाषा ही न होती तो मनुष्य आज प्रगति के इतने उत्कर्ष शिखर तक पहुँच ही नहीं पाता । यह भाषा की ही देन है कि उसने मनुष्य के जीवन को इतना सरल बना दिया है, नहीं तो मनुष्य आज इतनी ऊँचाइयों पर कहाँ होता ? इतने आविष्कार, खोज-अनुसंधान, सूचना प्रवाह, संचार संसाधन, उद्योग, व्यवसाय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय आदि का निर्माण कैसे होता ? कैसे रखा जाता वस्तु-विनिमय और क्रय-विक्रय का हिसाब ? कैसे रखा जाता इतिहास के दस्तावेजों को सुरक्षित ? विविध संस्कृति और सभ्यता का प्रचार-प्रसार कैसे होता ? विभिन्न कालखंड के विशाल साहित्य के अस्तित्व का क्या होता ? हमारे विचारों को सक्रिय बनाने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है । भाषा के लिखित और मौखिक रूप के कारण हम अपनी संवेदना, सहानुभूति, आकांक्षा, चिंतन, प्रेम और भाव को दूसरों के हृदय तक संप्रेषित कर पाते हैं । भाषा का अस्तित्व सिर्फ भाव सम्प्रेषण तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज के भूमंडलीकरण, वैज्ञानिक और सूचना क्रांति के समय में राष्ट्रीय अस्मिता से भी है ।

हमारे पास भाषा का बहुत संकुचित दायरा है । असल में हमने भाषा के महत्त्व को समझा ही नहीं है । किसी भी भाषा के विलुप्त होने से उसके स्थान पर उसकी ही कोई परिष्कृत नई भाषा का जन्म नहीं होता, बल्कि उसे विस्थापित करने वाली वर्चस्ववादी भाषा अपना दबदबा बना लेती है । विश्व में कई भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं, कई विलुप्त होने की स्थिति में है । भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की 6000 भाषाओं में से 4000 भाषाएँ विलुप्त होने की स्थिति में हैं जिनमें 10 प्रतिशत भाषाएँ भारत की हैं । यूनेस्को द्वारा तैयार एक सूची के अनुसार भारत की 42 भाषाएँ एवं बोलियाँ इस समय विलुप्त होने की स्थिति में हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 10000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को लुप्तप्राय माना गया है । इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएँ सम्मिलित हैं । यूनेस्को के अनुसार अंडमान में जारवा भाषा बोलने वालों की संख्या 31 है तो ग्रेट अंडमानीज बोलने वालों की संख्या 5 है । मातृभाषा को संस्कृति का जड़ माना जाता है, किन्तु तेजी से हो रहे आर्थिक विकास ने इन क्षेत्रीय भाषाओं को तहस-नहस भी किया है ।

अपनी भाषाओं को बचाने के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही समय बचा है । यदि समय रहते हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो यह बची-खुची भाषाएँ और बोलियाँ भी समाप्त हो जाएँगी । यह सत्य है कि डिजिटल युग में उन्हीं देशों की भाषाएँ बची रहेंगी जो आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से मजबूत हैं । भारत विश्व में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत विशाल है । इसे आधार मानकर हम ज्यादा दिन खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी वास्तविकता कुछ और है । हमारी युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषाओं से विमुख हो रही है और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से अपना काम कर रही है । अधिकांश परिवार में केवल पहली और दूसरी पीढ़ी ही अपनी मातृभाषा में बोलते हैं; तीसरी पीढ़ी तक मातृभाषा का हस्तांतरण नहीं हो रहा है । यदि कहीं हो भी रहा है तो आगे चलकर उसकी गति रुक जाती है । अंग्रेजी को रोजगार का एक मात्र माध्यम बनाने से तथा ज्ञान-विज्ञान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को भारतीय भाषाओं में रूपान्तरित न करने से भारतीय भाषाएँ पिछड़ती चली गईं । हमारा पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक और औद्योगिक वातावरण भी इस तरह से तैयार हो चुका है कि जिसे अंग्रेजी आती है उसे ही विद्वान और प्रतिभाशाली समझा जाता है । भारतीय समाज में अंग्रेजी को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में लिया जाता है । भूमण्डलीकरण के समय में अंग्रेजी अवश्य एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसके महत्त्व को सीधे-सीधे नकारा भी नहीं जा सकता । वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, किन्तु अनिवार्य नहीं है । अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना और अंग्रेजी मानसिकता को ढोना दोनों में बहुत अंतर है । हमें भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए सबसे पहले अंग्रेजी मानसिकता से बचना होगा।

भारत भाषाओं की उर्वर भूमि है । यहाँ 123 आधिकारिक भाषाएँ बोली जाती हैं । इसके अतिरिक्त भी यहाँ 1600 से अधिक उपभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं । प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्थित वर्णमाला, लिपि, व्याकरण और शब्द भण्डार है । प्रत्येक भाषा की अपनी समृद्ध साहित्य परम्परा है । यह भाषिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्पदा ही भारत की वास्तविक पहचान है । सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्राथमिक स्तर से मातृभाषा शिक्षा पर जोर दिया गया है । मातृभाषाओं के प्रचार-प्रसार एवं उन्नयन के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की भी पहल करती है कि देश के छात्रों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत रोचक गतिविधियों एवं परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाए । छात्रों को भारतीय भाषाओं की जानकारी देने, अन्य भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करने और भारतीय भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने पिछले वर्ष 2022 में भारतीय भाषाओं के महत्त्व पर जोर देने के लिए गठित भारतीय भाषा समिति की सिफारिशों के बाद प्रत्येक वर्ष 11 दिसम्बर को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को चिठ्ठी लिखकर निर्देश दिया था कि उत्तर-दक्षिण के सेतु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की जयंती के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा । सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक गीत लिखे थे । चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती जी सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं तमिलनाडु के समाज सुधारक थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा तमिलनाडु और वाराणसी में हुई थी । राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ाने में उनके अतुलनीय योगदान को रेखांकित करते हुए भारत सरकार ने उनकी जयंती को 'भारतीय भाषा दिवस' या 'भारतीय भाषा उत्सव' के रूप में राष्ट्रव्यापी रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी । इसके साथ ही केन्द्र सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 22 भाषा केन्द्र भी स्थापित करेगी । इस दिवस का उद्देश्य भाषा सद्भाव का उत्सव मनाना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है । छात्रों एवं शोधार्थियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर उन्हें भारतीय संस्कृति को बृहत रूप में समझने के लिए नए मार्ग का निर्माण करना है । हम जितनी भाषाएँ सिखेंगे उतना ही हमारा सोचने-समझने का दायरा बढ़ेगा । भाषाएँ हमें जोड़ती हैं, गढ़ती हैं और हमें सहेजती हैं । अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने से हम अपने आप को समृद्ध कर रहे होते हैं । इससे हम अधिक-से-अधिक समुदायों के विचार, कला, रचनात्मकता, इतिहास, साहित्य और संस्कृति को उनकी मौलिकता में समझ रहे होते हैं । मौलिकता मातृभाषा में ही निहित होती है । अनुवाद एक विकल्प अवश्य है, किन्तु अनुवाद का अपना सीमित दायरा है । मूलभाषा में जो भाव संप्रेषित होती है वह शत-प्रतिशत अनुवाद में नहीं उतर सकती । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य मातृभाषा को जब हम सीख रहे होते हैं, तो हम अपने परिवेश से बाहर के करोड़ों हृदय से जुड़ रहे होते हैं । यह जुड़ाव हमारे आपसी सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करता है । इस अर्थ में देखा जाए तो भारतीय भाषा दिवस राष्ट्रीय एकीकरण का उत्सव है । जब हमारे भीतर सभी भाषाओं को साथ लेकर बढ़ने का संकल्प जन्म लेगा, सभी भाषाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा तो इससे बेहतर भाईचारा कुछ नहीं हो सकता ।

भारतीय भाषा उत्सव के इस द्वितीय संस्करण में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप में भव्यता के साथ 'भारतीय भाषा दिवस' का आयोजन कर रही है । इस अवसर पर 'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह' योजना के अंतर्गत 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं में 90 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान', शत-प्रतिशत (100%) अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' एवं उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा । मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की महत्त्वपूर्ण वार्षिक सम्मान योजना है । यह सम्मान योजना दिल्ली प्रदेश के अतिरिक्त गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी पिछले 7 वर्षों से आयोजित होती आ रही है । इस वर्ष सम्मान समारोह में दिल्ली प्रदेश के प्रतिष्ठित 212 विद्यालयों के 6194 मेधावी छात्रों के साथ-साथ 9 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी और उर्दू) के 605 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा । इस सूची में 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । इसी तरह गुरुग्राम, हरियाणा के 56 विद्यालयों के 1816 मेधावी छात्र, जिनमें 75 बच्चों ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उनके साथ 128 शिक्षक भी सम्मिलित होंगे । आइए, इस भारतीय भाषा उत्सव में सहभागी होकर हम सब भारतीय भाषाओं के उन्नयन में अपना अमूल्य योगदान दें । इति शुभम् ।

रिपोर्ट

'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर 'सांस्कृतिक समारोह' का आयोजन सम्पन्न

हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' एवं भारतीय भाषाओं के संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार को समर्पित संस्था 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के संयुक्त तत्त्वावधान में दो दिवसीय (26-27 सितम्बर) सांस्कृतिक समारोह सफलतापूर्वक आयोजित हुआ । कार्यक्रम का उद्घाटन 26 सितम्बर, 2023 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की ओर से श्री अजीत कुमार, निदेशक एवं प्रभारी (राजभाषा) तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया । सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन संगीत एवं नाटक विभाग के कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्यों को प्रस्तुत किया गया । पारम्परिक वेशभूषा में सजे-धजे कलाकारों ने पंजाबी, हरियाणी, गुजराती, मराठी, हिमांचली आदि राज्यों की सांस्कृतिक संवृद्धि को प्रस्तुत किया । इस बहुभाषी लोक नृत्य को दर्शकों ने खूब सराहा । इस अवसर पर श्री अजीत कुमार ने उपस्थित दर्शकों को हिन्दी दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी भाषा के प्रोत्साहन एवं राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है ।

सांस्कृतिक समारोह के दूसरे दिन का शुभारम्भ भी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया । विशिष्ट अतिथि के रूप में जेल सुधारक एवं मीडियाकर्मी डॉ. वर्तिका नंदा, डॉ. जीतराम भट्ट एवं सुधीर लाल, प्रभारी, कलानिधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र मंचासीन थे । कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति शोभायमान थी । अपने स्वागत वक्तव्य में श्री सुधाकर पाठक ने भारतीय भाषा दिवस का जिक्र करते हुए घोषणा की कि आने वाले दिसम्बर माह में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी मिलकर टालकटोरा स्टेडियम में भव्य भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कर रही है जहाँ दिल्ली प्रदेश के प्रतिष्ठित 212 विद्यालयों के 6194 मेधावी छात्रों के साथ-साथ 9 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी और उर्दू) के 605 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा । इस सूची में 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में शत प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । इसी तरह गुरुग्राम, हरियाणा के 56 विद्यालयों के 1816 मेधावी छात्र, जिनमें 80 बच्चों ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उनके साथ 128 शिक्षक भी सम्मिलित होंगे । मंचासीन अतिथियों ने भी भाषा, शिक्षा, मिडिया और समाज आदि विषयों पर अपने सारगर्भित वक्तव्य दिए ।

राजकुमार श्रेष्ठ

हंसराज महाविद्यालय की छात्रा सुश्री शार्वी शर्मा द्वारा सरस्वती वंदना नृत्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया । लखनऊ से पधारे बाँसुरी वादक श्री मुकेश कुमार 'मधुर' की बाँसुरी वादन ने सभागार में उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया । बालकवि जश्न महाला और अंशुल शर्मा ने भी अपनी बेजोड़ प्रस्तुति से सभी का ध्यान आकृष्ट किया । डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, जसोला विहार के छात्रों ने देशभक्तिपूर्ण सामूहिक गीत प्रस्तुत किया तो अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन के छात्रों ने साइबर क्राइम पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक और माउंट कार्मेल स्कूल, द्वारका के छात्रों ने पर्यावरण पर केन्द्रित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया । हंसराज महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति से सभी को मोहित किया । संगीत एवं नाटक विभाग के कलाकारों ने भी विभिन्न लोक नृत्यों से समरोह में चार चाँद लगाया । इस अवसर पर काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया ।

कार्यक्रम का समापन श्री अजीत कुमार, श्री जीतराम भट्ट एवं सुधाकर पाठक के हाथों से सहभागिता करने वाले विद्यालयों, छात्रों, शिक्षकों एवं कवियों को पुरस्कार वितरण एवं सम्मान अर्पण करके किया गया । छात्रों को सम्मान स्वरूप नकद पुरस्कार राशि, सम्मान-पत्र, स्मृति चिन्ह एवं मेडल्स भेंट किए गए । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के पदाधिकारियों सर्वश्री विजय शर्मा, विनोद पराशर, राजकुमार श्रेष्ठ, श्रीमती सरोज शर्मा, डॉ. सोनिया अरोड़ा, डॉ. वनीता शर्मा और श्रीमती सुषमा भण्डारी ने कार्यक्रम को सार्थक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया । कार्यक्रम का सफल संचालन हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की सम्पादकीय सलाहकार सुश्री गरिमा संजय ने किया ।

-राजकुमार श्रेष्ठ

'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर 'सांस्कृतिक समारोह' के आयोजन के चित्र

साक्षात्कार : डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा

भूतपूर्व प्रथम सचिव, भारतीय उच्चायोग, फीजी, लेखक, अनुवादक एवं भाषा वैज्ञानिक

अष्टम् अनुसूची से हिन्दी को हटाना उसे पुष्ट करेगा

डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा

विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित भाषा-वैज्ञानिक, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के भक्ति काव्य, पाठालोचन, कोश-विज्ञान और अनुवाद-शास्त्र के अध्यापन के साथ-साथ विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी का विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण, भारतीय डायस्पोरा में हिन्दी भाषा शिक्षण, प्रवासी भारतीय साहित्य, भाषा व संस्कृति पर शोध और इन सभी विषयों पर 29 पुस्तकों व 80 से अधिक शोध-पत्रों को प्रस्तुत करने तथा दिल्ली, कनाडा, बल्गारिया, फीजी, सूरीनाम, त्रिनिडाड, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, सिंगापुर आदि देशों में नियमित रूप से भारत विद्या व अन्य विषयों के वक्ता के रूप में ससम्मान आमंत्रित किए जाने वाले डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा जी का नाम देश-विदेश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। विभिन्न विषयों की गहरी परख व समझ रखते हुए भी डॉ. वर्मा के विनम्र भाव, शोधार्थी जैसी जिज्ञासा और विश्व भर में उभर आई हिन्दी की विभिन्न शैलियों के प्रति स्नेह ने वैश्विक समुदाय के बीच उन्हें अत्यंत लोकप्रिय बनाया। आप निःस्वार्थ साधक के समान विश्व भर के हिन्दी शिक्षकों, छात्रों व शोधार्थियों को एक सूत्र में पिरोते चल रहे हैं। डॉ. वर्मा के कार्य की विशिष्टता है उनकी हर पुस्तक में विषयवस्तु की नवीनता और उनका छात्रों को दृष्टि में रखकर तैयार किया जाना। अध्यापन के दौरान शिक्षण सामग्री में लगी कमी को आपने यथाशक्ति पूरा किया, यहाँ तक कि बल्गारिया में देवनागरी टंकण और कंपोजिंग की सुविधा उपलब्ध न होने पर 650 से अधिक पृष्ठों की पूरी पुस्तक हाथ से लिखी, जिसे वहाँ की सरकार ने ज्यों का त्यों प्रकाशित कराया। आपके विशाल व्यक्तित्व और कृतित्व को सीमित दायरे में बाँधना संभव नहीं, फिर भी प्रयास है पाठकों तक इस सुदीर्घ अनुभव-कलश से प्रेरणा रूपी कुछ अमृत बूंदें पहुँचाने का, क्योंकि इतने विशाल वटवृक्ष की छाँव वांछित तो होती है, सुगम नहीं होती। जैसा कि कविवर गिरिधर राय ने भी कहा है- "छाँह मोटे की गहिए/पाती सब झरि जायँ, तऊ छाया में रहिए।

साक्षात्कारकर्ता : भावना सक्सेना

प्रश्नः डॉ. वर्मा जी आपके कार्य व अनुभव का दायरा बहुत व्यापक है। इस सुदीर्घ अनुभव को अर्जित करने के लिए आपने एक लंबी यात्रा तय की है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई?

उत्तर : भावना, तुम्हारे प्रश्न ने मुझे वर्षों पहले पहुँचा दिया है। मैं 22 वर्ष का था जब मेरी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य-व्याख्याता के रूप में हुई। जनवरी 1965 में डॉ. नगेंद्र के कहने पर मैं इलाहाबाद से दिल्ली आया। मेरा शिक्षण विषय पाठालोचन था, जो हिन्दी साहित्य के साथ-साथ पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संपादन और मूल पाठ की बहाली से संबंधित था। शिक्षण के बाद मेरे पास पर्याप्त समय बचता था। मुझे उस समय भी चौदह-पंद्रह घंटे पढ़ने की आदत थी, तो तीन-चार घंटे पढ़ाकर रुक जाना बहुत कम लगता था। उसी वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषाविज्ञान में एम.लिट का पाठ्यक्रम आरंभ हुआ। मैंने साहित्य पढ़ाते हुए भाषाविज्ञान का अध्ययन करने का निश्चय किया और भाषाविज्ञान के तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. प्रबोध बेचरदास पंडित जी से मिला, उनका यह कहना कि भाषाविज्ञान कठिन विषय है, मेरे निश्चय को और दृढ़ कर गया। यह एक नई शुरुआत थी। एम.लिट समाप्ति पर पंडित जी की प्रेरणा से मुझे टेक्सास विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करने का अवसर मिला किंतु पिताजी ने विवाह से पहले विदेश जाने की अनुमति न दी। 17 मई, 1968 को धीरा जी जीवन में आईं और उसके बाद हम दोनों कदम-से-कदम मिलाकर आगे बढ़े।

प्रश्न : आपको शीघ्र ही पुनः विदेश में शिक्षण का अवसर मिला, उसके बारे में बताइए।

उत्तर : मेरे गुरू प्रो. पी.बी.पंडित जी को मुझ में विदेशियों को हिन्दी सिखाने की सम्भावनाएँ दिखीं, अतः वह मुझे प्रेरित करते रहे और वर्ष 1973 में टोरोंटो विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाने का प्रस्ताव मिला, मैं वहाँ गया और एक वर्ष तक भारत-विद्या (इंडोलॉजी) पढ़ाई। वहाँ रहते हुए ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से बल्गारिया के सोफिया विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाने के लिए मेरी नियुक्ति हुई। यह भारत और बल्गारिया की सरकारों के सांस्कृतिक समझौते के तहत, 1974 में सोफिया विश्वविद्यालय में एक हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम की स्थापना के लिए था।

प्रश्न : बल्गारिया में आपका अनुभव कैसा रहा ?

उत्तर : हिन्दी को विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाने का मेरा पिछला अनुभव अंग्रेजी माध्यम से था। बल्गारिया में, यह विकल्प नहीं था। उन दिनों शायद ही वहाँ कोई अंग्रेजी बोलता था। संचार और निर्देश की भाषा बल्गारियन थी। यह स्थिति मेरे और मेरे छात्रों दोनों के लिए बहुत दिलचस्प थी। मैं हिन्दी, हिन्दी में ही पढ़ाता था। तीसरी भाषा को माध्यम बनाए बिना हिन्दी सिखाने की यह भाषा शिक्षण पद्धति नई तो थी ही, रोचक, फलदायी और अधिक त्वरित भी दिखी। हिन्दी कक्षा छात्रों के मध्य बहुत लोकप्रिय हुई और जो हिन्दी कक्षा 7 छात्रों या कहिये विविध विषय विशेषज्ञों से प्रारम्भ हुई थी, उस कक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ना शुरू हुआ और हिन्दी तथा हिन्दी कक्षा की विश्वविद्यालय में चर्चा होने लगी। मेरा भी उत्साह बढ़ा और मैं प्रयत्न करता रहा कि किस प्रकार देश में हिन्दी का विस्तार हो सके।

प्रश्न : हिन्दी सिखाने के साथ-साथ आपने बल्गारियन भाषा भी सीखी, यह कैसे संभव हुआ और इसके क्या प्रभाव हुए ?

उत्तर : बल्गारिया की सरकार ने मुझे पूरा सहयोग दिया, मुझे और मेरी पत्नी को विदेशी छात्रों के लिए एक संस्थान में बल्गारियन भाषा का अध्ययन करने के लिए प्रवेश दिया । हम दोनों दिन में छह घंटे प्रतिदिन बल्गारियन भाषा पढ़ते थे । उनकी शिक्षण पद्धति बहुत कुशल और प्रभावी थी और हम दोनों (पति-पत्नी) भी हर समय भाषा अभ्यास करते थे- घर पर, सड़कों पर, विश्वविद्यालय में, वस्तुतः हर जगह । धीरे-धीरे, हम भाषा में सहज हो गए, बातचीत करने लगे, वहाँ का साहित्य पढ़ने-समझने लगे और फिर हमने बल्गारियन साहित्यिक कृतियों का अनुवाद किया । बल्गारिया से लौटने पर, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में बल्गारियन भाषा का अध्ययन जारी रखा । धीरा ने विश्वविद्यालय में बल्गारियन भाषा सिखाना भी आरंभ किया ।

प्रश्न : आपने प्रचुर मात्रा में शिक्षण सामग्री तैयार की है, शिक्षण सामग्री तैयार करने का विचार आपको कब और कैसे आया ?

उत्तर : अध्यापन आरंभ करने के लगभग एक माह बाद सोफिया विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रो. स्त्राशिमिर दिमित्रोव ने मुझसे विश्वविद्यालय के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने का आग्रह किया ताकि पाठ्यक्रम आगे बढ़ता रहे । बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम था, लेकिन मैंने प्रस्ताव स्वीकार किया और उन्होंने भी इस प्रक्रिया में हर संभव सहायता की । विश्वविद्यालय के सहयोगियों और छात्रों ने भी न केवल सहयोग दिया, बल्कि अपार स्नेह, समर्थन और आत्मविश्वास दिया । भाषा के तत्वतः तीन व्यापक घटक होते हैं- शब्द (शब्दकोश), शब्द-व्यवस्था (व्याकरण) और उच्चारण (ध्वन्यात्मकता) । मैंने हिन्दी पढ़ाने के लिए सभी घटकों को शामिल करते हुए तीन वर्षों में तीन पुस्तकें तैयार कीं- उचेबनिक पो हिन्दी (हिन्दी की पाठ्यपुस्तक), बल्गरस्को- हिन्दी रेचनिक (बल्गारियन- हिन्दी शब्दकोश) और फोनेटिका ना हिन्दी (हिन्दी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण-सिद्धांत और अभ्यास) जिन्हें सोफिया विश्वविद्यालय ने और वहाँ के सुप्रतिष्ठित सरकारी प्रकाशन संस्थान 'नउका ई इज्कुस्त्वो' ने प्रकाशित भी किया ।

प्रश्न : अनुवाद के क्षेत्र से जुड़ना कब हुआ ?

उत्तर : अनुवाद भाषाविज्ञान की ही शाखा है । जब मैं बल्गारिया से लौटा तो बल्गारियन साहित्य की कुछ अति प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों का बल्गारिया की सरकार के अनुरोध पर, पत्नी धीरा के सहयोग से मूल बल्गारियन भाषा से हिन्दी में अनुवाद कर चुका था और तब भी कर रहा था । विश्वविद्यालय ने मेरे इस अनुभव का लाभ देखते हुए मुझे अनुवाद की कक्षाएँ लेने का निर्देश दिया । फिर अनुवाद पर भी एक पुस्तक संपादित की ।

प्रश्न : विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण व अनुवाद से आपकी रुचि प्रवासी साहित्य व हिन्दी की विदेशी शैलियों की ओर किस तरह मुड़ी ?

उत्तर : वर्ष 1984 में भारत सरकार ने मेरी नियुक्ति फिजी के भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव (शिक्षा और हिन्दी) के रूप में की । वहाँ पहुँचकर मैंने अनुभव किया कि वहाँ बसे हिन्दुस्तानी वंशज वहीं पर विकसित हिन्दी की अलग भाषिक शैली का प्रयोग करते हैं । मैंने देखा कि मुझसे वे अंग्रेजी में बातचीत करते हैं लेकिन आपस में एक ऐसी भाषा में बोलते हैं जिसमें अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली के शब्द हैं । मैं अवध प्रदेश का हूँ । एक दिन मैंने भी उनसे अवधी में बात शुरू की, इससे पारस्परिक आत्मीयता बढ़ी । उसके बाद वे मुझसे अपनी हिन्दी, 'फीजीबात' में ही बात करने लगे । फिर मैं फिजी हिन्दी में लेख, कविता, कहानियां लिखने वालों से मिला । फिजी हिन्दी के पत्रकारों और रेडियो पर कार्यक्रम करने वालों से भी मिलना हुआ । वहाँ के लेखकों ने मुझसे कहा कि वह अपनी रचनाओं को भारत पहुँचाना चाहते हैं । मैं उनके बारे में लिखने लगा। कई आलेख पत्रिकाओं में छपे, फिजी से वापसी पर मैंने उन सभी आलेखों को पुस्तक का रूप दिया जिसमें सहधर्मिणी धीरा का अतुल्य योगदान रहा । कुछ समय बाद महसूस किया कि इस पुस्तक में रचना संचयन बहुत छोटा है और मेरे पास फिजी के लेखकों की बहुत सी और रचनाएँ हैं तो फिजी का सृजनात्मक साहित्य के रूप में कार्य को आगे बढ़ाया ।

प्रश्न : आपका कार्य बृहत विस्तार लिए है, किसी भी हिन्दीकर्मी के लिए प्रेरक है । इतना अधिक कार्य किस प्रकार संभव हुआ ?

उत्तर : किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो वह आसान हो जाता है । अन्य कार्यों के साथ-साथ मैंने प्रवासी भारतीय हिन्दी साहित्य पर भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया । पहले लम्बी भूमिका के साथ साहित्य संचयन, फिर उस देश में विकसित शैली और अंत में संस्कृति पर । इनमें कुछ कार्य हो चुका, कुछ शेष है ।

प्रश्न : आपने देश-विदेश में हिन्दी शिक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आप हिन्दी की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं ?

उत्तर : भावना, जैसा मैंने बताया विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी भाषा शिक्षण से मैं वर्ष 1968 से ही जुड़ा हुआ हूँ । अमेरिकन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, नई दिल्ली, मैक्स म्युलर भवन (जर्मन दूतावास), बल्गारियन सांस्कृतिक केंद्र (बल्गारिया) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को मैं हिन्दी सिखाता था । विदेश में टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा, सोफिया विश्वविद्यालय, बल्गारिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पसिफिक, फिजी आदि विश्वविद्यालयों में

मैंने हिन्दी शिक्षण का सूत्रपात किया । विदेशी छात्रों के लिए अनेक पाठयपुस्तकें तैयार की जो विदेश में ही प्रकाशित भी हुईं, पाठ्यक्रम निर्माण किया, हिन्दी शिक्षण प्रविधि पर कार्य किया । इन पाँच दशकों में यह अनुभव किया है कि विदेश में हिन्दी शिक्षण की प्रगति गुणात्मक नहीं है, छात्रों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है, विश्वविद्यालयों में जहाँ हिन्दी सुप्रतिष्ठित थी वहाँ हिन्दी पाठ्यक्रम अब बंद होते जा रहे है । इसका कारण यही है कि अध्यापकों का चयन करते समय हम यह भूल जाते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक की मातृभाषा हिन्दी होना पर्याप्त नहीं है । साहित्य और भाषा दो विभिन्न अनुशासन है । प्रेमचंद या निराला का विशेषज्ञ आवश्यक नहीं कि वो हिन्दी का सफल शिक्षक भी हो । अगर शिक्षक की भाषा संरचना पर अच्छी पकड़ नहीं है तो वह छात्र को संतुष्ट नहीं कर सकेगा और हिन्दी के प्रति छात्र की रुचि जो विभिन्न कारणों से थी और उसे हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करती थी वह समाप्त हो जायेगी और छात्र हिन्दी पढ़ना छोड़ देगा । एक विदेशी के लिए हिन्दी सीखना उसकी मजबूरी नहीं है, हिन्दी के प्रति या भारत के प्रति उसका लगाव है इसलिए वह हिन्दी सीख रहा है । भाषा शिक्षण एक कला है, अध्यापक के लिए शिक्षण प्रविधि का ज्ञान और उसका अभ्यास आवश्यक है तभी वह सफल अध्यापक बन सकेगा ।

प्रश्न : आपने प्रवासी साहित्य पर काफी कार्य किया है, हिन्दी को विश्वभाषा बनाने में प्रवासी साहित्य का क्या योगदान व सामर्थ्य है ?

उत्तर : प्रवासी भारतीय हिन्दी साहित्य पर मैंने कार्य उस समय प्रारम्भ किया जब मेरी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सूवा स्थित भारतीय हाई कमीशन में मेरी प्रतिनियुक्ति प्रथम सचिव (हिन्दी व शिक्षा) के रूप में हुई और फिजी के अनेक हिन्दी लेखकों से मेरा परिचय हुआ । यह वर्ष 1984 का था । उसके बाद मुझे भारत सरकार की ओर से सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरीशस और दक्षिण अफ्रीका जाने और वहाँ रहने का अवसर मिला और वहाँ के हिन्दी सेवियों से मेरा परिचय हुआ । मुझे लगने लगा कि नियति मुझे प्रवासी भारतीयों की ओर ले जा रही है । मुझे प्रवासी साहित्य अपनी ओर खींचने लगा । ये सभी देश वे देश थे जहाँ भारतीय गिरमिट प्रथा के अंतर्गत विभिन्न उपनिवेशों में काम करने के लिए भारत से बहला-फुसला कर ले जाए गए थे । जितना मैं अपनी ओर से परिश्रम करता उतना ही वहाँ के भारतीय मुझे और कार्य करने के लिए प्रेरित करते । प्रवासी भारतीयों के प्रति मेरा स्नेह बढ़ता गया और मुझे लगने लगा कि प्रवासी भारतीय संस्कृति पर अध्ययन-अनुसंधान मेरा उत्तरदायित्व भी है । दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे छात्र भी मुझसे जुड़ने लगे और जहाँ-जहाँ मैं गया वहाँ के भी हिन्दी सेवी मेरा सहयोग करने लगे । फीजी से पंडित कमला प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर जे. एस. कँवल, प्रो. सुब्रमनी, प्रो. बृज विलास ला, मास्टर विजयेन्द्र सुधाकर, मास्टर महेंद्र चन्द्र शर्मा 'विनोद', श्री राम नारायण गोविन्द, श्री रामानारायण; सूरीनाम के लिए मेरी प्रिय मेधावी छात्रा भावना सक्सैना, जो सूरीनाम में राजनयिक भी थी से मुझे पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला । त्रिनिदाद दूतावास में द्वितीय सचिव के पद पर रही श्रीमती सुनीता पाहूजा मेरे साथ जुड़ी । मारीशस से डॉ. अलका धनपत, डॉ. बीरसेन जागा सिंह ने तथा दक्षिण अफ्रीका से प्रो. राम भजन सीताराम, हीरालाल शिवनाथ, प्रो. उषा देवी शुक्ल, बिरजानंद बदलू गरीब भाई, प्रो. बिसराम राम बिलास जुड़े और काफिला बढ़ता गया । परिणामस्वरूप सभी के सहयोग से मैं प्रवासी भारतीय हिन्दी और साहित्य पर गंभीर अध्ययन कर सका और योजनाबद्ध रूप में सात पुस्तकें गंभीर शोधपरक अध्ययन के रूप में विशेषज्ञों के लिए तैयार कर सका । विदेश जाने वाले और वहाँ जा कर बस जाने वाले प्रवासी भारतीयों की दो श्रेणियां हैं- पहले वे प्रवासी भारतीय हैं जो वर्ष 1834 से लेकर 1911 के बीच उपनिवेश देशों में मजदूर के रूप में ले जाए गए और जो भारत से सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं और भारतीय संस्कृति और हिन्दी का सम्मान करते हैं, भारत को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं और भारत के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते हैं और भारत से जुड़े रहना चाहते हैं । दूसरी कोटि के वे प्रवासी भारतीय हैं जो सामान्यत: विदेश भारत की स्वाधीनता के बाद उच्च शिक्षा या अच्छे व्यवसाय के निमित्त भारत छोड़कर विदेश गये और वहीं बस गए, पर अगली पीढ़ी और उसके बाद की भारतीय पीढ़ियों का भारत और हिन्दी के प्रति कोई लगाव नहीं रहा । ये भारतीय गर्व करते हैं कि उनके बच्चों को हिन्दी नहीं आती और वे हिन्दी को किसी रूप में उपयोगी भी नहीं समझते हैं । ये भारतीय प्रमुख रूप से अंग्रेजी भाषी देशों- अमरीका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड आदि देशों में गए और वहाँ बस गए । मैं इन देशों में भी रहा और मुझे लगता रहा कि पहली पीढ़ी तक इन भारतीयों का भारत और हिन्दी के प्रति लगाव नहीं रहेगा । यही कारण है कि मैंने उन्हीं प्रवासी भारतीयों के साहित्य, भाषा और संस्कृति को अपने अध्ययन के केंद्र में रखा है जो फीजी, मारीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद व टोबागो, गुयाना और दक्षिण अफ्रीका में बसे और अपने को गिरमिटिया के रूप में संबोधित कर गर्व का अनुभव करते हैं । ये गिरमिटिया भारतीय ही हैं जिनका भारत के प्रति आत्मिक लगाव है और वे निरंतर हिन्दी में भावाभिव्यक्ति कर गर्व का अनुभव करते हैं । वे अपनी हिन्दी, जो नए देश में नए संस्कारों में पली-बढ़ी, उसका सम्मान करते हैं और मानक हिन्दी के साथ उसमें भी निरंतर साहित्य लेखन कर रहे हैं ।

मुझे लगता है कि इन देशों में मानक हिन्दी में लिखा गया हिन्दी साहित्य यद्यपि कलात्मक दृष्ठि से उतना प्रौढ़ न हो, उसमें व्याकरणगत अशुद्धियाँ भी दिखें पर इस साहित्य का समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक तथा भाषा शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्त्व है । अपने नये अपनाए देश की मूलभाषा के साथ हिन्दी के मिश्रण से इन्होंने एक ऐसा नया भाषा रसायन बनाया है जो हिन्दी को विदेश में पुष्ट करेगा

और हिन्दी का वटवृक्ष भविष्य में लोकनय के लिए कल्पवृक्ष के रूप में उभरेगा । भाषा के ये नए रूप फीजी में फीजी बात, सूरीनाम में सरनामी और दक्षिण अफ्रीका में नेटाली के रूप में आज जाने जाते हैं। देश के प्रबुद्ध साहित्यकार, डॉक्टर, इतिहासकार इन नए हिन्दी भाषा रूपों को प्रतिष्ठित करने में लगे हुए हैं और इन भाषा रूपों को अपनी भारतीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मानते हैं ।

प्रश्न : हिन्दी भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा है और साथ ही आठवीं अनुसूची में भी सम्मिलित है । क्या आपको लगता है यह एक विरोधाभास की स्थिति है, क्या इससे हिन्दी की स्थिति कमजोर होती है ?

उत्तर : भारत के राजनेताओं ने देश में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया और उसे अष्टम अनुसूची में भी रखा । संविधान निर्माताओं को यह आशा थी कि 15 वर्षों के बाद वर्ष 1965 में सह-राजभाषा अंग्रेजी विदा हो जाएगी और हिन्दी पूर्ण राजभाषा का स्थान ले लेगी, किन्तु दक्षिण के विरोध के कारण और सरकार की लचर भाषा नीति के कारण अंग्रेजी विदा होने के स्थान पर और मजबूत होती गई और हिन्दी कमजोर पड़ती गई । हम भारतीय उदारता का राग अलापते रहे। हम अपनी कमजोरी को सर्वदा अपनी उदारता के रूप में व्याख्यायित करते रहे हैं । आज जब हिन्दी की बोलियों को हिन्दी के साथ अष्टम अनुसूची में प्रवेश मिलता जा रहा है वहाँ अष्टम अनुसूची में विद्यमान हिन्दी का अर्थ केवल खड़ी बोली रह जाता है और हिन्दी अपनी अखिल भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता को खो देती है । अष्टम अनुसूची में मैथिली जुड़ गई है । भोजपुरी को जोड़ने के लिए तैयारी है । इसके बाद अवधी और ब्रज का भी अधिकार बनता है कि वे भी अष्टम अनुसूची में आएँ । ऐसी स्थिति में अष्टम अनुसूची से हिन्दी का हटना और हिन्दी की अन्य बोलियों का जुड़ना हिन्दी को पुष्ट करेगा । वस्तुत: हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में सदियों से प्रयुक्त होती आ रही है इसीलिए देश के समस्त राजनेताओं ने जो हिन्दीतर क्षेत्र के थे वे हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा मानते थे क्योंकि हिन्दी ही एक भाषा है जो सारे देश को जोड़ने में समर्थ है ।

प्रश्न : हाल ही में हिन्दी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई आरंभ हुई । हिन्दी अथवा मातृभाषा में उच्च शिक्षा पर आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अब हिन्दी में भी होगी यह देश के लिए शुभ लक्षण है, इससे हम अधिक योग्य चिकित्सा विशेषज्ञ तैयार कर सकेंगे । देर आए दुरुस्त आए । पर अन्य विषयों यथा अभियांत्रिकी, विज्ञान, विधि, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी आदि विषयों का उच्चस्तरीय अध्ययन भी मातृभाषा में अविलंब प्रारंभ कर देना चाहिए पर यह स्मरण रखना चाहिए कि पल्लवों को सींचने से अधिक आवश्यक है कि मूल को सींचा जाए अर्थात् प्राथमिक कक्षा से ही विज्ञान, मानविकी ही नहीं सभी विद्याओं का अध्ययन मातृभाषा से ही प्रारंभ होना चाहिए और उच्चतम स्तर तक अध्ययन अपने देश में अपनी भाषा में ही होना चाहिए । कहावत है -जो तरु सींचे मूल ते फुलहि फरहि अघाय । मुझे विदेश में रहने, विदेशी भाषा सीखने और विदेश में हिन्दी पढ़ाने का व्यापक अनुभव है । विश्व का हर विकसित देश- छोटे-से-छोटा देश प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तरीय अध्ययन अपनी भाषा में ही करता है । कठिन संकल्पनाओं को अपनी मातृभाषा में ही अच्छी तरह समझा जा सकता है । मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी का स्मरण आता है जो विश्वविद्यालय में उच्चतम स्तर तक रसायन शास्त्र हिन्दी में ही पढ़ाते थे । एक बार जब कुलपति महोदय ने उनसे अंग्रेजी का प्रयोग न करने का कारण पूछा तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि मुझे अपने छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ाना नहीं, समझाना है और छात्र कठिन संकल्पनाओं को सबसे सरलतापूर्वक अपनी भाषा में ही समझ पाते हैं । स्मरण रहे कि विकसित देश ज्ञान और विज्ञान का शिक्षण मातृभाषा में करते हैं और विकासशील तथा अविकसित देश विदेशी भाषा का सहारा लेते हैं ।

प्रश्न : क्या हिन्दी का रोमन लिपि में लिखा जाना हिन्दी के अस्तित्व के लिए चुनौती है ?

उत्तर : हर भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है पर उस भाषा की जो अपनी लिपि है उस लिपि में भाषा की ध्वनियाँ सबसे अधिक सही रूप में उच्चरित/लिप्यन्तरित हो सकती हैं इसलिए सर्वोत्तम स्थिति तो यही है कि हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाए । पर हिन्दी का रोमन लिपि में या क्रियोल लिपि में लिखा जाना हिन्दी के लिए कोई चुनौती नहीं है । विविध लिपियों में हिन्दी का लिखा जाना हिन्दी को अधिक व्यापक बनाएगा पर देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का पढ़ा जाना अधिक सही परिणाम देगा । देवनागरी लिपि में सर्वाधिक ध्वनियों के लेखन के लिए चिह्न विद्यमान हैं इसलिए अनेक भाषाओं ने सरलता और सुगमता की दृष्टि से देवनागरी को अपनाया हुआ है । देवनागरी एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि है, वह संस्कृत जैसी सम्पन्न भाषा की लिपि है, हिन्दी को वह उत्तराधिकार में मिली है और हिन्दी सर्वोत्तम रूप में या पूर्ण शुद्धता के साथ देवनागरी रूप में ही लिखी जा सकती है ।

प्रश्न : हिन्दी के सरलीकरण के नाम पर उसमें प्रचुर मात्रा में अंग्रेजी शब्दों की प्रचुरता या नई वाली हिन्दी को आप किस प्रकार देखते हैं ?

उत्तर : कुछ महीने पहले दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 'सहज सरल हिन्दी' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन था । सिंगापुर से पधारी सुश्री सुनंदा वर्मा कार्यशाला में आमंत्रित वक्ता थीं। गोष्ठी का स्तर बहुत अच्छा था और सभी प्रतिभागी बड़ी तन्मयता से

आमंत्रित अतिथि का वक्तव्य सुन रहे थे । सुनंदा जी न्यूज, आजतक तथा स्टार न्यूज में वरिष्ठ प्रोड्यूसर रह चुकीं हैं । वे विविध क्षेत्रों से अनेक उदाहरण दे देकर हिन्दी के वर्तमान स्वरूप पर प्रकाश डाल रही थीं । संयोग से मैं भी उस कार्यशाला में उपस्थित था । कार्यशाला में उपस्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुलसचिव श्री प्रदीप मोहंती ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जब हम सरल हिन्दी के स्वरूप पर चर्चा करते हें तो हमारा उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी की सरलता से होना चाहिए न कि केवल हिन्दी प्रदेश में हिन्दी की सरलता से । समस्या यह है कि हम हिन्दी के सरलीकरण को केवल हिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी की सरलता से लेते हैं । श्री मोहंती जी का मानना है कि यदि हम हिन्दी को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं तो हिन्दी में हमें उन शब्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो समानस्रोतीय हैं और संस्कृत से आने वाले शब्द हैं । समस्त भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हें जो हिन्दी में, उडिया, बँगला और असमिया में सीधे संस्कृत से आए हैं । यदि उन्हें हम हिन्दी में ले लें तो हिन्दी सारे देश के लिए सरल स्वयमेव हो जाएगी । श्री प्रदीप मोहंती के तर्क में बल था । मुझे भी यही लगता है कि जो शब्द सभी भारतीय भाषाओं में या अधिकांश भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है उन्हें हमें तत्काल हिन्दी की शब्द समपदा में ले लेना चाहिए । उससे हिन्दी देश के बड़े भू-भाग में विद्यमान समझी जाएगी । भाषा विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है कि शब्द सरल या कठिन नहीं होते, वे परिचित या अपरिचित होते हैं । यदि शब्द परिचित हैं तो आसान लगते हैं यदि अपरिचित हैं तो कठिन लगेंगे । जिन अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से हम प्रयोग आज कर रहे हैं क्या वे सरल हैं ? मुझे लगता है कि हिन्दी अधिक सरल और देशव्यापी तभी बन सकेगी जब हिन्दी की शब्दावली अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली से मिल कर बनेगी और भारतीय ढाँचे में ढलेगी । विदेशी भाषा का प्रयोग एक बहत सीमित जनसमुदाय के बीच ही होता है,उसकी शब्दावली का हिन्दी में ग्रहण हिन्दी प्रयोग को बहुत सीमित कर देता है ।

प्रश्न : वर्तमान समय में हिन्दी संस्थाओं व हिन्दी पुरस्कारों की बाढ़ सी आई हुई है । सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को हवा दी है । आपकी दृष्टि में इनकी क्या महत्ता है और क्या हिन्दी के उत्थान में इनकी कोई भूमिका हो सकती है ?

उत्तर : पुरस्कार और सम्मान व्यक्ति के आदर्श व्यक्तित्व या महत्त्वपूर्ण कृतित्व के बोधक जहाँ हो वहाँ वे समाज को एक राह दिखाने वाले या प्रेरक होते हैं । देश का सर्वोच्च सम्मान 'भारतरत्न' इसका बोधक है कि जिस व्यक्ति ने अपने देश भारत के लिए तन-मन-धन सब कुछ अर्पित कर दिया वह भारत का रत्न है । इसी प्रकार हिन्दी को लेकर जो सम्मान पिछले दस वर्षों में दिए गए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन सम्मानों के पीछे व्यक्ति के कार्य नहीं है इसलिए उन पुरस्कारों से न तो पुरस्कृत व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और न ही पुरस्कार जनता के लिए प्रेरक बनाता है। जहाँ पुरस्कारों के साथ धन राशि जुड़ी होती है वहाँ पुरस्कार के लिए तरह-तरह के प्रयत्न किए जाते हैं । कहा तो यह भी जाता है कि अब सम्मान/पुरस्कार धन से खरीदे भी जाते हैं । सारांशत: इधर दो दशकों में हिन्दी से जुड़े पुरस्कार और सम्मान की साख निश्चय ही गिरी है । यही कारण है कि सरकार इस सन्दर्भ में अब सचेत भी हो गई है और अनेक पुरस्कार / सम्मान बंद भी कर दिए गए हैं ।

प्रश्न : हिन्दी के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व हिन्दी सम्मेलन के मंच से प्रदान किए जाते हैं, इस वर्ष के आरंभ में भी 12वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया । इन सम्मेलनों की हिन्दी के विकास में क्या प्रासंगिकता है ?

उत्तर : यदि विश्व हिन्दी सम्मानों का इतिहासक्रम से अवलोकन किया जाए तो यह बात स्वत: स्पष्ट हो जाएगी कि जो पुरस्कार प्रारंभिक वर्षों में विश्व हिंदी सम्मेलनों में दिए गए और जो इधर एक दशक में दिए गए उनमें गुणात्मक ह्रास देखने को मिलता है और इस ह्रास का कारण है कि आज पुरस्कार कृतित्व पर नहीं उसके पारस्परिक संबंधों पर दिया जा रहा है । मुझे भारत सरकार की ओर से अनेक विश्व हिन्दी सम्मेलनों और क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलनों में प्रतिभागिता का अवसर मिला है । कई सम्मेलनों में अध्यक्षता अथवा बीज वक्ता होने का अवसर भी मिला है । मैंने देखा है कि ये सम्मेलन प्राय: प्रकृति में उत्सवधर्मी अधिक है और इनमें प्रतिभागिता विदेश में भी अधिकांशत: भारतीयों की ही रही है । अपने ही बंधु-बांधवों के बीच हिन्दी का गुणगान हिंदी की प्रगति में किसी भी प्रकार साधक नहीं होता है । एक गुफा में जैसे अपनी आवाज की गूँज सुनकर एक बालक प्रसन्न होता है उसी प्रकार अपनों के बीच हिन्दी की चर्चा, प्रशंसा और गुणगान कोई सार्थक उपलब्धि नहीं देता। मुझे लगता है कि जिस अनुपात में सरकारी धन विश्व हिन्दी सम्मेलन में खर्च होता है, उसका अधिक सार्थक प्रयोग हिन्दी के विकास और समृद्धि के लिए दूसरे विकल्प के रूप में अधिक उपयोगी हो सकता है । विश्व हिन्दी सम्मेलनों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसके स्वरूप को पूर्णत: बदलना होगा ।

प्रश्न : वर्तमान समय में आप किन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर : कुछ कार्य प्रवासी शृंखला में बाकी है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कवियों व लेखकों को सामने लाने का प्रयास है जिनके बारे में लोग नहीं जानते । योजनाएं बहुत हैं, उन सभी को साकार करने के लिए प्रयासरत हूँ ।

हमें अपनी भाषाई विविधता पर गर्व होना चाहिए, हमारी भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं ।
–एम. वेंकैया नायडू (पूर्व उपराष्ट्रपति)

चमत्कार लोक भाषाओं का

तेलुगु भाषा का संक्षिप्त परिचय

डॉ. गुर्रमकोंडा नीरजा

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, द्रविड परिवार की भाषा है । तेलुगु भाषा के उद्‌भव और विकास के सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं । तेलुगु भाषा का इतिहास काफी पुराना है । कहा जाता है कि तेलुगु भाषा में प्राप्त प्रथम शिलालेख छठी सदी के हैं । कोराडा महादेव शास्त्री ने अपनी पुस्तक 'द हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ तेलुगु' में तेलुगु भाषा का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि तेलुगु भाषा का अस्तित्व छठी सदी से भी पहले का है । उन्होंने प्राकृत और संस्कृत शिलालेखों का अध्ययन करके यह स्पष्ट किया है कि इनमें तेलुगु भाषा के प्राचीन संस्कार उपलब्ध होते हैं । उनके अनुसार तेलुगु भाषा सातवाहन काल (230 ई.पू. 250 ई.) में ही प्रचलन में थी । "तेलुगु भाषा का इतिहास लिखने वाले विद्वान तेलुगु भाषा के अस्तित्व को ई.पू. की दूसरी सदी तक पीछे ले जाते हैं ।" (डॉ. राजमल बोरा, 'मराठी तथा पड़ोस की भाषाएँ', तुलनात्मक अध्ययन : भारतीय भाषाएँ और साहित्य, (सं) भ. ह. राजूरकर, राजमल बोरा, पृ. 35)। डॉ. वी. एच. कृष्णमूर्ति तेलुगु भाषा के अस्तित्व को ई.पू. 1000 वर्ष तक स्वीकार करते हैं । इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि सातवाहन काल में तेलुगु भाषा का अस्तित्व था । एक मत यह भी प्रचलित है कि समुद्र गुप्त (328-378 ई) के आगमन से आंध्र में संस्कृत भाषा का महत्त्व बढ़ता गया । परिणामस्वरूप तेलुगु भाषा अपने मूल रूप में ही संस्कृत से सीधे प्रभावित हुई । वस्तुत: तेलुगु का मूल ढाँचा द्रविड है, किन्तु इस पर संस्कृत और प्राकृत का पर्याप्त प्रभाव है । डॉ. चिलुकूरि नारायण राव के मतानुसार तेलुगु भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है बल्कि वह प्राकृतजन्य है और उसका संबंध विशेषत: पैशाची भाषा से है । परंतु कोराडा रामकृष्णय्या और काडवेल के अनुसार "मूल द्रविड भाषा से तेलुगु सबसे पहले अलग हुई और इसलिए अन्य तीन प्रधान द्रविड भाषाओं से उसकी प्रकृति अलग लगती है ।" (डॉ. एस. टी. नरसिंहाचारी, 'प्रस्तावना', तेलुगु साहित्य : संदर्भ और समीक्षा, पृ. 15) । अत: तेलुगु के रूप निर्धारण में संस्कृत और प्राकृत की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती । रूसी भाषा वैज्ञानिक आंद्रोनेव यह मानते हैं कि प्राक् द्रविड भाषाओं से तेलुगु 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. की अवधि में अलग हो गई थी ।

'तेलुगु' शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी विद्वानों में काफी मतभेद है । आंध्र जन की भाषा के लिए 'आंध्र भाषा', 'तेलुगु', 'तेनुगु' और 'त्रिलिंग' शब्दों का प्रयोग मिलता है । 'आंध्र' शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण' में प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेखों में 'अंध्र' शब्द दिखाई देता है । पल्लव राजाओं के शिलालेखों में आंध्र प्रदेश के लिए 'अंधापथ' का प्रयोग प्राप्त होता है । ये सारे प्रयोग जाति और देशवाचक हैं न कि भाषापरक । तेलुगु के आदि कवि नन्नय्या (11वीं सदी) द्वारा रचित 'आंध्र महाभारतम' में 'आंध्र भाषा' का प्रयोग प्राप्त होता है । 'अंध' शब्द 'आंध्र' में कैसे और कब परिवर्तित हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 'तेलुगु' शब्द के तीन रूप प्रचलित हैं- 'तेनुंगु' झ 'तेनगु' झ 'तेनुगु'। कालांतर में इन्हीं शब्दों के रूप परिवर्तन के कारण 'तेलुंगु' झ तेलगु' झ 'तेलुगु' का विकास हुआ ।

स्मरणीय है कि आंध्र प्रदेश के लिए 'त्रिलिंगदेश' का प्रयोग किया जाता था । इसका उल्लेख 13 ई. के विन्नकोटा पेद्दन्ना के 'काव्यालंकार चूड़ामणि' में प्राप्त होता है । 14वीं शताब्दी में काकतीय राजा प्रतापरुद्र के राज कवि विद्यानाथ के ग्रंथ 'प्रतापरुद्रीयम' में इस शब्द का उल्लेख मिलता है । कहा जाता है कि 'तेलुगु' शब्द का मूल रूप संस्कृत का 'त्रिलिंग' है । श्रीशैलम, कालेश्वरम और द्राक्षारामम की सीमाओं से घिरा देश 'त्रिलिंग देश' है और इस देश की भाषा 'त्रिलिंग' (तेलुगु) है । 'ब्रह्मांड' और 'स्कंदपुराण' में यह स्पष्ट किया गया है कि 'त्रिलिंग' शब्द देशवाचक शब्द है। (आंध्र प्रदेश दर्शनी, 'कललु-साहित्यम-संस्कृति' भागमु (कला-साहित्य-संस्कृति खंड), [सं] वाई. वी. कृष्णाराव, पृ. 40)। 'त्रिलिंग' शब्द का प्रयोग नन्नय्या भट्ट (11वीं शती) के 'महाभारत' में प्राप्त होता है । आधुनिक काल तक में 'त्रिलिंग देश' तथा 'त्रिलिंग भाषा' का प्रयोग साहित्य में होता रहा । ध्यान देने की बात है कि तेलंगाना के कुछ ब्राह्मण अपने आप को 'तैलंग' भी कहते हैं । तमिल भाषा में 'दक्षिण' को 'तेन' कहा जाता है । कुछ विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा होने के कारण इसका नाम 'तेनुगु' पड़ा । द्रविड भाषा में 'तेन' का एक और अर्थ है ख्र शहद । अर्थात तेलुगु का मधुर भाषा होने के कारण 'तेनुगु' कहा जाता था । उल्लेखनीय है कि 'तेनुगु' और 'तेलुगु' शब्द अलग-अलग धातु रूप न होकर केवल रूपांतरित शब्द हैं । अर्थात 'न/ल' ध्वनि परिवर्तन । उदाहरण के लिए 'तेनुगु'झ 'तेलुगु', 'मुलगा' झ 'मुनगा' (सहजन), चाला झ चाना (अधिक) ।

तेलुगु की प्राचीनता के साक्ष्य के रूप में भट्टिप्रोलु (गुंटूर, आंध्र प्रदेश) में प्राप्त 400 ई.पू. ख्र 100 ई.पू. के शिलालेख का हवाला दिया जाता है । आगे, उत्तर इक्ष्वाकु काल (575 ई.ख्र 1022 ई.) के रायलसीमा अंचल में प्राप्त 575 ई. का शिलालेख भी महत्त्वपूर्ण है । यह शिलालेख पूरी तरह तेलुगु में लिखित है । इसका सम्बन्ध रेनती चोले के समय का है जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर स्थानीय भाषा में राजकीय आदेशों को लिखने की परम्परा शुरू की । इसके बाद की आधी शताब्दी में अनंतपुरम के आस-पास के इलाकों से प्राप्त शिलालेख भी तेलुगु में लिखे हुए हैं । दरअसल, आरंभिक तेलुगु साहित्य शिलालेखों और दरबारी काव्य के रूप में ही रचा गया। आगे नन्नय्या युग में साहित्यिक तेलुगु ने स्वयं को जनभाषा तेलुगु से अलग स्थापित किया । अध्ययन की दृष्टि से तेलुगु भाषा के इतिहास को प्रमुख रूप से तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है-

(अ) नन्नय्या पूर्व युग (200 ई.ख़1000 ई.)
(आ) नन्नय्या युग अथवा मध्य युग (1000 ई.-1500 ई.)
(इ) आधुनिक युग (1500 ई. से अब तक) ।

(अ) नन्नय्या पूर्व युग अथवा प्राचीन युग (200 ई.-1000 ई)

कुछ विद्वानों का मत है कि नन्नय्या के पूर्व भी तेलुगु भाषा विद्यमान थी । इस भाषा की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं- "(1) तेलुगु भाषा में मूल द्रविड भाषा की कुछ ध्वनियों का लोप हो गया है जो आज भी तमिल भाषा में प्रयुक्त होती हैं । (2) अनेक ऐसे द्रविड देशी शब्दों का प्रयोग मिलता है जो वर्तमान तेलुगु भाषा में प्राप्त नहीं होते । यह कालक्रम में संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण हो सकता है । (3) बीच-बीच में संस्कृत के समास और संधियों से युक्त भाषिक संरचना पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है । (4) 'ल' के स्थान पर 'ळ', 'र', 'च', 'ज' के दो ध्वनिरूप और अर्धानुस्वार दिखाई देते हैं ।" (डॉ. एस.टी. नरसिंहाचारी, 'प्रस्तावना', तेलुगु साहित्य : संदर्भ और समीक्षा, पृ. 17)। 'पल्लि', 'ओंगोडु', 'उरुवुपल्लि', 'काडाकुदुरु', 'चेरुवूरु', 'कारमिचेडु' (अब कारमचेडु), 'चेरुवूरु', 'तमारकोलनि' जैसी स्थानवाची शब्दावली नन्नय्या पूर्व युग में प्रचलित थी ।

नन्नय्या पूर्व युग में प्रचलित भाषा में देशजता है । कुछ विद्वानों का प्रश्न है कि यदि नन्नय्या के पूर्व साहित्यिक परम्परा का अभाव था तो प्रौढ़ और प्रांजल भाषा में 'महाभारत' जैसे उत्कृष्ट काव्य की रचना करना नन्नय्या के लिए कैसे संभव हुआ ? कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि नन्नय्या पूर्व युग के काव्य नष्ट हो गए होंगे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता । इस युग में विशिष्ट 'र' ध्वनि का प्रयोग देखा जा सकता है जो गुर्रमु (घोड़ा) में प्रयुक्त होता है । लेकिन 14वीं शदी से यह विशिष्ट 'र' ध्वनि लुप्त हो चुकी है । यह ध्वनि नन्नय्या के युग तक आते आते 'ड', 'र' और 'ल' ध्वनियों के साथ सम्मिलित हो गई। (आंध्र दर्शनी, 'कललु-साहित्यमु-संस्कृति भागमु' [कला-साहित्य-संस्कृति खंड], [सं] वाई. वी. कृष्णाराव, पृ. 41) ।

(आ) नन्नय्या युग अथवा मध्य युग (1000 ई.-1500 ई.)

नन्नय्या युग के पूर्व काव्य का अस्तित्व था पर उसे प्रौढ़ बनाने का श्रेय नन्नय्या को जाता है । उन्होंने अपने आप को 'वागानुशासक' घोषित किया था । माना जाता है कि उन्होंने संस्कृत के आधार पर लोकभाषा का परिष्कार करके परिनिष्ठित शैली में काव्य रचना की । इस शैली को 'ग्रंथिक' कहा गया । लेकिन शिवकवियों के काव्यों में व्यावहारिक भाषा रूप का प्रयोग देखा जा सकता है । कहा जाता है कि "तेलुगु 'महाभारत' की रचना आंध्र में प्रचलित जैन धर्म के स्थान पर वैदिक धर्म की पुन:प्रतिष्ठा के लिए हुई है ।" (डॉ. एस. टी. नरसिंहाचारी, तेलुगु साहित्य : संदर्भ और समीक्षा, पृ. 18)। तेलुगु काव्य के संदर्भ में 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक के युग को 'कवित्रय' (नन्नय्या, तिक्कना और पोतना) का युग माना जाता है । 15वीं सदी श्रीनाथ का युग है । 14वीं और 15वीं सदी के मध्य रचित काव्य शैली में ज्यादा भेद न होने के कारण 1500 ई. तक के समय को एक ही युग के रूप में माना जाता है । नन्नय्या ने संस्कृत भाषा के प्रयोगों को सफलतापूर्वक तेलुगु भाषा के ढाँचे में ढालने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया । तेलुगु काव्य भाषा का प्रामाणिक व्याकरण लिखने वाले चिन्नयसूरी के अनुसार व्यावहारिक भाषा 'ग्राम्य' तथा 'दूषित' है । जहाँ नन्नय्या ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है वहीं तिक्कना ने देशी शब्दों को काव्योचित भाषा शैली के रूप में संस्कारित किया तथा भाषा की व्यंजनाशक्ति को बढ़ाया । उन्होंने तेलुगु भाषा को अपने वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत किया ।

(इ) आधुनिक युग (1500 ई. से अब तक)

तेलुगु भाषा के इतिहास में 1500 ई. से आधुनिक काल माना जाता है । इस काल में विविध नवीन काव्य विधाओं का समावेश हुआ । परिणामस्वरूप तेलुगु भाषा की लिपि और वर्णमाला में भी परिवर्तन हुआ । साहित्यिक तेलुगु भाषा का विकास नन्नय्या युग से ही आरंभ हो चुका था । आधुनिक काल तक काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता रहा । समय के साथ-साथ अन्य अनेक भाषाओं के शब्द भी तेलुगु में प्रवेश कर गए। तेलुगु भाषा के इतिहास के अनुसार 1600-1900 ई. का समय परिवर्तनशील समय रहा । यह वह समय था जब साहित्य के क्षेत्र में नवीन विधाओं का प्रयोग किया जा रहा था । उन विधाओं के अनुरूप भाषा शैली में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ । कुछ कवियों द्वारा तेलुगु से इतर भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके अपने साहित्य में प्रयोग करने के कारण तेलुगु में कुछ ऐसी ध्वनियों का भी समावेश हुआ जो पहले नहीं थीं । नन्नय्या के समय तत्समनिष्ठ और सामासिक भाषा में काव्य रचना होने लगी तो उनके बाद के कुछ कवियों ने तत्समनिष्ठ भाषा के प्रतिक्रियास्वरूप काव्य में सरल देशी भाषा का प्रयोग किया जिसे 'जानु तेलुगु' (सुंदर तेलुगु) के नाम से अभिहित किया गया । वीरशैव कवियों ने इस तरह की सरल भाषा का ही प्रोयग किया । इस भाषा रूप में तत्सम शब्दों का प्रयोग निषिद्ध नहीं था लेकिन प्रचलित एवं बोधगम्य शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता था । पाल्कुरिकी सोमनाथ के समय तक इस भाषा रूप की चर्चा थी । कालक्रम में यह 'उच्च तेनुगु' (शुद्ध तेलुगु) के रूप में परिवर्तित हुआ । इसमें कुछ देशी और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता था । उल्लेखनीय है कि पोन्नकंटि तेलगन्ना को इस भाषा शैली के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है लकिन ऐसे प्रयोगों को तेलुगु साहित्य में आदर प्राप्त नहीं हुआ । यों तो काव्यभाषा के व्याकरण प्राचीन काल से ही लिखे गए, लेकिन आधुनिक युग में चिन्नयसूरी ने 'बाल व्याकरण' का सृजन किया । उसमें उन्होंने प्राचीन काव्यों एवं लक्षण ग्रंथों के आधार पर तेलुगु के प्रामाणिक रूप तथा वाक्य संरचना के नियमों का निर्धारण किया । ये नियम केवल काव्य के लिए ही नहीं बल्कि गद्य के लिए भी हैं ।

तत्समनिष्ठ 'ग्रंथिक' भाषा का प्रयोग करने वाले विद्वान 'पद (गेय) कविता' को हेय दृष्टि से देखते थे । आधुनिक काल में ही 'पद कविता' को आदर प्राप्त हुआ तथा उसकी भाषिक और साहित्यिक विशेषताओं का उद्घाटन भी हुआ । काव्य के क्षेत्र में पद रचना के प्रथम कवि के रूप में अन्नमाचार्य को जाना जाता है । भाषा की दृष्टि से पद कविता में ग्रांथिक काव्यभाषा से भिन्न विशेषताएँ हैं। जैसे दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों को ग्रहण किया जाता है तथा मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से अभिव्यंजना को जीवंत भाषा का रूप प्रदान किया जाता है । अर्थात पद कविता में व्यावहारिक भाषा प्रयोगों को भलीभाँति देखा जा सकता है ।

यह पहले भी संकेत किया जा चुका है कि कुछ विद्वान व्यावहारिक भाषा प्रयोग को आदर्श के रूप में नहीं स्वीकारते । गिडुगु राममूर्ति पंतुलु (1863-1940) ने व्यावहारिक भाषा आंदोलन का सूत्रपात किया । उन्होंने सोदाहरण सिद्ध किया कि ग्रांथिक भाषा के व्याकरणिक नियमों में एकरूपता दिखाई नहीं देती । 1900 के आसपास व्यावहारिक भाषा आंदोलन ने जोर पकड़ा और 1940 तक हर क्षेत्र में व्यावहारिक भाषा प्रतिष्ठित हो गई । गुरजाडा अप्पाराव, कंदुकूरी वीरेशलिंगम पंतुलु आदि ने व्यावहारिक भाषा का समर्थन किया और साहित्य में खुलकर इसका प्रयोग किया । गिडुगु राममूर्ति पंतुलु व्यावहारिक भाषा के प्रबल समर्थक तो थे, पर वे व्यावहारिक भाषा के नाम पर भाषा में विशृंखलता या उसके विकृत रूप के समर्थक नहीं थे ।

तेलुगु भाषा में आगत शब्द

तेलुगु में अन्य भाषा के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता है । अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं के अनेक शब्द तेलुगु भाषा की प्रकृति के अनुरूप इतना घुलमिल गए कि वे तेलुगु भाषा के ही शब्द प्रतीत होते हैं । कुछ शब्दों को तेलुगु भाषा के अनुरूप रूप परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है । अर्थगत समानता एवं रूपगत समानता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं- अंग्रेजी शब्द : रोड्डु (रोड), स्टेशनु (स्टेशन), फोनु (फोन), बुक्कु (बुक) आदि । अरबी-फारसी शब्द : हाजरु (हाजिर), गुलामु (गुलाम), सवालु (सवाल), अमलु (अमल), दीवानु (दीवान), तराजू (तराजू), मसीदु (मसीद), जलतारा (जरतार), अल्ला (अल्लाह), कमीजु (कमीज), अव्वल (अव्वल), आखरु (आखिर)। पुर्तगाली शब्द : तुवालु (तोवाल्या, तोलिया), बातु (पातु, बतख) । कन्नड शब्द : गुर्तु (गोत्तु, चिह्न), हेच्चु (उच्च) । तमिल शब्द : इडली, सांभारु (सांभर), मालिग (मालिगा, भवन) आदि । हिंदी : उजाडु (उजाड़) । तेलुगु भाषा में प्रयुक्त कुछ आगत शब्दों की सूची नीचे प्रस्तुत की जा रही है जो रूप एवं अर्थ में समान हैं -

इस तरह हिंदी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के अनेक शब्द तेलुगु भाषा में समाहित हो चुके हैं । इनके अतिरिक्त बांग्ला, मराठी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी से भी शब्द ग्रहण किए गए हैं । भले ही

	तेलुगु शब्द	मूल भाषा	मूल भाषा में अर्थ
1.	अटकाइंचु	हिंदी	अटकाना
2.	अमलु	अरबी	कार्यान्वित करना
3.	अर्जी	अरबी	प्रार्थना करना
4.	अलका	हिंदी	हल्का
5.	अव्वल	अरबी	श्रेष्ठ
6.	आवारा	पर्शियन	आवारा
7.	इजाफा	अरबी	वृद्धि
8.	उजाडु	हिंदी	उजाड़ना
9.	खैदु	अरबी	कैद
10.	खैदी	अरबी	क़ैदी
11.	गप्पालु	हिंदी	गप
12.	तकरारु	हिंदी	तकरार
13.	ताजा	फारसी	ताजा
14.	दर्जी	अरबी	दर्जी
15.	दस्कत्तु	फारसी	दस्तखत/ हस्ताक्षर
16.	नगदु	हिंदी	नकद
17.	फायिदा	अरबी	फायदा/ लाभ
18.	बदनामु	फारसी	बदनामी
19.	नफा	अरबी	मुनाफा
20.	पर्दा	फारसी	पर्दा

हिंदी की भाँति तेलुगु भाषा की अनेक बोलियाँ नहीं हैं, फिर भी सामाजिक प्रयोग के आधार कुछ अंचल-विशेष भिन्नताएँ अवश्य प्राप्त होती हैं । इस तरह की भिन्नताओं को तेलुगु में 'मांडलिक' (Dialects) कहा जाता है । इस दृष्टि से तेलुगु भाषा क्षेत्र को चार अंचलों में विभाजित किया जा सकता है- तेलंगाना अंचल, रायलसीमा अंचल, गोदावरी-कृष्णा-पेन्ना नदियों का मध्यवर्ती अंचल और श्रीकाकुलम-विशाखापट्टनम अंचल । इन अंचलों में कुछ वस्तुओं के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिए शकरकंद के लिए एक क्षेत्र में 'गेनिसिगड्डा' का प्रयोग किया जाता है तो एक क्षेत्र में 'चिलकडदुंपा' का प्रयोग किया जाता है । 'आलू' के लिए 'उर्लागड्डा' (रायलसीमा), 'बंगालदुंपा' (श्रीकाकुलम) और 'आलूगड्डा' (तेलंगाना) का प्रयोग देखा जा सकता है । तेलंगाना की तेलुगु पर जहाँ उर्दू का प्रभाव है वहीं श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम की भाषा पर उड़िया का प्रभाव दिखाई पड़ता है । रायलसीमा- विशेष रूप से चित्तूर जिले की- भाषा पर तमिल का प्रभाव है । इन अंचल-विशेष भाषा रूपों में साहित्य का सृजन भी हुआ है । श्रीकाकुलम-विशाखापट्टनम अंचल-विशेष की भाषा का प्रयोग राविशास्त्री (राचाकोंडा विश्वनाथ शास्त्री : 1922-1933) और काळीपट्टनम रामाराव (1924) की रचनाओं में देखा जा सकता है तो चित्तूर जिले की भाषा में मधुरांतकम राजाराम (1930-1999), कडपा जिले की

शेष पृष्ठ संख्या 20 पर

हिन्दी भाषा को उसके अपने ही घर में तोड़ने का प्रयास- सावधान रहने की जरूरत

प्रो. महावीर सरन जैन

मैं सन् 1992 से लेकर सन् 2001 तक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का निदेशक था । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का अधिकांश काम अंग्रेजी में ही होता है । राजनेता मंत्री पद पर बैठने के बाद अपने मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की सलाह के अनुरूप काम करते हैं। अधिकांश अधिकारी अंग्रेजी मोह से ग्रसित हैं । अगर वे हिन्दी के प्रति समर्थक टिप्पण लिखें तो कोई कारण नहीं है कि हिन्दी का प्रयोग न बढ़े अथवा कोई भी ताकत हिन्दी को उसके अपने ही घर में तोड़ने में सफलता प्राप्त कर सके । सन् 1992 में मध्य प्रदेश के एक माननीय मंत्री ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मध्य प्रदेश की हिन्दी की एक क्षेत्रीय उपभाषा की "भाषा अकादमी" स्थापित करने के लिए अनुदान की माँग की । मंत्रालय ने उनका माँग-पत्र मेरे पास टिप्पण देने के लिए भेजा । मैंने टिप्पण लिखा: ष्भारत सरकार को इस माँग पर विचार करने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश हिन्दी भाषी राज्य है अथवा बुन्देली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं का राज्य हैं । मेरे टिप्पण के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री जी का प्रस्ताव ठंढ़े बस्ते में डाल दिया गया । जब से विश्व के प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथों ने यह स्वीकार किया है कि चीनी भाषा के बाद हिन्दी के मातृभाषियों की संख्या सर्वाधिक है, कुछ ताकतें अपनी पूरी शक्ति से हिन्दी को उसके अपने ही घर में तोड़ने का कुचक्र एवं षड़यंत्र रच रही हैं । यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिन्दी का मतलब केवल खड़ी बोली है । सामान्य व्यक्ति ही नहीं, हिन्दी के तथाकथित विद्वान भी हिन्दी का अर्थ खड़ी बोली मानने की भूल कर रहे हैं । हिन्दी साहित्य को जिंदगी भर पढ़ाने वाले, हिन्दी की रोजी-रोटी खाने वाले, हिन्दी की कक्षाओं में हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्यापति, जायसी, तुलसीदास, सूरदास जैसे हिन्दी के महान साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक तथा इन पर शोध एवं अनुसंधान करने एवं कराने वाले आलोचक भी न जाने किस लालच में या आँखों पर पट्टी बाँधकर यह घोषणा कर रहे हैं कि हिन्दी का अर्थ तो केवल खड़ी बोली है । भाषा-विज्ञान के, भाषा-भूगोल एवं बोली-विज्ञान के सिद्धांतों से अनभिज्ञ ये लोग ऐसे वक्तव्य देते हैं जैसे वे भाषा-विज्ञान के भी पंडित हैं ।

किसी भाषा का मानक रूप उस भाषा का एक रूप होता है। केवल मानक भाषा ही भाषा नहीं होती । अपने भाषा-क्षेत्र में प्रयुक्त समस्त भाषिक-रूपों की समष्टि का नाम 'भाषा' है । यह भाषावैज्ञानिक तथ्य है । संसार भर के भाषा वैज्ञानिक इसको स्वीकार करते हैं । बोली विज्ञान एवं भाषा-भूगोल का अध्ययन करने पर इस सत्य का सहज ज्ञान हो जाएगा । हिन्दी को उसके अपने ही घर में तोड़ने की साजिश रचने वालों के इरादों का पता लगाया जाना चाहिए। वे किस कारण से यह पाप कर रहे हैं । वे अपने अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे है अथवा किसी स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं- इसको जानना चाहिए । मैं यह कहने से अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि अनेक ताकतों के द्वारा हिन्दी भाषा क्षेत्र के अनेक भागों के लोगों के मन में क्षेत्रीय भावनाओं को उभारकर एवं भड़काकर हिन्दी की संश्लिष्ट परम्परा को छिन्न-भिन्न करने का पाप कर्म हो रहा है । हिन्दी के प्रेमियों को सचेत होने की जरूरत है । सामान्य व्यक्ति को तो जाने ही दीजिए, इस सम्बंध में हिन्दी के अनेक विद्वानों तथा आलोचकों के विचार और अवधारणाएँ भी संशयग्रस्त / संदिग्ध / दुविधाग्रस्त / भ्रामक हैं । उदाहरण के लिए हिन्दी की जिन्दगी भर रोटी खाने वाले तथा हिन्दी के शीर्षस्थ पदों पर काम करने वाले तथा प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने सन् 2009 में हिन्दी के प्रति द्रोही, षड़यंत्रकारी एवं घातक वक्तव्य दिया- "हिंदी समूचे देश की भाषा नहीं है वरन् वह तो अब एक प्रदेश की भाषा भी नहीं है । उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की भाषा भी हिंदी नहीं है । वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएँ यथा अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि हैं । यह मेरी बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । नामवर सिंह जैसे लोगों को उत्तर देने तथा उनके समान भ्रमित हिन्दी के अन्य विद्वानों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए मैंने सन् 2009 में एक लेख लिखा, जो पाठक चाहें वे उस लेख को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक है:

रचनाकार: महावीर सरन जैन का आलेख : क्या उत्तर प्रदेश एवं बिहार हिन्दी भाषी राज्य नहीं हैं ?

www.rachanakar.org@2009@09@blog&post_08.html

हिन्दी के प्रेमियों से मेरा यह अनुरोध है कि इस लेख का अध्ययन करने की अनुकंपा करें जिससे जो ताकतें हिन्दी को उसके अपने ही घर में तोड़ने का षड़यंत्र कर रहीं हैं, वे बेनकाब हो सकें । हिन्दी के घर के क्या अर्थ है । यह जानना जरूरी है । संसार की प्रत्येक भाषा का भाषा-क्षेत्र होता है । यही उसका घर होता है । 'हिन्दी भाषा क्षेत्र' के उपभाषिक रूप 'हिन्दी भाषा क्षेत्र' के अन्तर्गत भारत के निम्नलिखित राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश समाहित हैं-

1. उत्तर प्रदेश 2. उत्तराखंड 3. बिहार 4. झारखंड 5. मध्यप्रदेश 6. छत्तीसगढ़ 7. राजस्थान 8. हिमाचल प्रदेश 9. हरियाणा 10. दिल्ली 11. चण्डीगढ़ ।

भारत के संविधान की दृष्टि से यही स्थिति है । भाषाविज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक भाषा क्षेत्र में भाषिक भिन्नताएँ होती हैं । किसी ऐसी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती जो जिस 'भाषा क्षेत्र' में बोली जाती है उसमें किसी प्रकार

की क्षेत्रगत एवं वर्गगत भिन्नताएँ न हों । भिन्नत्व की दृष्टि से तो किसी भाषा क्षेत्र में जितने बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं उस भाषा की उतनी ही 'व्यक्ति बोलियाँ' होती हैं । इसी कारण यह कहा जाता है कि भाषा की संरचक 'बोलियाँ' होती हैं तथा बोलियों की संरचक 'व्यक्ति बोलियाँ' । इसी को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 'व्यक्ति बोलियों' के समूह को 'बोली' तथा 'बोलियों' के समूह को भाषा कहते हैं । बोलियों की समष्टि का नाम ही भाषा है । किसी भाषा की बोलियों से इतर व्यवहार में सामान्य व्यक्ति भाषा के जिस रूप को 'भाषा' के नाम से अभिहित करते हैं वह तत्वत: भाषा नहीं होती । भाषा का यह रूप उस भाषा क्षेत्र के किसी बोली अथवा बोलियों के आधार पर विकसित उस भाषा का 'मानक भाषा रूप'/ 'व्यावहारिक भाषा रूप' होता है । भाषा विज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति इसी को 'भाषा' कहने लगते हैं तथा 'भाषा क्षेत्र' की बोलियों को अविकसित, हीन एवं गँवारू कहने, मानने एवं समझने लगते हैं ।

भारतीय भाषिक परम्परा इस दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक रही है । भारतीय परम्परा ने भाषा के अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषिक रूपों को 'देस भाखा अथवा देसी भाषा' के नाम से पुकारा तथा घोषणा की कि देसी वचन सब को मीठे लगते हैं- 'देसिल बअना सब जन मिट्ठा' । (विशेष अध्ययन के लिए देखें- प्रोफेसर महावीर सरन जैन : भाषा एवं भाषा विज्ञान, अध्याय 4- भाषा के विविध रूप एवं प्रकार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1985) हिन्दी भाषा क्षेत्र में हिन्दी की मुख्यत: 20 बोलियाँ अथवा उपभाषाएँ बोली जाती हैं । इन 20 बोलियों अथवा उपभाषाओं को ऐतिहासिक परम्परा से पाँच वर्गों में विभक्त किया जाता है- पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी और पहाड़ी हिन्दी ।

(क) पश्चिमी हिन्दी- 1. खड़ी बोली 2. ब्रजभाषा 3. हरियाणवी 4. बुन्देली 5. कन्नौजी

(ख) पूर्वी हिन्दी- 1. अवधी 2. बघेली 3. छत्तीसगढ़ी

(ग) राजस्थानी- 1. मारवाड़ी 2. मेवाती 3. जयपुरी 4. मालवी

(घ) बिहारी- 1. भोजपुरी 2. मैथिली 3. मगही 4. अंगिका 5. बज्जिका

(ङ) पहाड़ी- 1. कुमाऊँनी 2. गढ़वाली 3. हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली हिन्दी की अनेक बोलियाँ जिन्हें आम बोलचाल में 'पहाड़ी' नाम से पुकारा जाता है ।

टिप्पण-

(क) मैथिली- मैथिली को अलग भाषा का दर्जा दे दिया गया है हॉलाकि हिन्दी साहित्य के पाठ्यक्रम में अभी भी मैथिली कवि विद्यापति पढ़ाए जाते हैं तथा जब नेपाल में मैथिली आदि भाषिक रूपों के बोलने वाले मधेसी लोगों पर दमनात्मक कार्रवाई होती है तो वे अपनी पहचान 'हिन्दी भाषी' के रूप में उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मुम्बई में रहने वाले भोजपुरी, मगही, मैथिली एवं अवधी आदि बोलने वाले अपनी पहचान 'हिन्दी भाषी' के रूप में करते हैं ।

(ख) छत्तीसगढ़ी एवं भोजपुरी- जबसे मैथिली एवं छत्तीसगढ़ी को अलग भाषाओं का दर्जा मिला है तब से भोजपुरी को भी अलग भाषा का दर्जा दिए जाने की माँग प्रबल हो गई है । हिन्दी को उसके अपने ही घर में तोड़ने का सिलसिला मैथिली एवं छत्तीसगढ़ी से आरम्भ हो गया है । मैथिली पर टिप्पण लिखा जा चुका है । छत्तीसगढ़ी एवं भोजपुरी के सम्बंध में कुछ विचार द्रष्ट्व्य हैं ।

जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक छत्तीसगढ़ी को हिन्दी की बोली माना जाता था । रायपुर विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. रमेश चन्द्र महरोत्रा का सन् 1976 में "Distance among Twenty&Two Dialects of Hindi depending on the parallel forms of the most frequent siñty&two words of Hindi" शीर्षक आलेख रायपुर से भाषिकी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ जिसमें हिन्दी की 22 बोलियों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी समाहित है । मैं भोजपुरी के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । लेखक को जबलपुर के विश्वविद्यालय में डॉ. उदय नारायण तिवारी जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोजपुरी की भाषिक स्थिति को लेकर अकसर हमारे बीच विचार विमर्श होता था । उनके जामाता डॉ. शिव गोपाल मिश्र उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला आयोजित करते हैं । इस वर्ष 26 जून, 2013 को मुझे हिन्दुस्तानी एकाडमी, इलाहाबाद के श्री बृजेशचन्द्र का डॉ. उदय नारायण तिवारी व्याख्यानमाला का आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ । व्याख्यान का विषय भोजपुरी भाषा था । मैंने उसी दिन व्याख्यान के सम्बन्ध में डॉ. शिव गोपाल मिश्र को जो पत्र लिखा उसका व्याख्यान के विषय से सम्बन्धित अंश पाठकों के अवलोकनार्थ अविकल प्रस्तुत है-

डॉ. उदय नारायण तिवारी जी ने भोजपुरी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन किया । उनके अध्ययन का वही महत्त्व है जो सुनीति कुमार चटर्जी के बांग्ला पर सम्पन्न कार्य का है । इस विषय पर हमारे बीच अनेक बार संवाद हुए । कई बार मत भिन्नता भी हुई । जब मैं भाषा-भूगोल एवं बोली-विज्ञान के सिद्धांतों के आलोक में हिन्दी भाषा-क्षेत्र की विवेचना करता था तो डॉ. तिवारी जी इस मत से सहमत हो जाते थे कि हिन्दी भाषा-क्षेत्र के अंतर्गत भारत के जितने राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश समाहित हैं, उन समस्त क्षेत्र में जो भाषिक रूप बोले जाते हैं, उनकी समष्टि का नाम हिन्दी है । खड़ी बोली ही हिन्दी नहीं है, अपितु यह भी हिन्दी भाषा-क्षेत्र का उसी प्रकार एक क्षेत्रीय भेद है जिस प्रकार हिन्दी भाषा-क्षेत्र के अन्य अनेक क्षेत्रीय भेद हैं । मगर कभी-कभी उनका तर्क होता था कि खड़ी बोली बोलने वाले और भोजपुरी बोलने वालों के बीच

बोधगम्यता बहुत कम होती है । इस कारण भोजपुरी को यदि अलग भाषा माना जाता है तो इसमें क्या हानि है । जब मैं कहता था कि भाषाविज्ञान का सिद्धांत है कि संसार में प्रत्येक भाषा-क्षेत्र में भाषिक भिन्नताएँ होती हैं । हम ऐसी किसी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते जिसके भाषा-क्षेत्र में क्षेत्रगत एवं वर्गगत भिन्नताएँ न हों । इस पर डॉ. तिवारी जी असमंजस में पड़ जाते थे । अनेक वर्षों के संवाद के अनंतर एक दिन डॉ. तिवारी जी ने मुझे अपने मन के रहस्य से अवगत कराया । उनके शब्द थे:

जब मैं ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अपने अध्ययन के आधार पर विचार करता हूँ तो मुझे भोजपुरी की स्थिति हिन्दी से अलग भिन्न भाषा की लगती है मगर जब मैं संकालिक भाषाविज्ञान के सिद्धांतों की दृष्टि से सोचता हूँ, तो पाता हूँ कि भोजपुरी भी हिन्दी भाषा-क्षेत्र का एक क्षेत्रीय रूप है ।" विनय है कि भोजपुरी को अलग भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कटिबद्ध चिंतक तटस्थ भाव से इस पर मनन करें ।

(ग) राजस्थानी- सन् 1978 में, मैं 'श्रीमद् जवाहराचार्य स्मृति व्याख्यानमाला' के अंतर्गत "विश्व शान्ति एवं अहिंसा" विषय पर व्याख्यान देने कलकत्ता (कोलकोता) गया था । वहाँ सरदारमल जी कांकरिया के निवास पर मेरा संवाद राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए आन्दोलन चलाने वाले तथा राजस्थानी में "धरती धौरां री" एवं "पातल और पीथल" जैसी कृतियों की रचना करने वाले कन्हैया लाल सेठिया जी से हुआ । उनका आग्रह था कि राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिलना चाहिए । मैंने उनसे अपने आग्रह पर पुनर्विचार करने की कामना व्यक्त की और मुख्यत: निम्न मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया-

(1) ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है । स्वाधीनता आन्दोलन में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के कारण हिन्दी का जितना प्रचार-प्रसार हुआ उसके कारण हमें ग्रियर्सन की दृष्टि से नहीं अपितु डॉ. धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषाविदों की दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

(2) राजस्थानी भाषा जैसी कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है । राजस्थान में 1. मारवाड़ी 2..मेवाती 3. जयपुरी 4.मालवी आदि विविध भाषिक रूप बोले जाते हैं जिन्हें हिन्दी के रूप मानने में क्या आपत्ति हो सकती है ।

(3) यदि आप राजस्थानी का मतलब केवल मारवाड़ी से लेंगे तो क्या मेवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, हाड़ौती, शेखावाटी आदि अन्य भाषिक रूपों के बोलने वाले अपने अपने भाषिक रूपों के लिए आवाज नहीं उठायेंगे ।

(4) भारत की भाषिक परम्परा रही है कि एक भाषा के हजारों भूरि भेद माने गए हैं मगर अंतर क्षेत्रीय सम्पर्क के लिए एक भाषा की मान्यता रही है ।

(5) हिन्दी साहित्य की संश्लिष्ट परम्परा रही है । इसी कारण हिन्दी साहित्य के अंतर्गत रास एवं रासो साहित्य की रचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है ।

(6) राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित हिन्दी कथा साहित्य एवं हिन्दी फिल्मों में जिस राजस्थानी मिश्रित हिन्दी का प्रयोग होता है उसे हिन्दी भाषा क्षेत्र के प्रत्येक भाग का रहने वाला समझ लेता है ।

(7) मारवाड़ी लोग व्यापार के कारण भारत के प्रत्येक राज्य में निवास करते हैं तथा अपनी पहचान हिन्दी भाषी के रूप में करते हैं । यदि आप राजस्थानी को हिन्दी से अलग मान्यता दिलाने का प्रयास करेंगे तो राजस्थान के बाहर रहने वाले मारवाड़ी व्यापारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं ।

(8) भारतीय भाषाओं के अस्तित्व एवं महत्त्व को अंग्रेजी से खतरा है । संसार में अंग्रेजी भाषियों की जितनी संख्या है उससे अधिक संख्या केवल हिन्दी भाषियों की है । यदि हिन्दी के उपभाषिक रूपों को हिन्दी से अलग मान लिया जाएगा तो भारत की कोई भाषा अंग्रेजी से टक्कर नहीं ले सकेगी और धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं के अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा ।

(घ) पहाड़ी- डॉ. सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'पहाड़ी' समुदाय के अन्तर्गत बोली जाने वाली भाषिक रूपों को तीन शाखाओं में बाँटा- (अ) पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, (आ) मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी (इ) पश्चिमी पहाड़ी ।

हिन्दी भाषा के संदर्भ में वर्तमान स्थिति यह है कि हिन्दी भाषा के अन्तर्गत मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी की उत्तराखंड में बोली जाने वाली 1. कुमाऊँनी 2. गढ़वाली तथा पश्चिमी पहाड़ी की हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली हिन्दी की अनेक बोलियाँ हैं जिन्हें आम बोलचाल में 'पहाड़ी' नाम से पुकारा जाता है । हिन्दी भाषा के संदर्भ में विचारणीय है कि अवधी, बुन्देली, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि को हिन्दी भाषा की बोलियाँ माना जाए अथवा उपभाषाएँ माना जाए । सामान्य रूप से इन्हें बोलियों के नाम से अभिहित किया जाता है किन्तु लेखक ने अपने ग्रन्थ 'भाषा एवं भाषाविज्ञान' में इन्हें उपभाषा मानने का प्रस्ताव किया है । 'क्षेत्र, बोलने वालों की संख्या तथा परस्- पर भिन्नताओं के कारण इनको बोली की अपेक्षा उपभाषा मानना अधिक संगत है । (भाषा एवं भाषाविज्ञान, पृष्ठ 60)

इसी ग्रन्थ में लेखक ने पाठकों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि हिन्दी की कुछ उपभाषाओं के भी क्षेत्रगत भेद हैं जिन्हें उन उपभाषाओं की बोलियों अथवा उपबोलियों के नाम से पुकारा जा सकता है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन उपभाषाओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है । प्रत्येक दो उपभाषाओं के मध्य संक्रमण क्षेत्र विद्यमान है।

हिन्दी भाषा का मानक भाषा रूप

विश्व की प्रत्येक भाषा की विविध बोली अथवा उपभाषा क्षेत्रों में से विभिन्न सांस्कृतिक कारणों से जब कोई एक क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है तो उस क्षेत्र के भाषा रूप का सम्पूर्ण भाषा क्षेत्र में प्रसारण होने लगता है । इस क्षेत्र के भाषारूप के आधार पर पूरे भाषाक्षेत्र की 'मानक भाषा' का विकास होना आरम्भ हो जाता है। भाषा के प्रत्येक क्षेत्र के निवासी इस भाषारूप को 'मानक भाषा' मानने लगते हैं । इसको मानक मानने के कारण यह मानक भाषा रूप 'भाषा क्षेत्र' के लिए सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बन जाता है । मानक भाषा रूप की शब्दावली, व्याकरण एवं उच्चारण का स्वरूप अधिक निश्चित एवं स्थिर होता है एवं इसका प्रचार, प्रसार एवं विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में होने लगता है । कलात्मक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम एवं शिक्षा का माध्यम यही मानक भाषा रूप हो जाता है । इस प्रकार भाषा के 'मानक भाषा रूप' का आधार उस भाषाक्षेत्र की क्षेत्रीय बोली अथवा उपभाषा ही होती है, किन्तु मानक भाषा होने के कारण चूँकि इसका प्रसार अन्य बोली क्षेत्रों अथवा उपभाषा क्षेत्रों में होता है इस कारण इस भाषारूप पर 'भाषा क्षेत्र' की सभी बोलियों का प्रभाव पड़ता है तथा यह भी सभी बोलियों अथवा उपभाषाओं को प्रभावित करता है । उस भाषा क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग करते हैं। भाषा के मानक भाषा रूप को सामान्य व्यक्ति अपने भाषा क्षेत्र की 'मूल भाषा', 'केन्द्रक भाषा', 'मानक भाषा' के नाम से पुकारते हैं । यदि किसी भाषा का क्षेत्र हिन्दी भाषा की तरह विस्तृत होता है तथा यदि उसमें 'हिन्दी भाषा क्षेत्र' की भाँति उपभाषाओं एवं बोलियों की अनेक परतें एवं स्तर होते हैं तो 'मानक भाषा' के द्वारा समस्त भाषा क्षेत्र में विचारों का आदान-प्रदान सम्भव हो पाता है । भाषा क्षेत्र के यदि आंशिक अबोधगम्य उपभाषी अथवा बोली बोलने वाले परस्पर अपनी उपभाषा अथवा बोली के माध्यम से विचारों का समुचित आदान-प्रदान नहीं कर पाते तो इसी मानक भाषा के द्वारा संप्रेषण करते हैं । भाषा विज्ञान में इस प्रकार की बोधगम्यता को 'पारस्परिक बोधगम्यता' न कहकर 'एकतरफा बोधगम्यता' कहते हैं। ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र के व्यक्ति से क्षेत्रीय बोली में बातें होती हैं किन्तु दूसरे उपभाषा क्षेत्र अथवा बोली क्षेत्र के व्यक्ति से अथवा औपचारिक अवसरों पर मानक भाषा के द्वारा बातचीत होती हैं । इस प्रकार की भाषिक स्थिति को फर्गुसन ने बोलियों की परत पर मानक भाषा का अध्यारोपण कहा है (डायग्लोसिया: वॅर्ड, 15 पृष्ठ 325 ख्र 340) तथा गम्पर्ज ने इसे 'बाइलेक्टल' के नाम से पुकारा है । (स्पीच वेरिएशन एण्ड द: स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन एनथ्रोपोलोजिस्ट, खण्ड 63, पृष्ठ 976-988) ।

हिन्दी भाषा क्षेत्र में सामाजिक संप्रेषण हिन्दी भाषा क्षेत्र में अनेक क्षेत्रगत भेद एवं उपभेद तो है हीं; प्रत्येक क्षेत्र के प्राय: प्रत्येक गाँव में सामाजिक भाषिक रूपों के विविध स्तरीकृत तथा जटिल स्तर विद्यमान हैं और यह हिन्दी के सामाजिक संप्रेषण की वास्वविकता है । ये हिन्दी पट्टी के अंदर सामाजिक संप्रेषण के विभिन्न नेटवर्कों के बीच संवाद के कारक हैं । इस हिन्दी भाषा क्षेत्र अथवा पट्टी के गाँवों के रहनेवालों के वाग्व्यवहारों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये भाषिक स्थितियाँ इतनी विविध, विभिन्न एवं मिश्र हैं कि भाषा व्यवहार के स्केल के एक छोर पर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है जो केवल स्थानीय बोली बोलना जानता है तथा जिसकी बातचीत में स्थानीयेतर का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता वहीं दूसरे छोर पर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ठेठ मानक हिन्दी का प्रयोग करता है तथा जिसकी बातचीत में कोई स्थानीय भाषिक प्रभाव परिलक्षित नहीं होता । स्केल के इन दो दूरतम छोरों के बीच बोलचाल के इतने विविध रूप मिल जाते हैं कि उन सबका लेखा-जोखा प्रस्तुत करना असाध्य हो जाता है । हमें ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं जो एकाधिक भाषिक रूपों में दक्ष होते हैं जिसका व्यवहार तथा चयन वे संदर्भ, व्यक्ति, परिस्थियों को ध्यान में रखकर करते हैं । सामान्य रूप से हम पाते हैं कि अपने घर के लोगों से तथा स्थानीय रोजाना मिलने-जुलने वाले घनिष्ठ मित्रों से व्यक्ति जिस भाषा रूप में बातचीत करता है उससे भिन्न भाषा रूप का प्रयोग वह उनसे भिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में करता है । सामाजिक संप्रेषण के अपने प्रतिमान हैं । व्यक्ति प्राय: वाग्व्यवहारों के अवसरानुकूल प्रतिमानों को ध्यान में रखकर बातचीत करता है ।

हम यह कह चुके हैं कि किसी भाषा क्षेत्र की मानक भाषा का आधार कोई बोली अथवा उपभाषा ही होती है किन्तु कालान्तर में उक्त बोली एवं मानक भाषा के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। सम्पूर्ण भाषा क्षेत्र के शिष्ट एवं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा औपचारिक अवसरों पर मानक भाषा का प्रयोग किए जाने के कारण तथा साहित्य का माध्यम बन जाने के कारण स्वरूपगत परिवर्तन स्वाभाविक है । प्रत्येक भाषा क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष के भाषिक रूप के आधार पर उस भाषा का मानक रूप विकसित होता है, जिसका उस भाषा-क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के पढ़े-लिखे व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर प्रयोग करते हैं । हम पाते हैं कि इस मानक हिन्दी अथवा व्यावहारिक हिन्दी का प्रयोग सम्पूर्ण हिन्दी भाषा क्षेत्र में बढ़ रहा है तथा प्रत्येक हिन्दी भाषी व्यक्ति शिक्षित, सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित तथा स्थानीय क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों से वार्तालाप करने के लिए इसी को आदर्श, श्रेष्ठ एवं मानक मानता है । गाँव में रहने वाला एक सामान्य एवं बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति भले ही इसका प्रयोग करने में समर्थ तथा सक्षम न हो फिर भी वह इसके प्रकार्यात्मक मूल्य को पहचानता है तथा वह भी अपने भाषिक रूप को इसके अनुरूप ढालने की जुगाड़ करता रहता है । जो मजदूर शहर में काम करने आते हैं वे किस प्रकार अपने भाषा रूप को बदलने का प्रयास करते हैं- इसको देखा-परखा जा सकता है । [सन् 1960 में लेखक ने बुलन्दशहर एवं खुर्जा तहसीलों (ब्रज एवं खड़ी बोली का संक्रमण क्षेत्र) के भाषिक रूपों का संकालिक

अथवा एककालिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन करना आरम्भ किया । सामग्री संकलन के लिए जब लेखक गाँवों में जाता था तथा वहाँ रहने वालों से बातचीत करता था तबके उनके भाषिक रूपों एवं आज लगभग 50 वर्षों के बाद के भाषिक रूपों में बहुत अंतर आ गया है । मानक हिन्दी अथवा व्यावहारिक हिन्दी का प्रभाव आसानी से पहचाना जा सकता है । अंग्रेजी शब्दों का चलन भी बढ़ा है । यह कहना अप्रासंगिक होगा कि उनकी जिन्दगी में और व्यवहार में भी बहुत बदलाव आया है ।] पूरे भाषा क्षेत्र में इसका व्यवहार होने तथा इसके प्रकार्यात्मक प्रचार-प्रसार के कारण विकसित भाषा का मानक रूप भाषा क्षेत्र के समस्त भाषिक रूपों के बीच संपर्क सेतु का काम करता है तथा कभी-कभी इसी मानक भाषा रूप के आधार पर उस भाषा की पहचान की जाती है ।

हिन्दी के क्षेत्रगत प्रभेदों के अध्ययन के प्रतिमान तथा हिन्दी भाषा

हिन्दी भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । इस कारण इसकी क्षेत्रगत भिन्नताएँ भी बहुत अधिक हैं । 'खड़ी बोली' हिन्दी भाषा क्षेत्र का उसी प्रकार एक भेद है ; जिस प्रकार हिन्दी भाषा के अन्य बहुत से क्षेत्रगत भेद हैं । हिन्दी भाषा क्षेत्र में ऐसी बहुत सी उपभाषाएँ हैं जिनमें पारस्परिक बोधगम्यता का प्रतिशत बहुत कम है किन्तु ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पूर्ण भाषा क्षेत्र एक भाषिक इकाई है तथा इस भाषा-भाषी क्षेत्र के बहुमत भाषा-भाषी अपने-अपने क्षेत्रगत भेदों को हिन्दी भाषा के रूप में मानते एवं स्वीकारते आए हैं । कुछ विद्वानों ने इस भाषा क्षेत्र को हिन्दी पट्टी के नाम से पुकारा है तथा कुछ ने इस हिन्दी भाषी क्षेत्र के निवासियों के लिए 'हिन्दी जाति' का अभिधान दिया है । वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी, चीनी एवं रूसी जैसी भाषाओं के क्षेत्रगत प्रभेदों की विवेचना यूरोप की भाषाओं के आधार पर विकसित पाश्चात्य भाषाविज्ञान के प्रतिमानों के आधार पर नहीं की जा सकती ।

जिस प्रकार अपने 28 राज्यों एवं 09 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारतदेश है, उसी प्रकार भारत के जिन राज्यों एवं शासित प्रदेशों को मिलाकर हिन्दी भाषा क्षेत्र है, उस हिन्दी भाषा-क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भाषिक रूप बोले जाते हैं उनकी समष्टि का नाम हिन्दी भाषा है । हिन्दी भाषा क्षेत्र के प्रत्येक भाग में व्यक्ति स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा रूप में बात करता है । औपचारिक अवसरों पर तथा अन्तर-क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं सार्वदेशिक स्तरों पर भाषा के मानक रूप अथवा व्यावहारिक हिन्दी का प्रयोग होता है । आप विचार करें कि उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी राज्य है अथवा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुन्देली आदि भाषाओं का राज्य है । इसी प्रकार मध्य प्रदेश हिन्दी भाषी राज्य है अथवा बुन्देली, बघेली, मालवी, निमाड़ी आदि भाषाओं का राज्य है । जब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तब संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्गत जितने राज्य हैं उन सबकी समष्टि का नाम ही तो संयुक्त राज्य अमेरिका है । विदेश सेवा में कार्यरत अधिकारी जानते हैं कि कभी देश के नाम से तथा कभी उस देश की राजधानी के नाम से देश की चर्चा होती है । वे ये भी जानते हैं कि देश की राजधानी के नाम से देश की चर्चा भले ही होती है, मगर राजधानी ही देश नहीं होता । इसी प्रकार किसी भाषा के मानक रूप के आधार पर उस भाषा की पहचान की जाती है मगर मानक भाषा, भाषा का एक रूप होता है: मानक भाषा ही भाषा नहीं होती । इसी प्रकार खड़ी बोली के आधार पर मानक हिन्दी का विकास अवश्य हुआ है, किन्तु खड़ी बोली ही हिन्दी नहीं है । तत्वत: हिन्दी भाषा क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भाषिक रूप बोले जाते हैं उन सबकी समष्टि का नाम हिन्दी है । हिन्दी को उसके अपने ही घर में तोड़ने के षडयंत्र को विफल करने की आवश्कता है तथा इस तथ्य को बलपूर्वक रेखांकित, प्रचारित एवं प्रसारित करने की आवश्यकता है कि सन् 1991 की भारतीय जनगणना के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के विश्लेषण का जो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है उसमें मातृभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने वालों की संख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड राज्य सहित) में 90.11, बिहार (झारखण्ड राज्य सहित) में 80.86, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ राज्य सहित) में 85.55, राजस्थान में 89.56, हिमाचल प्रदेश में 88.88, हरियाणा में 91.00, दिल्ली में 81.64, तथा चण्डीगढ़ में 61.06 है ।

-प्रो. महावीर सरन जैन
सेवानिवृत्त निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
सुशीला कुंज, 123, हरि एन्क्लेव
चाँदपुर रोड, बुलंदशहर -203 001

पृष्ठ संख्या 15 का शेष

भाषा में केतु विश्वनाथ रेड्डी (1939) और तेलंगाना की भाषा में दाशरथी कृष्णामाचारी (1925-1987) आदि ने उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया है । यह वैविध्य वस्तुत: तेलुगु भाषा की समृद्धि का प्रतीक है ।

स्वातंत्र्योत्तर कालीन तेलुगु

1947 में भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद जब 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया तो उसमें तेलुगु को अष्टम अनुसूची में सूचीबद्ध 'राष्ट्र की भाषाओं' में स्थान दिया गया । आज वह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है । साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दो राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। 2008 में तेलुगु को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में भी स्थान दिया गया । हिंदी और बंगाली के बाद तेलुगु भारत की सर्वाधिक व्यवहृत भाषा है ।

डॉ. गुर्रमकोंडा नीरजा
सह संपादक 'स्रवंति'
एसोसिएट प्रोफेसर, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास, टी.नगर, चेन्नै-600017

राजभाषा से राष्ट्रभाषा की यात्रा

विजय प्रभाकर नगरकर

भारत एक बहुभाषिक देश है । विश्व में भारत की यह विशेषता रही है कि स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया । राजभाषा स्वीकार होने के बाद देश का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश के सभी नेताओं ने राजभाषा प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे । विभिन्न प्रांतों के नेताओं ने हिन्दी को उदार अंत:करण से एक मत से हिन्दी को स्वीकार किया था । महात्मा गाँधी जी के आदेश पर स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व सभी नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देश में प्रचलित-प्रसारित किया था । तब यह प्रमुख उद्देश्य था कि देश की जनता को एक भाषा द्वारा जागरूक करना और उन्हें संगठित करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष करना ।

मराठी भाषी केशव पेठे जी ने 1893 ई. में 'राष्ट्रभाषा किंवा सर्व हिन्दुस्थानची एक भाषा करणे' नामक पुस्तक पुणे से प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने हिन्दी को सर्वस्वीकृत राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था । राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है- समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात् आमजन की भाषा (जनभाषा) । जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन-जन के विचार-विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है । राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद सम्पर्क की आवश्यकता की उपज होती है । विश्व में अनेक संपर्क भाषाएँ (लिंगुआ फ्रैंका) प्रचलित हैं । फ्रांका मतलब मुक्त, उदार, जोड़नेवाली भाषा । भाषा, व्यापार, सत्ता विस्तार, धार्मिक कारणों से विश्व के विस्तृत समूह में एक संपर्क भाषा विकसित हो गई । विभिन्न भाषिक समूह में यह संपर्क भाषा प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है । भारत में प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी । उत्तर से दक्षिण तक संस्कृत के विद्वान संपर्क करने में सक्षम थे । समय परिवर्तन के अनुसार अब भारत में हिन्दी एक सशक्त संपर्क भाषा है। भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की भाषाविद् श्रीमती राज्यश्री ने मुंबई, धारावी झोपड़पट्टी की संपर्क भाषा पर अनुसंधान किया । तब यह पता चला कि धारावी में देश के विभिन्न प्रांतों से बहुभाषिक लोग आजीविका हेतु आकर बस गए हैं, उनके बीच हिन्दी संपर्क भाषा है। हिन्दी भारत सरकार के राजनीतिक, प्रशासनिक मामलों के लिए 'राजभाषा' है । अब हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है । हिन्दी राष्ट्रभाषा होने का कोई उल्लेख संविधान में उपलब्ध नहीं है । हिन्दी भारतीय संविधान में राजभाषा है। किसी भी भारतीय भाषा को अभी तक 'राष्ट्रभाषा' घोषित नहीं किया गया है ।

देश में हिन्दी विरोधी मुहिम के दौरान यह बात हमेशा कही जाती है कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है । हिन्दी के विरोध में यह विचार कितना सच है इस बात की चर्चा होनी चाहिए । विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं की गई है । कुछ देशों में तो राजभाषा भी स्वीकृत नहीं हुई है । इस स्थिति में भारत सरकार की भाषा नीति बहुत स्पष्ट और सुनियोजित है । आजकल प्रांतवाद के कारण राष्ट्रभाषा के नाम पर इस देश में भाषिक असंतोष निर्माण किया जा रहा है । हर राज्य में अपनी प्रांतीय भाषा का विशेष महत्त्व है । प्रांतीय भाषा अस्मिता के कारण राष्ट्रहित को राजनीतिक कारणों से नजर अंदाज किया जाता है । आइए, हम राष्ट्रभाषा और हिन्दी की अवधारणा पर विचार करते हैं । भविष्य में यदि कोई नीति तय की जाती है तो कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है ।

राष्ट्रभाषा के मानक बिन्दु

भाषाविद् सीएमबी ब्रैन के अनुसार - किसी भी देश की राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण करने के लिए चार विशेष गुणों का समावेश होना आवश्यक है । ये गुण हैं-

1) वह भाषा उस देश की क्षेत्रीय भाषा या किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की भाषा होनी चाहिए ।

2) वह क्षेत्रीय भाषा जो उस देश के विशिष्ट क्षेत्र उत्तर, दक्षिण आदि में बहुप्रचलित होनी चाहिए ।

3) पूरे देश में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा जो उस देश में सरकारी काम के लिए राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रयोग की जाती है ।

अंतिम दो विशेषताएँ अधिकांश भाषाओं को उस देश की वास्तविक या कानूनी राष्ट्रीय भाषा बनाती हैं ।

महात्मा गाँधी की परिभाषा

20 अक्टूबर, 1917 को उन्होंने भरोच में दूसरे गुजरात शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय भाषा की अवधारणा पेश की । वे कहते हैं-

1. सरकारी नौकरियों के लिए वह भाषा समझने में आसान होनी चाहिए ।
2. उस भाषा को भारत के भीतर धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों को सक्षम करना चाहिए ।
3. यह भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जानी चाहिए।
4. यह भाषा राष्ट्र के लिए सरल होनी चाहिए ।
5. इस भाषा को क्षणिक और अस्थायी नहीं समझना चाहिए ।

इस पंचसूत्र को देखकर कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा ।

हिन्दी का राष्ट्रीय महत्त्व

भारतीय भाषा परिवार में संस्कृत को माता का स्थान और अन्य सभी भाषाओं में बहनों का स्थान है । हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन है । 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार, हिन्दी बोलने वालों की संख्या कुल भारतीय जनसंख्या का 40.20 है । सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मैसूर एंड सेंसस 1991 के अनुसार अन्य भारतीय भाषाओं का प्रतिशत मराठी-7.50, बंगाली-8.30, तेलुगु-7.90, तमिल-6.30, कन्नड़-3.90, मलयालम-3.60, पंजाबी-2.80, उड़िया-3.30, गुजराती 4.90, उर्दू-5.20, असमिया-1.40 ।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं । इसके अतिरिक्त भारत में 844 विभिन्न बोलियां मौजूद हैं। भारत में हिन्दी की स्थिति को देखते हुए, यह राष्ट्रभाषा हो सकती है, लेकिन कुछ राज्य हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का विरोध कर रहे हैं । भाषा की राजनीति में देशों की अखंडता को खतरे में न डालने के लिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू ने अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी और हिन्दी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया । स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रभाषा का मुद्दा विचाराधीन रहा है । सभी की राजनीतिक एकता पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रभाषा का निर्णय किया जा सकता है । द कैम्ब्रिज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज के अनुसार, हिन्दी पहली बीस विश्व भाषाओं में चौथे और जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है । हिन्दी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में द्विभाषी स्थिति के कारण, कई राज्यों में हिन्दी को दूसरी भाषा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है । महाराष्ट्र में मराठी के बाद हिन्दी समझने वाले 86.17 लोग हिन्दी का उपयोग करते हैं । भारतीय भाषा परिवार में हिन्दी को दूसरी भाषा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है । हिन्दी के संदर्भ में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1948 में भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा (राजभाषा) शब्दों का इस्तेमाल किया । संविधान समिति ने राज्य भाषा के लिए राजभाषा का हिन्दी में अनुवाद किया है । कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया है । सरकारी कामकाज, प्रशासन, लोकसभा और राज्य विधानसभा और न्यायपालिका में राजभाषा यानी हिन्दी के प्रयोग को स्वीकार किया गया है ।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति के विचार

भारतीय संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने लोकसभा में राजभाषा हिन्दी पर हुई चर्चा के उपरांत दिनांक 14.9.1949 को सभा को संबोधित किया । राजभाषा हिन्दी को स्वीकार करने पर उन्होंने हिन्दीतर सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त किया, क्योंकि राष्ट्रीय एकता एवं स्वाभिमान के लिए किसी एक भारतीय भाषा को राजभाषा के रुप में स्वीकार करना आवश्यक था । इस भाषण में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि राजभाषा हिन्दी को बहुमत से स्वीकार किया गया है । वर्तमान राजनीति में हिन्दी को राष्ट्रभाषा न मानने की होड़ लगी है जो देश की एकता के लिए घातक है । हमें भारतीय भाषा भगिनी परिवार में एकता एवं समन्वयन रखना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र की संस्कृति एक है । जिस तरह एक देश, एक राष्ट्रीय ध्वज, एक राष्ट्रगीत एवं एक राष्ट्रभाषा की संकल्पना को विश्व में स्वीकार किया जाता है उसी तरह हमारे देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतिकों का सम्मान करना चाहिए जो अनिवार्य भी और हितकारी भी होगा । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी राजभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । हिन्दी के विकास के लिए जो विशेष निदेश जारी किए गए हैं उसके अनुसार हिन्दी भाषा किसी एक प्रांत की विशेष भाषा नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप संपूर्ण राष्ट्र के सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है । संस्कृत को मूल आधार बना दिया गया है और हिन्दी को विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है ।

डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल, पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, कॉर्पोरेशन बैंक ने हिन्दी भाषा के प्रसार पर शोध कर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है । अपने शोध प्रबंध में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि विश्व की सांख्यिकी के अनुसार हिन्दी विश्व की प्रथम भाषा है । उन्होंने ये आँकड़े वर्ड अल्मैनिक से लिए हैं । उन्होंने विभिन्न देशों में दूतावासों के कई वरिष्ठ सचिवों से भी डेटा एकत्र किया है । उनके आंकड़ों के अनुसार, चीन में कई बोलियाँ हैं और वे मंदारिन में शामिल हैं । चीन में कई बोलियाँ अन्य बोलियों से अपरिचित हैं । दुनिया में एक अरब से अधिक लोग हैं जो हिन्दी को समझते हैं, जो दुनिया के कई देशों में विभाजित हैं । विश्व के भाषाविद् हिन्दी को ही हिन्दी की भाषा मानते हैं, परन्तु हिन्दी में अनेक बोलियाँ हैं । उर्दू का व्याकरण हिन्दी भाषा पर आधारित है । यह कुछ अरबी-फारसी शब्दों के साथ एक शुद्ध भारतीय भाषा है । हिन्दी जानने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से उर्दू समझ सकता है । पाकिस्तान में सिंधी, बलूची और अफगानी भाषाएँ हैं, लेकिन पाकिस्तान के विभाजन में भारतीय मुसलमानों ने अपनी भारतीय भाषा उर्दू वहाँ ले ली । राजनीतिक संरक्षण के कारण उर्दू राष्ट्रीय भाषा नहीं, स्थानीय भाषा बन गई । भारत में 80 प्रतिशत लोग हिन्दी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में समझते हैं । बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी बोल और लिख सकते हैं । दुनिया में अंग्रेजी का प्रतिशत 4.85 है ।

संविधान का अनुच्छेद 351

संविधान का अनुच्छेद 351 बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश-

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों

की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे । इसमें केंद्र सरकार ने राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किए बिना हिन्दी शब्द का प्रयोग किया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर हिन्दी का एकाधिकार नहीं है । जैसे यह महाराष्ट्र की भाषा है, वैसे ही यह तमिल लोगों की भी भाषा है । विश्व में किसी भी देश में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा भी इसमें समाहित की गई है।

स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रभाषा

स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय के सभी राजनीतिक नेताओं द्वारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का उल्लेख किया गया था । वर्धा में महात्मा गाँधी से प्रेरित होकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई । आज केंद्र सरकार ने वर्धा में दुनिया के पहले महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की है । माननीय मधुकर राव चौधरी के कार्य के कारण केंद्र सरकार की यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना महाराष्ट्र की भूमि पर स्थापित की गई है । चूंकि उन्होंने 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस पूरे विश्व में और सभी दूतावासों में मनाया जाता है । 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाने के कारण, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हर वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है । इसका श्रेय वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को भी जाता है ।

सुप्रसिद्ध लेखक डॉ. विमलेश कांति वर्मा जी का मत है कि, "भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित अपनी पुस्तक 'हिन्दी: राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक' तथा 'हिन्दी: मत-अभिमत' पर शोध करते हुए मैंने देखा कि देश के समस्त कूटनीतिज्ञों, विधिवेत्ताओं, मनीषियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय संविधान सभा में एकमत से हिन्दी को देश की प्रमुख भाषा मानते हुए हिन्दी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को सीमित समय (15 वर्ष) के लिए सह-राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उनकी दृष्टि में स्वभाषा, स्वदेश और स्व-संस्कृति के प्रति स्वाभिमान, उसकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा स्वतंत्र और विकसित राष्ट्र की पहली पहचान थी, किन्तु भारत की उदारवादी नीति के कारण हिन्दी के संवैधानिक अधिकार को भुला दिया गया और अंग्रेजी 15 वर्ष क्या 75 वर्ष से राजकाज की भाषा बनी हुई है । भाषा की प्रतिष्ठा और देश के सर्वतोमुखी विकास के लिए चारित्रिक दृढ़ता की आवश्यकता है । भारत की स्वाधीनता के अमृतोत्सव के अवसर पर और देश के चतुर्मुखी विकास के लिए तर्कसम्मत समाधान अष्टम अनुसूची से हिन्दी को हटाकर, हिन्दी को भारतीय संविधान में 'राष्ट्रभाषा' के पद पर अविलंब प्रतिष्ठित करना है । भारतीय भाषा के राष्ट्रभाषा बनने पर भारत की वैश्विक छवि निश्चय ही सुधरेगी ।" प्रत्येक देश की राष्ट्रभाषा का एक इतिहास होता है । गुलाम होने के बाद ही 13वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में अंग्रेजों को फ्रेंच से संघर्ष करना पड़ा । राजभाषा हिन्दी का इतिहास अब 73 वर्ष पुराना है । भाषा की लड़ाई लंबे समय से चल रही है । भाषाविदों का कहना है कि अगर आप पहले मातृभाषा का सम्मान करते हैं, तो आप राष्ट्रभाषा का सम्मान कर सकते हैं ।

संदर्भ : 1) भारतीय भाषा सर्वेक्षण, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, भारत सरकार (अंग्रेजी वेबसाइट)

2) राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक, डॉ. विमलेशकांत वर्मा, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

3) हिन्दी विकिपीडिया

-विजय प्रभाकर नगरकर
सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी
बीएसएनएल, अहमदनगर, महाराष्ट्र

विशेष सूचना

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक हेतु लेख आमंत्रित हैं ।

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के आगामी अंक हेतु हिन्दी भाषा से सम्बंधित विविध विषयों पर लेख/आलेख, निबंध एवं शोध सामग्री भेजें। पत्रिका के स्थायी स्तम्भ 'साक्षात्कार' में वरिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, सरकारी कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों आदि के भाषा पर केंद्रित साक्षात्कारों को सम्मिलित किया जाता है । इसी तरह 'लोक भाषाओं का चमत्कार' स्तम्भ में किसी एक भारतीय भाषा/उपभाषा एवं बोलियों पर केंद्रित लेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसे विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है । अब तक बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊंनी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधि, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, मालवी, बघेली, हरियाणवी, बंगाली एवं पूर्वोत्तर भारत के भाषाओं के विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं । 'युवा मत' स्तम्भ में देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों एवं युवा लेखकों के भाषा पर केंद्रित शोधपरक लेखों को सम्मिलित किया जाता है । पत्रिका के आगामी अंक हेतु कृपया जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषा और उसका साहित्य, गुजराती भाषा का इतिहास और विकास, हिन्दी और जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन, आधुनिक हिन्दी साहित्य में जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषा की उपस्थिति, मातृभाषा शिक्षा और जौनसारी/कन्नड़/मलयालम की स्थिति, जौनसारी/कन्नड़/मलयालम भाषा के संरक्षण में सरकार एवं समुदाय की भूमिका आदि से सम्बंधित सारगर्भित लेख 20 अगस्त, 2023 तक नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजें।

E-mail : hindustanibhashabharati@gmail.com

विलुप्त होती भाषाएँ

दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'

भारत में सर्वप्रथम 1898 में आयरलैण्ड के भाषाविद् जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भाषाई सर्वे किया था, जिसमें लिखत-पढ़त और बोली के रूप में उपयोग में आने वाली 179 भाषायें रिकार्ड की गई थीं। अब या तो यह अंग्रेजी अमलदारी की जरूरत के लिहाज से ही सम्पन्न किया गया था, या फिर मिलती-जुलती भाषाओं की विविधता की समझ का अभाव रहा होगा अथवा तत्कालीन भारत के तमाम अन्दरूनी और सीमावर्ती क्षेत्रों तक सम्पर्क की असुविधा। मामला कुछ भी रहा हो, किन्तु यह सर्वे अपूर्ण ही कहा जायेगा।

अभी कुछ दिन पूर्व उपर्युक्त सर्वेक्षण के 115 वर्ष बाद बड़ोदरा के गैर-सरकारी संगठन 'लैंग्वेज रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन सेण्टर' ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार इस समय देश में 780 भाषाओं की जीवन्त उपस्थिति है। इस सर्वेक्षण में 85 संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के 3000 विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। वैसे तो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् होने वाली जनगणना में भी प्रकारान्तर से भाषाई सर्वेक्षण होता ही है, लेकिन इसमें 10 हजार से कम बोली जाने वाली भाषा का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसीलिए सन् 2010 में सम्पन्न जनगणना में केवल 122 भाषाओं की पहचान की गई थी। देश में भाषाओं को बचाने का कोई समन्वित प्रयास नहीं दिखायी देता, इसके बावजूद भी 780 भाषाओं का बचा रह जाना एक सुखद तथ्य है। मगर यह जानना अत्यन्त खेदजनक है कि पिछले 50 साल के बीच लगभग 250 भाषायें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। निश्चय ही समय रहते प्रयास किया जाता तो इनमें से कुछेक को बचाया जा सकता था। भाषा के उद्भव और विकास पर कार्य करने वालों का मत है कि इस सदी में भाषायें और तेजी से विलुप्त होंगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सांस्कृतिक प्रकल्पों के माध्यम से उन भाषाओं के संरक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिनके अस्तित्व पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।(1)

भाषाओं को बचाया जाना महज इसलिए जरूरी नहीं है कि उनसे भावात्मक लगाव होता है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष की भाषा का जन संवेदना से जो तृणमूल सम्बन्ध होता है, वह अन्य किसी भाषा से नहीं हो सकता है। उस भाषा में उस क्षेत्र की पूरी संस्कृति और ज्ञान सम्पदा होती है, जो किसी और भाषा में नहीं है। एक मायने में किसी देश में बोली जाने वाली भाषायें उस देश की सम्पत्ति हैं। जैसे जैव विविधता का महत्व अब समझ में आने लगा है, ठीक उसी स्तर पर भाषाई विविधता को समझा जाना चाहिये। किसी जीव या वनस्पति की कोई किस्म किसी नई दवा के आविष्कार का निमित्त बन सकती है, ठीक उसी प्रकार छोटे से छोटे जनसमुदाय के बीच प्रचलित भाषा के लोकगीत, मुहावरा, कहावत, कहकूत में उपस्थित ज्ञान या अवधारणा सम्पूर्ण मानव जाति के लिए हितकर हो सकती है। घाघ, भड्डरी, डंक जैसे लोक-साहित्य प्रणेता की रचनाओं में मौसम विज्ञान और ऋतु जैविकीय का छिपा अकूत ज्ञान का खजाना इसका प्रमाण है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में भाषा बुनियादी तत्व है, यही भविष्य की टेक्नोलाजी है। इसलिए इस सर्वेक्षण के आयोजनकर्ताओं के मुताबिक हर भाषा को आर्थिक पूँजी या सम्पदा की तरह देखा जाना चाहिये।

भाषाओं के खत्म होने की वजहें बहुत स्पष्ट हैं। बड़ा कारण आर्थिक होता है। जिसके पास आर्थिक प्रभुत्व होता है, सत्ता उसी की होती है, उसकी भाषा रोजगार और आर्थिक नजरिए से जानना आवश्यक होता है। इसी के फलस्वरूप कभी फारसी का बोलबाला था, फिर उर्दू ने उसे सिंहासन से उतार दिया। बाद के दिनों में उर्दू अंग्रेजी के जरिए पददलित हुई। इसलिए यह जरूरी नहीं कि आज जिस भाषा का दबदबा है, कल भी उसका वैसा ही वर्चस्व कायम रहे। आज संचार माध्यम की भूमिका हमें वैश्वीकरण जगत के बीच खड़ा करने की है। इस प्रक्रिया में हमारे भाषिक समीकरण बुरी तरह गड़बड़ा रहे हैं। खासकर जो भाषा छोटे समुदाय में बोलते हैं, उनकी भाषाओं पर विलोपन का व्यापक खतरा मंडराने लगा है। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति समाज में लगाव बचा रहे, भाषाओं का वैविध्य और सांस्कृतिक स्मृति बची रहे। यह आने वाले कल के लिए आवश्यक है।

सर्वेक्षण से यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा में छोटे समूहों में प्रचलित 130 भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। असम के ''सिबसागर'' में 'कोन्याक' भाषा को बोलने वाले सिर्फ 5 लोग बचे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीत क्षेत्र, उत्तराखण्ड के उत्तरी क्षेत्र और अंडमान निकोबार की कई भाषायें खतरे में हैं। एक दृष्टिकोण यह भी है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है।

भाषायी विविधता पिछड़े समाज की निशानी है। उन्नत समाज में भाषायें कम ही बचेंगी। किन्तु इसे स्वीकार करना तभी मुमकिन है, जब हम भाषा को सम्प्रेषण का सिर्फ यान्त्रिक माध्यम मानें। मगर ऐसा नहीं है। भाषा सिर्फ अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि वह रचती और सहेजती भी है। किसी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए उस क्षेत्र की संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ने का माध्यम होती है। उसके बिना लोग अपने ही देश-समाज में अजनबी बनकर रह जाते हैं, इसलिए हर भाषा महत्वपूर्ण है।

-दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'
पो.ऑ. जासापारा, गोसाईगंज-228119
सुलतानपुर (उ.प्र.)

विदेशों में हिन्दी की संभावनाएँ और भविष्य

डॉ. मोतीलाल गुप्ता 'आदित्य'

आजकल देश की बजाए विदेशों में हिन्दी की चिंता कुछ ज्यादा ही है । भारत में हिन्दी और भारतीय भाषाओं का क्या हाल है, और क्या होगा ? इसके बजाए विदेशों में हिन्दी से जुड़ी संगोष्ठियाँ ज्यादा होती दिखती हैं । सोचा, चलो आज इसी पर बात कर ली जाए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 57.1% भारतीय हिन्दी जानते हैं जिनमें से 45.67% भारतीय लोगों ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा घोषित किया था इसके अतिरिक्त भारत-पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों में करीब चौदह करोड़ दस लाख लोगों द्वारा उर्दू सहित हिन्दुस्तानी भाषा के रूप में हिन्दी बोली जाती है । हालांकि अनेक विद्वानों का मानना है पूरे विश्व में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी बोलने वालों और समझने वालों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो हिन्दी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली भाषा है ।

'विदेशों में हिन्दी' इस विषय पर आजकल अनेक संगोष्ठियां होने लगी हैं । प्रवासी साहित्य भी खूब चर्चा में है । यही नहीं, कुछ विश्वविद्यालयों में तो प्रवासी साहित्य को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है । 'विदेशों में हिन्दी' विषय पर भारत में आए दिन अनेक संगोष्ठियाँ व परिचर्चाएँ होती हैं । ज्यादातर कार्यक्रमों और संगोष्ठियों में अक्सर विद्वान वक्ता ऐसे आंकड़े बड़ी ही खूबसूरती से पेश करते हैं जिनसे लगता है हिन्दी बड़ी तेजी से विश्व में अपने पाँव पसारती जा रही है । हिन्दी की ऐसी मनमोहक छवि से प्रभावित हिन्दी -प्रेमी श्रोताओं के मन को भी बहुत शांति मिलती है, 'चलिए कोई बात नहीं, भारत में न सही विश्व में तो हिन्दी तेजी से फैल ही रही है । हो सकता है, कभी इसी तरह लौट कर भारत में भी ऐसे ही फैले ।' इस प्रकार एक बहुत ही खुशनुमा और आशावादी से माहौल में विश्व में हिन्दी की चमकदार तस्वीर लिए लोग अपने घर लौट जाते हैं । हिन्दी के प्राध्यापक और विद्यार्थी भी इन व्याख्यानों से अपने लिए कुछ-न-कुछ ऐसा खोज ही लेते हैं जो हिन्दी की स्थिति पर होने वाली चर्चाओं में एक ढाल की तरह उनके काम आ सकें । वे अक्सर आंकड़ों के मकड़जाल में फंस कर विश्व में हिन्दी के प्रसार की एक ऐसी तस्वीर अपने मन में बसा लेते हैं जो कई बार यथार्थ से काफी दूर होती है । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हिन्दी के प्रचार को लेकर विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े गलत होते हैं, मैं यह कह रहा हूँ कि उन आंकड़ों के माध्यम से जो तस्वीर बनाई जाती है, वह एकतरफा होती है और अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वास्तव में है ।

जब विदेशों में हिन्दी की बात आती है, तो उसकी स्थिति को समझने के लिए मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है । एक है साहित्य-लेखन और दूसरा है हिन्दी का प्रचार-प्रसार और प्रयोग । भाषा की दृष्टि से दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध होने के बावजूद दोनों में एक बड़ा अंतर है । केवल हिन्दी साहित्य लेखन से किसी देश में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की स्थिति को समझना संभव नहीं है । अगर उसके माध्यम से समझना भी है, तो यह देखना होगा कि उस भाषा के साहित्य के पाठकों और श्रोताओं का कितना बड़ा वर्ग है जो उसका रसास्वादन करता है । विदेशों में हिन्दी की संभावनाओं और भविष्य को जानने के लिए अनेक लोग साहित्य को ही आधार मान कर चलेते हैं । विदेशों में हिंदी साहित्य लेखन में भी दो वर्ग बने हुए हैं । विदेशों में लिखे जाने वाले साहित्य में भी मोटे तौर पर दो वर्ग हैं । पहला वह जो कि आज से सौ-दो सौ साल पहले गिरमिटिया मजदूर बनकर या उसके पहले भी किन्हीं कारणों से विदेशों में जाकर बसे भारतीयों के वंशजों द्वारा लिखा जानेवाला साहित्य जो वहाँ के स्थाई निवासी हो गए । दूसरा वह वर्ग है जो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा-रोजगार आदि के लिए वहाँ पहुँचा है । दोनों की स्थितियां और साहित्य में भी बड़ा अंतर है । पिछले कुछ दशकों में जो भारतीय वहाँ पहुँचे हैं अब उनकी भी कई पीढ़ियां आ चुकी हैं और वह भी धीरे-धीरे प्रवासी से अप्रवासी होते जा रहे हैं । जो एक बार वहाँ गया और जाकर बसा, अक्सर उनका फिर लौट कर आना संभव नहीं हो पाता ।

विदेशों में लिखे जाने वाले साहित्य को हम सामान्यत: प्रवासी साहित्य कहते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि कई सौ वर्ष पूर्व विदेश गए भारतवंशियों और स्वतंत्रता के पश्चात वहाँ गए भारतीयों द्वारा भी विभिन्न देशों में प्रचुर मात्रा में हिन्दी साहित्य सृजन का कार्य हुआ है । हालांकि उत्कृष्ट और सामान्य साहित्य के आलोचकों की अपनी-अपनी परिभाषाएं और पैमाने हैं । लेकिन विदेशों में अनेक हिन्दी साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य लेखन में खासा नाम और प्रतिष्ठा अर्जित की है । लेकिन अगर साहित्य के पाठकों और उसका रसास्वादन करने की बात की बात की जाए तो स्थिति एकदम प्रतिकूल दिखाई देती है । भारतीयों द्वारा कभी-कभार आयोजित होने वाले कवि सम्मेलनों के आयोजनों को छोड़ दें तो सामान्य-जन का हिन्दी साहित्य से कोई खास संबंध नहीं दिखता । इस स्थिति को मॉरीशस के साहित्यकार रामदेव धुरंधर के वक्तव्य से समझा जा सकता है जो 2018 में हिन्दी साहित्य के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इफ्फको पुरस्कार से सम्मानित हो कर मुंबई में 'वैश्विक हिन्दी सम्मेलन' के कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, 'मैं वहाँ शब्द बोता हूँ और भारत में उनकी फसल काटता हूँ ।' उनके मंतव्य को आसानी से समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रवासी और आप्रवासी साहित्यकार कमोबेश यही करते हैं । यहाँ लेकिन जब भारत के साहित्यकारों के साहित्य की फसल ही कट कर बिक नहीं पाती तो देश और विदेश में हिन्दी साहित्य की स्थिति को समझा जा सकता है ।

ऐसा नहीं है कि विदेशों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन या साहित्य लेखन नहीं हो रहा, वह हो रहा है । उसमें भी कई ऐसे

साहित्यकार लेखक आदि हैं जिनका साहित्य विश्वस्तरीय है । यह बात सही है कि विदेशों में भी वहाँ रह रहे भारतीयों और भारतवंशियों द्वारा भी भाषा- साहित्य को बचाने-बढ़ाने के लिए सरकारी, संस्थागत व व्यक्तिगत स्तर पर अनेक संस्थाएँ व मंच बनाए गए हैं । यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि विदेशों में बसे भारतीय जिनमें हिन्दी के विद्वानों और साहित्यकारों के अतिरिक्त हिन्दी भाषा-साहित्य प्रेमी विभिन्न क्षेत्रों के अनेक विशेषज्ञ भी हैं जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वित्त आदि क्षेज्ञों व व्यवसायों से जुड़े हैं, उनकी हिन्दी के प्रति निष्ठा और निस्वार्थ-सेवाभाव के साथ हिन्दी को देश-विदेश में स्थापित करने की ललक कहीं ज्यादा है । हालांकि विदेशों में यह अपेक्षा करना थोड़ी ज्यादती होगा कि हिन्दी वहाँ के कामकाज की भाषा बने । लेकिन इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि हिन्दी भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों, विशेषकर हिन्दी भाषियों के पारिवारिक संवाद और पारस्परिक संपर्क के अतिरिक्त सामाजिक-धार्मिक व आध्यात्मिक प्रयोजनों तथा अपने देश से और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम बन कर आगे बढ़े । हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भी दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, एक है हिन्दी अध्ययन-अध्यापन का और दूसरा है उसके प्रयोग का । जहाँ तक विदेशों में हिन्दी शिक्षण का सम्बन्ध है, विदेशों में लगभग 154 देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है । इनमें आप्रवासी भारतीयों के अलावा स्थानीय छात्र भी हिन्दी का अध्ययन करते हैं । हिन्दी का अध्ययन का एक बड़ा कारण है भारतीयों और भारतवंशियों द्वारा अपने देश और वहाँ की धर्म-संस्कृति से जुड़े रहना और नौकरी तथा व्यावसाय की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है । वैश्विक स्तर पर हिन्दी के प्रसार का, हिन्दी शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण कारण है वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सम्बन्ध । भारत न केवल विपुल जनसंख्या वाला एक बड़ा देश है बल्कि एक बड़ा शक्तिशाली देश है । परस्पर आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व के अनेक देशों में हिन्दी सीखी व सिखाई जाती है । भारत के साथ अपने राजनैतिक, कूटनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध साधने के लिए भी विश्व के अनेक देशों के लिए यह आवश्यक है कि भारत की राजभाषा हिन्दी सीखें ।

चीन आर्थिक और सामरिक मोर्चे के साथ-साथ सांस्कृतिक मोर्चे पर हमें पटकनी देने और अपने हितों को साधने के लिए पिछले कुछ समय से हिन्दी को अपना हथियार बना रहा है । इस समय चीन में हजारों जवान ऐसे हैं, जो हिन्दी के कुछ वाक्य बोल और समझ सकते हैं । भारत-चीन सीमा पर तैनात चीनी जवानों को हिन्दी इसलिए सिखाई जाती है कि वे हमारे जवानों और नागरिकों से सीधे बात कर सकें । उनका हिन्दी -ज्ञान उन्हें जासूसी करने, भारतीय जवानों को धमकाने, चेतावनी देने, पटाने में उनकी खासी मदद करता है । चीन से भारत में काफी आयात होता है । भारतीय आयातक व्यापारियों से संवाद के लिए भी बड़ी संख्या में चीन के लोग हिन्दी सीखते और बोलते हैं । इसके चलते चीन के लगभग २० विश्वविद्यालयों में बाकायदा हिन्दी पढ़ाई जाती है । ऐसे अनेक उद्देश्यों से विश्व के अनेक देशों के लोग विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ने भारत आते हैं । भारत में विदेशियों को हिन्दी सिखाने के लिए 'केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा' सहित कई संस्था में और विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार की सुविधाएँ हैं । मुंबई में महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' में भी अनेक देशों के लोग हिन्दी व उर्दू सीखने के लिए आते हैं । विभिन्न देशों में ऐसे अनेक विदेशी विद्वान हैं जो न केवल हिन्दी में पारंगत हैं, बल्कि अपने देश में हिन्दी अध्यापन से भी जुड़े हैं ।

कई विदेशी विद्वान हिन्दी की विशिष्टता की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने इस भाषा पर अपना प्रभुत्व सिद्ध किया है । सदियों से धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और व्यापार आदि कारणों से भारत के लोग विदेशों में और अन्य देशों के लोग भारत में आते-जाते रहे हैं । लेकिन बड़े पैमाने पर भारत के लोगों के विदेशों में जाकर बसना 19वीं सदी में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ जब ब्रिटिश शासक अपने उपनिवेशों में विकास और वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए यहाँ से मजदूरों को ले कर गए । एग्रीमेंट करके गए ये मजदूर आगे चलकर गिरमिटिया मजदूर कहलाए । ये गिरमिटिया मजदूर ही आगे चल कर भारतीय भाषा-संस्कृति के प्रमुख विश्वदूत बने । ये मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु सहित भारत के कई हिस्सों से जाकर वहाँ बसे थे, लेकिन इनमें सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों की थी । इन गिरमिटिया मजदूरों के वंशज, ये भारतवंशी इतने वर्ष बाद भी भावनात्मक रूप से अपने पूर्वजों के धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये सभी देश भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर-दूर स्थित है । इसके बावजूद बहुत सारी बातें इनमें लगभग समान पाई जाती हैं । इनका हिन्दी-प्रेम मुख्यत: अपनी जड़ों से जुड़ने की ललक और अपने धर्म-संस्कृति के प्रति लगाव रहा है । इन सभी देशों में 'रामायण' के प्रति अगाध श्रद्धा है और आज जबकि उन्हें वहाँ गए हुए कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं, वे धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव के चलते वहाँ हिन्दी सीखते-सिखाते हैं । आज जबकि भारतवासियों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं लेकिन इन देशों में गए भारतवंशी आज भी कही-न-कहीं उसी जीवनधारा का अनुसरण करते से दिखते हैं । आज भी इनके नाम प्राय: वही हैं जो हमारे यहाँ सौ-दौ सौ साल पहले थे । भाषा के स्तर पर भी इनकी भाषा में तत्कालीन अवधी-भोजपुरी जैसी बोलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अपने धर्म-संस्कृति और पूर्वजों के देश भारत से लगाव के कारण इन देशों में बड़े पैमाने पर हिन्दी शिक्षण का कार्य होता है । प्रो. विमलेश कांति वर्मा लिखते हैं कि इन देशों में हिन्दी शिक्षण का कार्य सर्वप्रथम मिशनरियों ने शुरू किया । उनका उद्देश्य हिन्दी के माध्यम से भारत से गए हिन्दुओं को ईसाई बनाना था । हिन्दी के प्रति प्रवासी भारतीयों का जो भावनात्मक लगाव था उसके कारण वे हिन्दी सीखना चाहते थे ।

जिस प्रकार मॉरीशस में हिन्दी के लिए 'महात्मा गाँधी संस्थान' है वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में 'हिन्दी शिक्षा संघ' है । 'हिन्दी शिक्षा संघ' की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उषा शुक्ला कई वर्ष पूर्व जब 'वैश्विक हिन्दी सम्मेलन' के कार्यक्रम में भाग लेने मुंबई आईं तो उन्होंने बताया कि 'हिन्दी शिक्षा संघ' द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ५५ स्थानों पर हिन्दी पढ़ाई जाती है । हिन्दी शिक्षा संघ के कार्यकर्ता सेवा-भाव से हिन्दी शिक्षण कार्य करते हैं । ये कार्यक्रम स्कूल समय के पश्चात अथवा साप्ताहिक रूप से चलाए जाते हैं । 'हिन्दी शिक्षा संघ' द्वारा वहाँ एक रेडियो स्टेशन भी स्थापित किया गया है जहाँ हिन्दी और भारतीय भाषाओं के गीत व अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं । हिन्दी फिल्मों के गीतों और कार्यक्रमों से वहाँ हिन्दी प्रसार में बहुत मदद मिलती है । वे कहती हैं, 'हिन्दी प्रसार व शिक्षण के कार्य में 'हिन्दी शिक्षा संघ' का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा है । इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका के हिन्दी शिक्षा संघ की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है । जहाँ भारत से गए मजदूरों के वंशज बड़े ही सेवाभाव के साथ हिन्दी शिक्षण का कार्य करते हैं ।

लेकिन अगर प्रचार-प्रसार और व्यवहार की दृष्टि से विदेशों में हिन्दी की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति वैसी नहीं लगती जैसी कि दिखाई जाती है । अपने धर्म-संस्कृति से लगाव के बावजूद और विदेशों में भारतीयों के प्रवास की संख्या में निरंतर वृद्धि के बावजूद हिन्दी का अपेक्षित प्रसार होता नहीं दिखता । जोहान्सबर्ग में 'हिन्दी शिक्षा संघ' के सहयोग से नवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरान भारतवंशियों का एक जत्था 'हिन्दी शिक्षा संघ' के नेतृत्व डरबन और नाटाल से आया था, जहाँ अधिकांश भारतवासी प्रारंभ से बसे हुए हैं । सम्मेलन के बाद जब वे वापस लौटे तो मैं भी उनके साथ था । मैंने पाया कि उस जत्थे में ऐसे लोग भी थे जो हिन्दी कम समझते थे या बिल्कुल नहीं समझते थे । उनके लिए हिन्दी का सम्मेलन केवल हिन्दी का सम्मेलन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का और भारतीयता का सम्मेलन था, जहाँ वे भारत की धर्म-संस्कृति से जुड़ने आए थे । जोहान्सबर्ग से डरबन के करीब दस घंटे के सफर में रास्ते भर उन्होंने रोमन लिपि में छपी हुई हिन्दी भजनों की पुस्तक से ऐसे-ऐसे धार्मिक भजन गाए कि सब भाव-विभोर हो गए और उसके बाद हिन्दी फिल्मों की अंत्याक्षरी ठीक वैसे ही शुरु हुई, जैसे कि किसी पिकनिक में भारतवासी लोग अंत्याक्षरी खेलते हैं । उनका सम्मेलन के बहाने भारत और भारतीयता से जुड़ाव अद्‌भुत था और पता लगा कि हिन्दू धर्म-संस्कृति और गीत-संगीत से लगाव-जुड़ाव के बावजूद अब ज्यादातर लोग हिन्दी समझ भी नहीं पाते । ज्यादातर भारतवंशियों 'रामचरितमानस' पढ़ने और अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए हिन्दी सीखते है । यहाँ के विश्वविद्यालय में हिन्दी की विभागाध्यक्ष रह चुकीं प्रो. उषा शुक्ला बड़ी ही साफगोई से स्वीकार करती हैं, 'हिन्दी के प्रति जो रूझान पहले था, वैसा अब नहीं रहा । विश्वविद्यालय ने भी हिन्दी विषय को अब हटा दिया है । इस कारण उन्हें अपनी सेवा के अंतिम कई वर्ष हिन्दी के बजाए अंग्रेजी विषय पढ़ाना पड़ा । जो लगाव है, वह भारत से और भारत की संस्कृति से है । जब भारत में ही लोग हिन्दी को उतना पसंद नहीं कर रहे तो दक्षिण अफ्रीका में यह कैसे होगा ?'

भारतवंशियों का सर्वाधिक प्रतिशत अगर किसी देश में है तो वह मॉरीशस में है । मॉरीशस के साहित्यकार राज हिरामन से दो बार हिन्दी संगोष्ठियों में मुलाकात हुई है । चर्चा में उन्होंने बताया कि वहाँ भी हिन्दी के प्रचार का मुख्य कारण धार्मिक-सांस्कृतिक जुड़ाव ही अधिक है । उन्होंने बताया कि मॉरीशस में जो सुविधा-सम्मान यूरोपीय भाषा के अखबारों का है वैसा हिन्दी के समाचारपत्रों का नहीं है । बात लगभग वही दिखती है जैसी कि भारत में है । वहाँ बड़ी आबादी उन गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की है जो उत्तर प्रदेश-बिहार के भोजपुरी-बोली क्षेत्र से गए थे लेकिन वहाँ की संपर्क भाषा अब भोजपुरी नहीं है । अगर प्रचलन की बात करें तो वहाँ क्रीयोल भाषा का प्रयोग होता है । क्रियोल भाषा का अर्थ है खिचड़ी भाषा, यानी जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से पैदा हुई हो । मॉरीशस में बोली जाने वाली क्रीयोल में अधिकतर फ्रांसिसी और भोजपुरी के शब्द हैं । देखा गया है कि बहुत से शब्दों के उच्चारण व अर्थ मूल भाषाओं से बदल जाते हैं । मॉरीशस के साहित्यकार राज हिरामन कहते हैं कि हम मॉरिशस वासियों की व्यवहार की भाषा हिन्दी या भोजपुरी नहीं बल्कि क्रियोल है । ऐसी ही स्थितियाँ कमोबेश अन्य ऐसे देशों में हैं । इसी प्रकार रामदेव धुरंधर और डॉ. इंद्रदेव भोला भी इस बात को स्वीकार करते हैं ।

व्यापार-व्यवसाय या नौकरी के चलते पिछले पचास-सौ साल में जो लोग भारत से जाकर विदेशों में बसे उनमें सर्वाधिक संख्या यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के देशों की रही । इन देशों में हिन्दी की वास्तविक स्थितियों को भी वहीं के लोगों की जुबानी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है । करीब कई वर्ष पूर्व विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मुंबई के के.सी. कॉलेज में एक 'वैश्विक हिन्दी संगोष्ठी' आयोजित की गई । संगोष्ठी में विद्वान वक्ता ब्रिटेन से आए कथाकार तजेंद्र शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूरोप में आंकड़ों के सहारे हिन्दी की जो तस्वीर बनाई जाती है, वैसा कुछ है नहीं । हिन्दी मुख्यत: मंदिरों या सामाजिक-धार्मिक संगठनों के माध्यम से अपने धर्म और संस्कृति के जुड़ाव के लिए पढ़ाई जाती है और वहाँ भी कोई उत्साहपूर्ण वातावरण नहीं है । ब्रिटेन से ही पधारी हिन्दी साहित्यकार श्रीमती शैल अग्रवाल जो अंग्रेजी में भी लिखती हैं, उन्होंने भी इस पर सहमति प्रकट की । मुंबई में प्राचार्य रह चुकीं और ऑस्ट्रेलिया में रहीं श्रीमती शील निगम ने बताया कि 2013 में ऑस्ट्रेलिया में हिन्दी की घटती माँग के चलते यह विचार-विमर्श चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हिन्दी क्यों पढ़ाई जाए? इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश एवं व्यापार विभाग ने विषय पर परामर्श आमंत्रित किए, तब उनके पुत्र विनय निगम ने जो वहाँ वित्तीय सेवाओं, उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा व

प्रशिक्षण के कार्यों से जुड़े हैं, अपने मित्रों सहित उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हिन्दी के महत्त्व को आधार बना कर एक लेख ऑस्ट्रेलिया सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया । अंतत: सरकार ने उनके व उनके साथियों के दृष्टिकोण को स्वीकारते हुए ऑस्ट्रेलिया में हिन्दी शिक्षण के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाने पर गंभीरता से विचार किया और किसी तरह हिन्दी जाते-जाते बची ।

कैनेडा से 'प्रयास' नामक साहित्यिक हिन्दी ई-पत्रिका निकालने वाले साहित्यकार शरण घई जब भारत आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है । वे बताते हैं कि सिक्खों की बहुलता और प्रभाव के चलते कैनेडा में पंजाबी को तो शासकीय मान्यता है पर हिन्दी की कोई खास पूछ नहीं है । इंग्लैंड से मुंबई पधारी सुप्रतिष्ठित हिन्दी साहित्यकार श्रीमती कादंबरी मेहरा ने कई महीने पहले जब भारत आने की सूचना दी तो उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय देशों में वहाँ हिन्दी का इस्तेमाल वे लोग तो करते हैं जो भारत में जन्मे और बढ़े-पढ़े हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ियाँ अब हिन्दी नहीं बोलतीं । 'गोंडा, उत्तर प्रदेश से ओमान के भारतीय समुदाय के स्कूल के हिन्दी शिक्षक अशोक कुमार तिवारी नें जनवरी या फरवरी में एक संदेश भेज कर बताया कि किस प्रकार वहाँ हिन्दी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसे समुचित महत्त्व नहीं मिल रहा । प्रो. शिवकुमार सिंह जो पुर्तगाल लिस्बन विश्वविद्यालय में कला संकाय में हिन्दी पढ़ाते हैं वे बताते हैं, '1961 तक गोवा, दमण, दीव और दादरा नगर हवेली क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन था और उनका भारत के साथ पाँच सौ साल का साझा इतिहास है, इसके चलते भारत से जुड़ी यादें आज भी पुर्तगालियों के मन में बसी हैं । इसलिए बहुत से भारतीय मूल के पुर्तगाली अपने बच्चों को गुजराती, कोंकणी, हिन्दी सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ के रिश्तेदार भारत में हैं और साल-दो साल में उनका भारत में आना-जाना होता है ।' उनके अनुसार पढ़ाने के अतिरिक्त दूसरी एक चुनौती विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या बनाए रखना भी है ताकि शिक्षण कार्य चलता रह सके ।

मुंबई में 'वैश्विक संगोष्ठी' के पूर्व चायपान के समय, जब तमाम देसी-विदेशी विद्वान बैठे थे, कथाकार तजेंद्र शर्मा ने एक सवाल दागा, 'गुप्ताजी, आप भारत में हिन्दी की बात करें ठीक है, पर इंग्लैंड में रह कर मुझे या मेरे बच्चों को हिन्दी क्यों बोलनी या पढ़नी चाहिए ?' हालाँकि इस विषय पर कुछ तल्ख सी चर्चा हुई, जिसमें वे अकेले पड़ते दिखे, लेकिन वह प्रश्न अभी भी यक्ष प्रश्न की तरह विद्यमान है । ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष सुभाष शर्मा जो वहाँ हिन्दी की काव्य गोष्ठियों का आयोजन करने के साथ-साथ हिन्दीभाषी समुदाय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं । वे भी हिन्दी भाषियों की हिन्दी के प्रति उदासीनता की बात करते हैं ।

आज भारत विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार है । यहाँ के लोगों को अपना ग्राहक बनाने के लिए और अपना माल या सेवाएं बेचने के लिए बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हिन्दी का प्रयोग करती है । इसलिए आज चीन-जापान सहित अनेक देशों के नागरिक भारत में हिन्दी सीखने के लिए आ रहे हैं । मेरा जब जोहांसबर्ग जाना हुआ था तो जिस अतिथि गृह में हम रुके हुए थे उसमें बेल्जियम के भी कई लोग रुके हुए थे, जो वहाँ किसी डायमंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हुए थे । नाश्ते की मेज पर उनसे बातचीत होने लगी । जब उन्हें पता लगा कि हम भारत से आए हैं तो उन्होंने हिन्दी के साथ कुछ गुजराती का प्रयोग शुरु कर दिया । जब हमने उनसे पूछा कि आपको गुजराती या हिन्दी कैसे आती है ? तो उन्होंने बताया कि उनका सम्बन्ध हीरा कारोबार से है, जिसके लिए उनका भारत आना होता है और भारत में हीरे का काम ज्यादातर गुजरात के सूरत में ही होता है । जब उनकी गुजराती व्यापारियों से बातचीत होती है तो उनके साथ बात करके वे थोड़ी हिन्दी और गुजराती सीख गए हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि भारत से होने वाले व्यापार के कारण भी विश्व के अन्य देशों में हिन्दी पहुँच रही है । यदि भारत के लोग भी अन्य देशों की भाषाएँ सीखें और उनसे संवाद करें तो निश्चित तौर पर उनके माध्यम से भी हिन्दी विश्व के अन्य देशों में पहुँचेगी । विदेशों में भारतवंशियों, प्रवासी और आप्रवासी भारतीयों की विपुल जनसंख्या और उनका अपने देश के प्रति प्रेम और धर्म-संस्कृति से लगाव विश्व में हिन्दी के प्रसार की अनंत संभावनाओं का कारण तो है ही, इसके अतिरिक्त भारत आज विश्व का सबसे बड़ा बाजार है जहाँ हर देश अपनी जगह बनाना चाहता है । इसके कारण यदि सरकार द्वारा हिन्दी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से कुछ निर्णय लिए जाएँ तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है । पूरी दिनिया में देश और विदेश में खपने वाले सामान पर सभी देशों के सामान पर उस देश की भाषा में जानकारी दी होती है । विदेशों के लिए उस देश की भाषा का भी प्रयोग होता है लेकिन भारत में सब अंग्रेजी में है । सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है ।

ऊपर की गई चर्चा से निकल कर आ रहे संकेतों से यह स्पष्ट है कि विश्व में हिन्दी की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें सर्वप्रथम भारत में हिन्दी की स्थिति को मजबूत करना होगा । आज भारत में और विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्र में भी हिन्दी व्यापार-व्यवसाय तथा शिक्षा-रोजगार आदि में निरंतर अपना स्थान गंवा रही है । उत्तर भारत के छोटे-छोटे गाँवों तक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अपने पाँव पसार चुके हैं । एक विषय के रूप में भी हिन्दी की स्थिति धीरे-धीरे दोयम दर्जे की हो रही है । एक समय था जब स्कूल स्तर पर तो कम-से-कम हिन्दी ज्ञान-विज्ञान का माध्यम हिन्दी होती थी, लेकिन अब तो धीरे-धीरे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के चलते भारत में भी हिन्दी ज्ञान-विज्ञान की भाषा नहीं रह गई है । अंग्रेजी

शेष पृष्ठ संख्या 30 पर

मलयालम भाषा के महाकवि गोविंद शंकर कुरुप

गोविंद शंकर कुरुप (उपनाम महाकवि जी), जिनको प्राय: जी . शंकर कुरुप के नाम से जाना जाता है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं । वे मलयालम भाषा के महान कवि हैं जिनको उनकी प्रसिद्ध कृति 'ओटक्कुषल' (बांस-बांसुरी) के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया । वे इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे ।

गोविंद शंकर कुरुप का जन्म केरल एर्नाकुलम के ग्राम नायतोट्टम में 3 जून (कुछ विद्वानों के अनुसार 4 जून) सन 1901 को शंकर वारियार के घर में हुआ था । उनकी माता का नाम लक्ष्मी कुट्टी अम्मा था । बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन-पोषण मामा गोविंद के घर में हुआ था । उनके मामा के नाम पर ही उनका नाम गोविंद शंकर कुरुप पड़ा । वंश परंपरा मातृकुल से चलने के कारण इनका कुलनाम 'कुरुप' हुआ । जब बालक गोविंद तीन वर्ष के हुए, संयोग से उन्हीं दिनों में नायतोट्टम में एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई । बालक गोविंद को वहीं प्रवेश दिला दिया गया । उस पाठशाला में कक्षा तीन तक ही शिक्षा की व्यवस्था थी । कुरुप के मामा संस्कृत के पंडित और बड़े ज्योतिषी थे जिसके कारण बालक गोविंद को संस्कृत के अध्ययन में रुचि रही । वहीं से उन्हें संस्कृत काव्य सीखने के संस्कार मिले ।

उनके मामा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तथापि प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए किसी प्रकार व्यवस्था करके बालक कुरुप को घर से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित पेरुमपावूर के मलयालम मिडिल स्कूल भेजा गया । वहाँ छात्रावास की व्यवस्था थी, जहाँ उन्हें एक मुक्त और शांत वातावरण मिला । वहाँ प्राकृतिक दृश्यों की छटा बिखरी हुई थी । वे वहाँ गहन चिंतन-मनन में लीन रहते थे । उनके मन में काव्य-चेतना के अंकुर वहीं से फूटे थे । वहाँ एक सघन वन था, जहाँ हरी-भरी लता-कुंजों से घिरा भगवती वनदेवी का एक अर्धभग्न मंदिर था । कुरुप वहाँ बैठकर अनेक पक्षियों का मधुर कलरव सुना करते थे और प्राय: संस्कृत के छंदों में फुटकर श्लोकों की रचना किया करते थे । सातवीं कक्षा के गोविंद मुवाट्टुपुषा मलयालम हाईस्कूल पहुँचे । वहाँ वे दो वर्ष रहे जो उनके विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए । उन्होंने कोचीन राज्य की 'पंडित' परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उस समय अध्यापन की योग्यता के लिए आवश्यक थी ।

गोविंद बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे । 8 वर्ष की आयु में वे अमरकोश, सिद्ध रूपम और श्री रामोदत्तम आदि ग्रंथ कंठस्थ कर चुके थे और रघुवंश महाकाव्य के कई श्लोक पढ़ चुके थे। 19 वर्ष की आयु में महाकवि कुंजिकुट्टन तंपुरान के गाँव आगमन पर वे कविता की ओर प्रवृत्त हुए । उनकी संस्कृत साहित्य में गहन रुचि थी । जी शंकर कुरुप की पहली कविता सन 1918 में 'आत्मपोषिणी' नामक पत्रिका में 'प्रकृति को नमस्कार' शीर्षक से प्रकाशित हुई । उनका प्रथम कविता संग्रह 'साहित्य कौस्तुभम' नाम से प्रकाशित हुआ । उस समय वे तिरुविल्वामला हाईस्कूल के अध्यापक हो गए थे । वहाँ उन्होंने वर्ष 1921 से 1925 तक कार्य किया । इसके बाद वे वर्ष 1925 में ही चालाकुटि हाईस्कूल में आ गए । यहाँ आकर प्रकृति के प्रति आरंभ में जो एक सहज आकर्षण भाव था, वह परिपक्व होकर उपासना की भावना में परिवर्तित हो गया । इसी वर्ष 'साहित्य कौस्तुभम कृति' का द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ । अब तक उनकी काव्य प्रतिभा की ख्याति दूर-दूर तक फैल चुकी थी । वर्ष 1931 में 'नालें' (आगामी कल) नामक कविता से उन्हें अत्यंत लोकप्रियता मिल चुकी थी । वर्ष 1937 से 1956 तक वे महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में मलयालम के प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे ।

गौरी शंकर वैश्य 'विनम्र'

वर्ष 1961 में कविता के लिए उनके द्वारा रचित कविता संग्रह 'विश्व दर्शनम' के लिए उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया । प्राध्यापकी से अवकाश लेने के बाद वे आकाशवाणी त्रिवेन्द्रम केंद्र में सलाहकार पद पर नियुक्त हुए। सन् 1965 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया । उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त है । सन् 1967 में उन्हें सोवियत लैण्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ । साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा उसी वर्ष उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया, जहाँ वे सन् 1968 से सन् 1972 तक रहे । 2 फरवरी, 1978 को तिरुवनंतपुरम में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इण्डिया पोस्ट ने वर्ष 2003 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की श्रंखला के अंतर्गत कुरुप पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया ।

उनकी सहधर्मिणी सुभद्राम्मा ने कुरुप की साहित्य-सर्जना में अत्यंत त्याग और समर्पण से सहयोग दिया जिसकी झलक महाकवि के निश्छल प्रकृति प्रेम से सहज ही अभिव्यंजित होती है । जी. शंकर कुरुप ने साहित्य की काव्य, निबंध, नाटक, बालसाहित्य, आत्मकथा, अनुवाद आदि विविध विधाओं में 40 से अधिक मौलिक एवं अनूदित कृतियों की सर्जना की है, जिसमें से कुछ कृतियों के नाम इस प्रकार हैं -

कविता संग्रह- साहित्य कौतुकम (चार खण्डों में), सूर्यकांति, नवातिथि, पूजा पुष्पमा, निमिषम, चेंकतिरुकल मुत्तुकल, वनगायकन, ओटक्कुषल, अंतर्दाह, विश्वदर्शनम, जीवन संगीतम, पाथेपम, कवितकल, मधुरम सौम्यम दीप्तम, वेंलिच्चत्तिंटे दूतम, सान्ध्यरागम । निबंध संग्रह - गद्योपहारम, लेखमाल, राक्कुयिलकुल, मुत्तुम चिप्पियुम, जी. यूटे नोटबुक, जी. यूटे गद्य लेखनंगल । नाटक-

इरुट्टिनु मुंपु, सान्ध्य, आगस्ट । बालसाहित्य-इलम चंचुकल, ओलप्पीप्पि, राधाराणि, जीयुटे बालकवितकाल । आत्मकथा-ओम्मयुटि ओलंगलिल (दो भागों में) । अनुवाद-बांग्ला कृतियाँ - गीतांजलि, एकोत्तरशती, टागोर । संस्कृत कृतियाँ-मध्यम व्यायोग और मेघदूत । फारसी कृति- रुबाइयात ए उमर खैय्याम । फ्रेंच कृति- द ओल्ड मैन हू डज नॉट वांट टु डाय, द चाइल्ड व्हिच डज नॉट वांट टु बी बार्न । उन्होंने मलयालम फिल्म 'निर्मला' के लिए गीत लिखे और 'अभय' में अपनी कविताओं के लिए संगीत प्रदान किया है ।

उनकी ओटक्कुषल काव्य कृति का प्रथम संस्करण वर्ष 1950 में प्रकाशित हुआ । इसमें वर्तमान में 58 कविताएँ (मूल रूप में कुल 60 कविताएँ थीं) हैं । यह उनकी सुप्रसिद्ध काव्य कृति है, जिसके लिए उन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था । इससे वे मलयालम भाषा के प्रथम सम्मानित होने वाले कवि के रूप में विख्यात हुए । इस कृति की कविताओं में कवि ने प्रकृति और उसकी शिव-सुंदर रहस्ययता की अनुभूति कराई है । कवि प्रकृति के कण-कण और क्षण-क्षण की मनमोहिनी सौंदर्य-छवि में परा चेतन शक्ति का आभास प्राप्त करता है । उसे साक्षात अनुभूति होती है कि विराट प्रकृति और वह स्वयं एक अनादि अनंत चैतन्य अंश है । कई उत्कृष्ट प्रेम कविताएँ भी इसमें सम्मिलित हैं किंतु इस प्रेम में नर-नारी का भौतिक प्रेम नहीं, अपितु प्रकृति और निखिल ब्रह्म-चेतना का प्रेम है जिसका यह संपूर्ण सृष्टि चक्र प्रतिफलन है । अंत में इस कालजयी कृति का एक काव्यांश का हिन्दी भावानुवाद प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक 'बांसुरी' है-

लीला-भाव से
जीवित गीतों को गाने वाले
दिशा और काल की सीमाओं से
निर्बंध हे! महामहिमामय
मैं जन्मा था अज्ञात-अपरिचित
कहीं मिट्टी में पड़े-पड़े
नष्ट हो जाने के लिए
किंतु तेरी वैभवशालिनी दया ने
मुझे बना दिया बांसुरी
चराचर को आनंदित करने वाली
तूने अपनी सांस की फूंक से
उत्पन्न कर दी है प्राणों में सिहरन
इस नि:सार खोखली नली में

महाकवि जी. शंकर कुरुप को हृदयत: शत-शत नमन ।

-गौरीशंकर वैश्य विनम्र
117, आदिलनगर, विकासनगर
लखनऊ-226022 (उ.प्र.)

पृष्ठ संख्या 28 का शेष

माध्यम से निकल कर आए ज्यादातर बच्चे अब हिन्दी बोलना और लिखना तक पसंद नहीं करते हैं । ऐसे में यह अपेक्षा करना कि विदेशों में भारतवंशी प्रवासी भारतीय या अन्य विदेशी लोग हिन्दी का प्रयोग करेंगे यह बेमानी सा लगता है । यही कारण है कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालय जहाँ कल तक हिन्दी विषय उच्चस्तर तक पढ़ाया जाता था, अब उसे धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है । विदेशों में हिन्दी मुख्यत: भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों के बीच साहित्य संगीत, सिनेमा आदि तक सिमट कर रह गई है और अब भारत की तरह ही वहाँ भी नई पीढ़ियां धीरे-धीरे उससे दूर होती जा रही हैं । लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से जिस प्रकार सरकार भारतीय भाषाओं के शिक्षण और भारतीय भाषाओं मे शिक्षण के लिए प्रयास कर रही है, उससे उम्मीद तो जगती है । निश्चय ही इसका प्रभाव विदेशों में हिन्दी के प्रयोग पर भी पड़ेगा ।

भले ही हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा न बनी हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संगठन के मूल मूल्य के रूप में मान्यता दे दी गई है । बहुभाषावाद के प्रस्ताव में हिन्दी भाषा का उल्लेख है । भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (डीजीसी) के साथ साझेदारी कर रहा है । इससे भी वैश्विक स्तर पर हिन्दी के प्रसार का माँग प्रशस्त हुआ है । जहाँ तक मेरी समझ की बात है मुझे विदेशों में हिन्दी के प्रसार के लिए विदेशों से अधिक देश में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है । यदि भारत में हिन्दी की जड़ें मजबूत होंगी तो उससे निकलने वाली मजबूत टहनियां और भारत में उनमें लगने वाले ज्ञान-विज्ञान, गीत-संगीत तथा साहित्य आदि के फल भाषा के साथ विश्व भर में पहुँचेंगे । जिस प्रकार किसी वृक्ष की मजबूती के लिए उसे उचित और पर्याप्त खाद-पानी की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार हिन्दी की जड़ों को भी रोजगार और उन्नति के अवसरों की खाद की आवश्यकता है । जब भारत में हिन्दी रूपी वृक्ष की जड़ों को इसका पोषण मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से हिन्दी का यह वटवृक्ष भारत भूमि पर विकसित होते हुए भारत की संस्कृति के साथ-साथ भारत के विकास की सुगंध को भी विश्व भर में फैलाएगा ।

-डॉ. मोतीलाल गुप्ता 'आदित्य'
निदेशक, वैश्विक हिन्दी सम्मेलन
पूर्व क्षेत्रीय उपनिदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

**मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज़्ज़त करता हूँ,
पर मेरे देश में हिन्दी की इज़्ज़त न हो,
ये मैं सह नहीं सकता । -आचार्य विनोबा भावे**

युवा मत

क्या सचमुच हिन्दी बढ़ रही है ?

सुनील कालाकोटी

हिन्दी भाषी क्षेत्र में ये प्रश्न कहीं-न-कहीं आंतरिक रूप से झकझोरने वाला प्रश्न है । ऐसा देश जिसकी कार्यकारी भाषा में प्रमुख रूप से हिन्दी सम्मिलित हो और देश का बहुत बड़ा क्षेत्र हिन्दी भाषी हो, वहाँ यदि इस तरह के प्रश्न उठे तो कहीं-न-कहीं भाषा और भाषी दोनों को पुनः विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है । भाषाओं के विकास में शताब्दियों का अनुभव जुड़ा होता है । कोई भी भाषा रातों-रात विकसित नही होती । उसे विकास की एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसी लम्बी प्रक्रिया में भाषा कई खण्डों में विकसित होकर नया रूप धारण करती है व एक नई भाषा को जन्म देती है । शताब्दियों से ये अनुभव किया जाता रहा है कि भाषाएँ शब्दशः आगे नहीं बढ़ती, उनमें परिवर्तन होता रहता है । इसका सबसे प्रमुख कारण भाषी (लोग) हैं । जिस तरह साधना के लिए साधक आवश्यक है उसी तरह भाषा को जीवंत रखने में भाषियों का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है । उदाहरण के लिए भाषा के किसी शब्द का उच्चारण करने के लिए व्यक्ति के जिह्ववा, कंठ और ओष्ठ प्रयोग में लाई जाती है और मानव के जैविक स्वरूप में भिन्नताएं उच्चारण में अशुद्धि ले ही आती है । फलस्वरूप उनसे उस शब्द का उच्चारण सुनने वाले लोग उसके प्रभाव स्वरूप गलत उच्चारण को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं । फिर शनैः शनैः वास्तविक शब्द विलुप्त हो जाता है । उसके स्थान पर अशुद्ध शब्द जगह ले लेता है और वो भाषा का हिस्सा बन जाता है । भाषा अनेक खण्डों में विकसित होती है और उसी तरह उसका पतन भी होता है। कोई भी भाषा चिरस्थाई रहेगी ये धारणा गलत है ।

भाषाओं के इतिहास को यदि देखा जाए तो हम पाते हैं कि आज अनेक भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । मानव विकास की प्रक्रिया में भाषाएँ तोड़ी-मरोड़ी गई और उन्हीं से नई भाषाओं ने जन्म लिया । प्राचीन व वैदिक काल में तमिल, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाएँ वर्चस्ववादी रही । इतिहास में ये वर्णित है कि संगम काल में दक्षिण भारत में तमिल सबसे प्राचीन भाषा थी । उत्तरी गंगा मैदान में मध्य व उत्तरी यूरोपीय कबीलों के आगमन के पश्चात संस्कृत अस्तित्व में आई और विकसित हुई । उत्तरी कबीलों के दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से साम्राज्य विस्तार ने संस्कृत को एक विशाल विस्तृत क्षेत्र प्रदान कर उसे विकसित होने का अवसर प्रदान किया । धीरे-धीरे संस्कृत में अशुद्धता बढ़ती गई और पाली तथा प्राकृत भाषाएँ स्वरूप में आई । बुद्ध के उपदेशों के विस्तार में पाली भाषा का बहुत बड़ा योगदान है । उनके धर्म ग्रंथ व त्रिपटक पाली भाषा में ही थे । जबकि महावीर जैन के उपदेश उस ऊंचाई को नही छू पाई जिसके प्रमुख कारणों में उनके उपदेशों का प्राकृत भाषा में लिखित होना भी था । प्राकृत उस समय की सबसे कठिन भाषाओं में थी और बहुत कम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती थी । जबकि पाली भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थीं । पाली और प्राकृत भाषाओं में अशुद्धता ने हिन्दी भाषा को जन्म दिया । हिन्दी का विस्तार बहुत बाद में हुआ । हिन्दी को विकसित होने में बहुत लम्बा समय लगा, किन्तु आज जिस तेजी से हिन्दी का पतन हो रहा है वो विचारणीय है । वर्तमान में यदि कोई वक्ता शुद्ध हिन्दी में वार्तालाप कर लें तो आधे से ज्यादा लोग वक्तव्यों को समझ ही नहीं पाते । उसकी रुचि उस वार्तालाप से हट जाएगी । इसका प्रमुख कारण है हिन्दी में विदेशी भाषाओं का प्रवास । भारत जैसा देश जिसने शताब्दियों तक गुलामी झेली और इसके बावजूद अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में कामयाब रहा, परन्तु अपनी भाषा और शैली को सुरक्षित रखने में नाकामयाब रहा । विदेशी भाषाएँ भी पूर्णतः यहाँ स्थिर नहीं रह पाई । केवल उनके कुछ शब्द ही यहाँ की भाषा का हिस्सा बने, जिन्हें हम देशज व विदेशज शब्द की संज्ञा देते हैं । खैर, हम प्रश्न पर वापस आते हैं कि क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिन्दी सचमुच बढ़ रही है? यदि इसका उत्तर एक शब्द में दिया जाए तो मेरा उत्तर होगा 'नही' । इसके कारणों की व्याख्या मैं उदाहरणों के साथ करना चाहूँगा ।

पहला यह कि वर्तमान भारत में हिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक प्रयोग । हिन्दी भारत के किसी भी राज्य की मातृभाषा नहीं है । यह उपनिवेश के तौर पर राज्यों में सम्मिलित हुई है । असम में असमी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में भोजपुरी व मैथली, राजस्थान में राजस्थानी, उत्तराखंड में कुमाउँनी व गढ़वाली, हिमांचल में हिमांचली, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, उड़ीसा में उड़िया आदि वहाँ की मातृभाषाएँ हैं । इसी तरह दक्षिण भारत में केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्रप्रदेश में तेलुगु आदि वहाँ की मातृभाषाएँ हैं । यही क्रम भारत के पूर्वी राज्यों में भी लागू होता है ।

दूसरा प्रमुख कारण वर्तमान में भारत के अधिकांश राज्यों में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्ववादी होना । अंग्रेजी भाषा आज केवल भाषा नहीं रह गई, बल्कि यह समाज में उच्च जीवनस्तर को इंगित करने वाली प्रतिष्ठा बन चुकी है । समाज का बहुत बड़ा वर्ग आज इस बात को मानता है कि अंग्रेजी भाषा ही उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी । यह भी देखा गया है कि महानगरों में निवास करने वाली जनसंख्या का बहुत बड़े हिस्से को हिन्दी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है । तीसरा पहलू भाषा की सुगमता से जुड़ा हुआ है । अक्सर यह देखा जाता है कि लोग आसान भाषा सीखना ज्यादा पसन्द करते हैं । हिन्दी हालांकि मिश्रित वर्णों के साथ बोलने में काफी सुगम है । परन्तु यदि उसे लिखना है तो भाषा के असली रूप से सारोकार होना होगा । सामान्यतः यह पाया गया है कि शुद्ध हिन्दी का उच्चारण और लेखन दोनों अंग्रेजी की तुलना में कठिन है । यहाँ केवल अंग्रेजी इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी ही वर्तमान में भारत में हिन्दी की एकमात्र प्रतिद्वन्दी भाषा है तथा हिन्दी के विकास की सबसे बड़ी अवरोधक भी । हिन्दी की लोकप्रियता में कमी या विकास में बाधा का चतुर्थ कारण हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ता वैश्विक बाजार है । जैसा कि पहले संदर्भित किया जा चुका है कि अंग्रेजी आज उच्च जीवनस्तर को इंगित करने वाली प्रतिष्ठा बन चुकी है । विकास की दिशा में निरन्तर प्रगतिशील रहने का सबसे बड़ा नुकसान भाषा को भी उठाना पड़ा है । भारत विभिन्नताओं का देश है । हमारे देश में राज्यों का विभाजन ही भाषाई आधार पर हुआ है । विभिन्नताओं से भरे इतने बड़े देश में जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला ज्यादा है, ऐसे में हिन्दी के विकास की राह कठिन जरूर है, किन्तु असम्भव नहीं ।

(शोध छात्र, सोबन सिंह विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, उत्तराखंड)

-सुनील कालाकोटी
मकान संख्या-82, दमुवाढुंगा खाम
जवाहर ज्योति भाग मल्ला प्लाट, काठगोदाम, नैनीताल

समाज में हिन्दी के प्रति उदासीनता

डॉ. दीनदयाल साहू

किसी भी भाषा या बोली को स्थापित करने में समाज की अहम भूमिका होती है । इसे बोलने और समझने के साथ इसकी सामाजिक उपयोगिता ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती है । यदि हम हिन्दी भाषा की बारीकियों को समझने का प्रयास करें, तो हम में ही कई कमियां ऐसी नजर आती हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं । हम किसी-न-किसी रूप में अपनी भाषा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूर होते जा रहे हैं । इसमें किसी का हस्तक्षेप या दोष नहीं कहा जा सकता । सीधे तौर पर हम ही अपनी भाषा की अनिवार्य स्वीकार्यता को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर अपना नहीं रहे हैं । जब हम ही अपने घर-परिवार में हिन्दी को महत्त्व न देकर अंग्रेजी को महत्त्व देंगे, तो हिन्दी भाषा के प्रति अपने आप उदासीनता का भाव आना स्वाभाविक है । हमारे आसपास का वातावरण, गाँव हो या शहर सभी अभिभावकों का अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के प्रति जोर देना, हमें अपनी भाषा के प्रति मानसिक गुलामी का परिचायक बनाती जा रही है । इससे हमारे मन में अपनी भाषा के प्रति जो लगाव होना चाहिए, वह अपने आप दूर होने लगा है । आज की पीढ़ी उपरोक्त कारणों से किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नजर नहीं आती ।

भारत में भिन्न-भिन्न बोली और भाषा का उपयोग क्षेत्र विशेष के आधार पर किया जाता है । इनमें मातृभाषा के साथ एक वैकल्पिक भाषा का चुनाव अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों को कराया जाता है । जन्म लेने के पश्चात् बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा से जुड़ता है, इसके लिए समाज की भूमिका अहम् होती है । बच्चे स्कूल जाने से पहले माता-पिता से मातृभाषा ग्रहण करते हैं, उसके बाद स्कूली शिक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है । अंग्रेजों के शासनकाल के समय से अंग्रेजीकरण की जो प्रक्रिया चली, वह आज तक चली आ रही है । प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर जो प्रयास हिन्दी भाषा के लिए होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया । आज भी हिन्दी भाषा के प्रति जो उदासीनता देखी जा रही है, उसमें जमीनी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है और वह भी संकल्प और ईमानदारी के साथ ।

केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रप्रदेश के साथ अन्य कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय बोलियों के साथ अंग्रेजी का समावेश होता है । इन राज्यों में प्रत्यक्ष तो बहुत दूर, अप्रत्यक्ष रूप से भी हिन्दी बोलने वालों की कमी देखी जाती है । इस तरह भारत हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में विभक्त हो गया है । राष्ट्र में बोली और भाषा में एकरूपता का अभाव भी हिन्दी भाषा को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाया । हम अपने कार्य और व्यवहार में जब तक हिन्दी भाषा को प्राथमिकता में नहीं रखेंगे, तब तक हिन्दी उपेक्षा की शिकार होती रहेगी । हिन्दी को लेकर कई स्वयंसेवी और शासकीय संगठन इस दिशा में वर्षो से कार्य कर रहे हैं इसके बावजूद भी हिन्दी भाषा को बोलने और व्यवहार में लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं । हमें अपनी असफलताओं को पीछे के कारणों को समझकर चिंतन-मनन के बाद दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर बच्चों की नींव को हम कमजोर करते जा रहे हैं । अब तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि बच्चों के होश संभालते ही जानवरों के नाम, फल और सब्जियों के नाम अंग्रेजी में बताए जाते हैं । हिन्दी वर्णमाला में गिनती के अंक अब तो लगभग गायब से हो गये हैं । इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? हिन्दी में पहाड़ा और गिनती का चलन लगातार कम होता जा रहा है जो हमारे हिन्दी के अंकों के समूल नष्ट होने की ओर संकेत करता है । बच्चे जब बोलते हैं वह हिन्दी नहीं, अंग्रेजी के नामों से अपनी बात करते हैं । कई ऐसे शब्द हैं जिनके हिन्दी के नाम क्या हैं अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है, और होंगे भी तो उन शब्दों को व्यवहार में लाते नहीं हैं । पिन कोड, एटीएम, ओटीपी, कम्प्यूटर, केलकुलेटर, सोनोग्राफी, ट्रेन, स्टेशन, एक्सरे, टिकट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, मोबाइल, रैपर, लैपटॉप, सीमेंट, पैकिंग, पार्सल, सेनेटाइजर, बल्ब, साइकिल, मोपेड, कार, सील, पेट्रोल, रिचार्ज जैसे अंग्रेजी के अनेक शब्द हमारी दिनचर्या में सीधे समाहित हो गए हैं । यह अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, किन्तु जिन अंग्रेजी शब्दों के हमारे पास आसान शब्दावली उपलब्ध हैं उनके स्थान पर भी हम अंग्रेजी शब्दों का ही अन्धानुकरण कर रहे हैं । जैसे पंखा को फैन कहना, कागज को पेपर कहना, मेज को टेबल, शिक्षक को टीचर, अभिभावक को पेरेंट्स, रेल को ट्रेन, शौचालय को टॉयलेट, तेल को ऑयल, साबुन को सोप, तौलिया को टॉवल, सुई को नीडल, घड़ी को वॉच आदि । इस प्रवृत्ति से हमें बचना होगा ।

बच्चों के जन्म के बाद उनके नाम अंग्रेजी शब्दों पर रखने का चलन भी बढ़ता जा रहा है । ग्रामीण अंचल के लोग भी अपने बच्चों को हिन्दी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते । गाँवों में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की अधिकता होती जा रही । पालकों में होड़ लगी है कि मेरा बच्चा कितना जल्दी और फर्राटे से अंग्रेजी बोल-पढ़ और लिख सकता है । यहाँ तक कि अब शासकीय स्तर पर हिन्दी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तन किया जा रहा है । उच्च शिक्षा में अधिकाशत: तकनीकी और चिकित्सा से संबंधित शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी ही रहे हैं । समाचार-पत्रों में हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होना चिंताजनक साबित होने लगा है, यह हमारी भाषा के संवाहक के पक्षधर रहे हैं । पाठ्यक्रमों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में लिया जाना चाहिए । प्रचार-प्रसार के माध्यमों में भी अंग्रेजी हावी है । यह सभी कारण हिन्दी भाषा के प्रति उदासीनता के परिचायक हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषाओं के उन्नयन की बात की गई है । शिक्षा नीति में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तथ्यों को शामिल किया गया है । यदि शिक्षा नीति को ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाए, तो हम इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पठन-पाठन से हिन्दी के कामकाज में अवश्य बढ़ावा मिलेगा । अब देखना यह है कि धरातल पर कितना काम हमें दिखेगा । सरकारी कामकाज में जितनी अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है उतनी हिन्दी को भी दी जाए तो सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को कामकाज में हिन्दी को अपनाने

की पहल करनी चाहिए, जिससे उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी हिन्दी में कामकाज करना आरंभ कर देंगे । आजकल दवा का नाम आवरण में हिन्दी में लिखा जा रहा है इसी तरह कम-से-कम पूरी तरह से हिन्दी भी न हो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का उपयोग हो, तो भी मूल हिन्दी के शब्द को लोग भले न बोले पर जानकारी अवश्य रख सकते हैं । मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं, इसी तरह का प्रयास अन्य राज्यों को भी करना चाहिए । शिक्षा में संस्कृति और संस्कार का समावेश होना जरूरी है जो हिन्दी के शब्दों पर आधारित रहेंगे । इससे छात्रों को अपनी संस्कृति को जानने-समझने के साथ हिन्दी भाषा के प्रति रूझान भी बढ़ेगा । हमारे परम्परागत रीति रिवाजों को भी पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिसमें हिन्दी के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश भी होता जाएगा । पाठ्यकम बनाते समय हिन्दी के विषय को रोचक बनाने के लिए उचित प्रयास करना चाहिए । हिन्दी के विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिए । जमीनी स्तर पर किए गए कुछ कार्यों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं; जैसे कि दवाइयों के नाम अब हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं । जिन प्रदेशों में हिन्दी बोलने और समझने में दिक्कत होती थी, अब उचित प्रयास से वहाँ हिन्दी बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है ।

हमें अपनी पीढ़ी को प्रमाणित रूप से बताना होगा कि पहले हिन्दी भाषा में शासकीय स्कूल ही हुआ करते थे, वहाँ से आई. ए. एस, आई. पी. एस, डाक्टर और इंजीनियर के साथ बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों पर चयन होता रहा है । बचपन से हिन्दी माध्यम के स्कूलों में इनकी शिक्षा ग्रहण होती रही है । महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यमों का सामना होता था, लेकिन कभी अंग्रेजी का सामना करने से पीछे नहीं हटे । आज भी गाँवों के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरिट में स्थान पा रहे हैं । अभावों में भी अच्छा करने की क्षमता रखते हैं । हमारे प्रचलित होने वाले दैनिक क्रियाकलापों में मशीनों के नाम, अलग-अलग कामों में उपयोग होने वाले औजारों के नाम, बर्तनों के नाम, पेड़-पौधे के नाम, खिलौने के नाम, चौराहों के नाम, रेल, बस और तीर्थ स्थानों के विज्ञापनों में हिन्दी भाषा का ही उपयोग होना चाहिए । हमारे पूर्वजों में स्वतत्रंता सेनानी, किसी भी स्थान की विशेषता व उपयोगिता, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल और शैलचित्र जैसे विषय-वस्तु को पूरी तरह से हिन्दी में लिखा जा सकता है जिससे हिन्दी पढ़ने-लिखने के साथ जानने और समझने वालों को आसानी होगी । बच्चों को कार्टून, चलचित्रों, खेल-खेल में हिन्दी के शब्दों को याद कराने के लिए तैयार कर रुचिकर बनाना चाहिए । बच्चों को खेलते समय, चलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय या किसी भी कार्य करते समय कुछ पर्यायवाची शब्दों को मुहावरों तथा कहावतों के माध्यम से अभिभावकों को रखना चाहिए । हिन्दी दिवस पखवाड़ा मनाने के पीछे उनके उद्देश्यों का सही रूप से परिपालन हो, तभी हिन्दी समृद्ध और संरक्षित हो सकती है ।

-डॉ. दीनदयाल साहू
प्लॉट नं.-429, मॉडल टाऊन
पो. नेहरू नगर, भिलाई, दुर्ग-490020 (छ.ग.)

भारत सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्राता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम 'भारती' के 'जन्मदिन' 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम 'भारती'

(11 सितम्बर 1921-11 दिसम्बर 1982)

चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक थे । उनको महाकवि भारतीय के नाम से भी जाना जाता है । कविता में उत्कृष्टता के लिए उन्हें 'भारती' की उपाधि से सम्मानित किया गया था । वह आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे और उन्हें सर्वकालिक महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है । वह अपने उपनाम 'भारती' और दूसरी उपाधि 'महाकवि भारती' से भी लोकप्रिय हैं । उनके साहित्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति जगाने वाले गीत शामिल थे । उन्होंने महिलाओं की मुक्ति और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी । उन्होंने जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और समाज और धर्म में सुधार के लिए खड़े हुए । महाकवि भारती की प्रारंभिक शिक्षा तिरुनेलवेली और वाराणसी में हुई । विवाह के बाद 1898 में वे उसे उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए । अगले 4 वर्ष उनके जीवन में खोज के वर्ष थे । बनारस प्रवास की अवधि में उनका हिन्दू आध्यात्मिक व राष्ट्र प्रेम से साक्षात्कार हुआ । सन 1900 तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह जुड़ चुके थे। 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडिचेरी जाना पड़ा, जहाँ 10 वर्ष वनवासी की तरह बीते । इसी दौरान उन्होंने कविता और गद्य के जरिए आजादी की लड़ाई में अपना पूर्ण योगदान दिया। आजादी के आंदोलन में 20 नवम्बर 1918 को वह जेल गए । तमिल साहित्य पर उनका प्रभाव अभूतपूर्व है । हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वे तीन गैर भारतीय विदेशी भाषाओं सहित लगभग 32 भाषाओं में पारंगत थे। उनकी पसंदीदा भाषा तमिल थी । उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। भारती द्वारा रचित गीत और कविताएँ तमिल सिनेमा में अक्सर उपयोग लिए हैं। उनका लेखन दुनिया भर के तमिल कलाकारों द्वारा साहित्यिक और संगीतमय कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से प्रयोग हो रहा है।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता

राजस्थानी भाषा में मेरा एक दोहा है–

संस्कृत सूं प्राकृत बणी, प्राकृत सूं अपभ्रंस।
उणां सूं-ई जलम लियो, ओ' राजस्थानी वंज़।।

राजस्थानी वंश का तात्पर्य यहाँ हिन्दी और उन समस्त भाषाओं से है जिनकी लिपि देवनागरी है। जिनमें हिन्दी, संस्कृत, मराठी, बृज, नेपाली, डोंगरी, कोंकणी, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखण्डी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी इत्यादि हैं। आज बात केवल हिन्दी की, उसकी दिशा की, दशा की और दुर्दशा की करते हैं।

कहते हैं कि अवन्ती के राजा मान के यहाँ 826 ईसवी में पुष्प नामक एक कवि हुआ था। उसने ही सर्वप्रथम एक कविता रची जो हिन्दी में थी। राजपूताना में वेणा नामक एक हिन्दी कवि 1198 ईसवी में हुए थे। इससे भी पहले जगनिक कवि हो चुके हैं जो 1180 ईसवी में विद्यमान थे, परन्तु इनके लिखे और प्रकाशित हुए ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। इन ग्रन्थों की उपलब्धता के आधार पर ही कहना पड़ेगा कि चन्द्र बरदाई का 'पृथ्वीराज रासो' ही हिन्दी का प्रथम ग्रन्थ है जो बारहवीं शताब्दी में लिखा गया। तो इस तरह हिन्दी का विकास विधिवत् रूप से हम आज से 800 से 1200 वर्षों के मध्य की अवधि को मान सकते हैं। दुर्भाग्य से यही दौर रहा विदेशियों के आक्रमण का। लूट-खसोट का। अपने देश की भाषा, भूषा, संस्कृति, साहित्य और जन के विध्वंस का तथा विनाश का, पर हमारी संस्कृति और भाषाएँ इतनी कमजोर नहीं थी कि वे मिट जाएँ। उन थपेड़ों, झंझावतों, बवंडरों, तूफानों और सुनामियों को झेला। कहते हैं कि आंधियों के बाद मेह बरसता ही है और यहाँ भी बरसा। नामदेव, कबीर और दादू ने इस भाषा को अमृत से सींचा। गुरुनानक, मीराबाई, सारंगधर, राणाकुम्भा, मलिक मुहम्मद जायसी ने इसे हरा-भरा बनाया। सूरदास, तुलसीदास, ब्रजवासीदास, बिहारीलाल, कृष्णदास और प्रियादास ने इस भाषा को उक्त ही नहीं किया, बल्कि जन-जन तक पहुँचाया भी।

जब हमारी भाषा हिन्दी लगभग पच्चीस लाख शब्दों से सुसज्जित, अनेक ग्रन्थों को अपने में समाए, समृद्ध साहित्य से ओतप्रोत, अपने देश के निवासियों के कण्ठों में विराजित, करोड़ों की मातृभाषा का रुतबा पाए, सम्पर्क भाषा का पद प्राप्त किए, देष में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने नाम का डंका बजाए, विदेशों में अनेक विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन की भाषा का नाम पाए तथा आज वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर चीनी भाषा के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनी हुई है, जिसने पूरी दुनिया पर राज करने का दंभ भरने वाली भाषा को पछाड़ा है तो ताज्जुब इस बात का है कि हमारे देश की आज़ादी से पूर्व ही वह अपना वाजिब हक क्यों नहीं पा सकी ? इसका सहज, सरल और शीघ्रता के साथ उत्तर दिया जा सकता है कि हम गुलाम थे। 'पराधीन सपनेहु सुख नांहि' गोस्वामी तुलसीदास जी की यह चौपाई सुनाकर हम हमारे कर्तव्यों से भले ही पिण्ड छुड़ालें, मगर हमारे दायित्वों से इतनी सरलता से पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता।

आज़ादी मिलते ही राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने कहा था– ''अंग्रेजों को कह दो कि गांधी अंग्रेजी बोलना भूल गया है।'' तब 15 अगस्त 1947 को हिन्दी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं घोषित किया गया ? भारत के तात्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने लालकिले से राष्ट्र के नाम अपने पहले उद्बोधन में हिन्दी को वह सर्वोच्च स्थान देने के लिए यह घोषणा क्यों नहीं की ?

हिन्दी जब जन-जन की भाषा है। अपने देश की एकमात्र सम्पर्क भाषा है। राजस्थान, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अण्डमान निकोबार द्वीप तक की यह मातृभाषा और राज्यभाषा है। करोड़ों में इसको बोलने-समझने वाले हैं, तब राष्ट्रभाषा क्यों नहीं ? इसके पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा शड़यंत्र तो नहीं ? अन्यथा क्या कारण है कि सबके चाहने, सरकारी प्रयासों चाहे वे दिखाऊ ही सही, बार-बार आन्दोलन करने, संविधान में 14 सितम्बर 1949 को राजभाषा घोषित करने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बालगंगाधर तिलक, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी, राजगोपालाचार्य जी, विनोबा भावे, पुरषोतमदास टण्डन, डॉ. राममनोहर लोहिया, सुभाषचन्द्र बोस, पं. मदनमोहन मालवीय इत्यादि भारत के महान सपूतों के चाहने पर भी हिन्दी की दशा और दिशा में राष्ट्रभाषा बनने के सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सफलता नहीं मिली। हमें यह सच्चाई से पता लगाना चाहिए कि गाँठ कहाँ है ? अन्धेरी सुरंग में वह अन्धा मोड़ कहाँ है ? कौन वे शक्तियाँ व ताकतें हैं जो हमारी हिन्दी को अपने सिंहासन पर बैठने से रोक रही हैं ? जब तक इसका पता नहीं चलेगा हम पानी में लाठियाँ पटकते रहेंगे। हवा में डंडे भांजते रहेंगे। सर्वप्रथम हमें इसकी जड़ों में जाकर समस्या, अड़चन और रुकावट का पता लगाना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। विद्वान लोग कहते हैं कि हरेक समस्या अपना समाधान-निदान अपने साथ लेकर पैदा होती है। जरूरत होती है निष्पक्ष होकर केवल आन्तरिक दृढ़ इच्छा शक्ति से उस समस्या से जूझना। हम जूझे क्या ? हमारी आन्तरिक दृढ़ इच्छा शक्ति बताई क्या? उत्तर है नहीं।

यदि नहीं तो फिर ये दिखावटीपन, ढ़ोंग और ढ़कोसले बन्द होने चाहिए। सरकारी विभागों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति तो हिन्दी भाषा के प्रचार, प्रसार और विकास हेतु करते हैं और उनसे हिन्दी के इन्हीं कार्यों को छोड़कर शोध कार्य लिए जाते हैं, करवाए जाते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाकर हम हमारे प्रयासों, कर्तव्यों एवं दायित्वों की इतिश्री समझ लेते हैं। इसका कभी मूल्यांकन या आत्मावलोकन किया क्या ? इससे हमारी कितनी दशा सुधरी ? कितनी उन्नति हुई ? क्यों हमने इसे एक रश्म अदायगी, नाटक और कर्मकाण्ड का रूप दे रखा है ? काश! हम हिन्दी को केवल एक दिन की बजाय तीन सौ पैंसठ दिन हृदय में धारण किए रहते। यदि हम ऐसा करेंगे हैं तो फिर ढ़कोसलों, आडम्बरों एवं दिखावे की जरूरत ही नहीं रह जाएगी।

हिन्दी को ऊँचे सिंहासन पर बिठाने के लिए हमारे सम्मुख अनेक अवसर आए, परन्तु एक-एक कर हम उन्हें खोते-गँवाते गए। पहला अवसर था आज़ादी के दिन का। दूसरा 14 सितम्बर 1949 का उस वक्त हमने 15 वर्षों का समय देकर अपनी आँखें बन्द कर ली। मुँह फेर लिया। फिर जब यह दीर्घावधि बीती तो पुनः हमने बेमियादी अवधि बढ़ाकर सुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में छिपाली। मुँह छुपाने से समस्याएँ नहीं सुलझती हैं। समस्याएँ सुलझती हैं साथ बैठकर शुद्ध एवं पवित्र भाव लेकर देज़हित में निर्णय लेने से जो हमें होता दिख नहीं रहा है।

हमें दर्द, पीड़ा और वेदना इस बात की है कि आज़ादी के 71 वर्षों में भारत की संसद में एक भी विधेयक हिन्दी भाषा में क्यों नहीं पारित हुआ। जब देश की संसद का यह हाल है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी कौन सुनेगा ? वहाँ हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिलने के पीछे कहीं यह कारण तो नहीं कि हिन्दी की अपने वतन में क्या स्थिति है, को वे भली-भाँति जानते हैं।

एक स्थान पर मैंने पढ़ा कि गुलाम भारत में हिन्दी आज़ाद थी, मगर आज़ाद भारत में उसके पर कतर दिए गए। यह हमारे गाल पर तमाचा नहीं तो और क्या है ?

गैर हिन्दी भाषी जन आज़ादी के पहले जब वे हिन्दी के पक्ष में थे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद वे क्यों बदल गए ? इसके पीछे कहीं हमारा केन्द्रीय नेतृत्व तो जिम्मेवार नहीं था ? अन्यथा गैर-हिन्दी भाषियों ने तो हिन्दी को खूब आगे बढ़ाया। केवल उनके गले दोष मढ़कर अपना गला छुड़ाने वाली बात मेरे तो गले नहीं उतरती। क्योंकि हिन्दी की श्रीवृद्धि करने में दक्षिण के सन्तों, गुरुओं और भाषाविदों का बहुत बड़ा हाथ और योगदान रहा है यथा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य इनमें से किसी की भी मातृभाषा न तो संस्कृत थी और न ही हिन्दी। शंकराचार्य जी की भाषा मलयालम, रामानुजाचार्य जी की तमिल, माधवाचार्य जी की कन्नड़ तथा वल्लभाचार्यजी की भाषा तेलुगु थी।

अनेक रूपता का नाम ही यह जगत है। अनेकता में एकता भारत की विज़ेशता के गुण गाते हम थकते नहीं हैं तो फिर इसे अमली जामा पहनाने में हम पीछे क्यों हैं ? वातावरण ऐसा बनाया जाना चाहिए कि हमें हमारे देश में भारतीय भाषाओं को अपनाना है। उन्हें गले लगाना है। हमारा संघर्ष केवल और केवल अंग्रेजी भाषा से है। संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित और उसमें स्थान नहीं पा सकी भाषाओं यथा हिन्दी इस वतन की राष्ट्रभाषा बन जाए, यही तमका है। हम वह दिन देखना चाहते हैं। देखकर गर्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर हृदय की अतल गहराई में एक हूक-सी उठती है। पीड़ा और दर्द का एहसास होता है और मन स्वयं से ही एक गूढ़ प्रश्न करता है जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी के शब्दों में कहना चाहूँगा- ''जब नैत्रों की भाषा होती है, हृदय की भाषा होती है, बुद्धि की भाषा होती है, आवश्यताओं की भाषा होती है, बलिदान की भाषा होती है और मुस्कराहट, उदासीनता, मुहावरे, कहावतें, उक्ति, ताने, उत्साह, पड़तारणा, मौन और वाणी मानव-हृदय को व्यक्त करने का ही काम करते रहते हैं, तब मानवों की मातृभूमि, उनके देश की कोई बोली नहीं, यह सम्भव नहीं।''

वे आगे कहते हैं- ''बोली बन्द होना तो मरण का लक्षण होता है। जीवन का लक्षण तो बोली ही है। अतः अखण्ड हिन्दुस्तान किसी का भी स्वप्न हो, उसका अधिष्ठान एक बोली है, एक भाषा है, राष्ट्र भाषा है।'' इसके आगे और अधिाक कहने की आवश्यक्ता मैं नहीं समझता हूँ।

शिक्षा सम्बन्धित नीतियाँ निर्धारण करने वाले अंग्रेजी पढ़कर आए हुए अंग्रेजी भाषा के हिमायती यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही तो होते हैं। उनके रहते हिन्दी भाशी विद्यार्थियों का भविष्य सुनिश्चित करना टेढ़ी खीर ही है। यह शिक्षा नीति हिन्दी के हिमायतियों के हाथों में आने तक हिन्दी भाषी छात्र छले ही जाया करेंगे। हमने बचपन में यानी 1966-67 में अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन देखा। जिसे येन-केन प्रकारेण दबा दिया गया। कहते हैं उम्मीद के सहारे दुनिया चलती है, मगर आज के हालात देखकर जहाँ गाँव-गाँव, गली-गली कुकुर्मुतों की तरह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल देखकर हिम्मत डगमगाने लगी है। दर्द तो तब होता है जब माँ-बाप इस बात को गर्व से तथा इतराते हुए बताते हैं कि हमारे बच्चों को तो हिन्दी आती ही नहीं है। सुनकर शर्म आती है। लज्जा से सर झुक जाता है। जोश रहता है तो केवल मरना। भाषाओं को हम माता समझें तथा उनको माँ की तरह प्यार करें। तब ही केवल बात बन सकती है। अन्यथा करें भी तो क्या करें ? विश्वास और भरोसा करें भी तो किस पर ? और कब तक ? जो पीड़ा आज से सौ-सवा सौ वर्ष पहले भारतेन्दु हरिशचन्द्र को थी तथा जिन्होंने अपने हृदय के उद्‌गार इस तरह प्रकट किए-

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।''

तब लगता है कि हिन्दी की ऐसी दशा जिसे हम दुर्दशा ही कह सकते हैं के पीछे शड़यंत्र या उसे राष्ट्रभाषा से वंचित रखने के लिए कोई कुचक्र तो नहीं ? हमें सजग, सचेत और सक्रिय होकर ऐसे शड़यंत्रों, कुचक्रों को अब भी वक्त रहते ठीक ढ़ंग से पहचानकर उनसे निपटना है। इसके लिए हमें जन्मदात्री माँ और जन्मभूमि की तरह हमारी भाषा हिन्दी को भी हमें माता समझकर उससे प्यार करना है। जिस दिन हम ऐसा कर पाएँ, फिर हिन्दी के साथ कोई भी अन्याय, पक्षपात और उसकी उपेक्षा नहीं कर पाएगा। ऐसा मेरा मानना है। मेरा ही दोहा प्रस्तुत है-

हिन्दी भाषा वतन की, है यह मन की मीत।
रग-रग में हिन्दी बसे, इससे जोड़ो प्रीत।।

-माणक तुलसीराम गौड़
नं. 247, द्वितीय तल, 9 मेन
शान्ति निकेतन लेआउट, अरेकेरे, बैंगलोर-560076

रिपोर्ट

'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान समारोह-2023' सम्पन्न

वरिष्ठ साहित्यकार श्री बृज किशोर राहगीर सहित 50 श्रेष्ठ शायर हुए सम्मानित

गत् 5 नवम्बर 2023, नई दिल्ली। भारतीय भाषाओं के उन्नयन एवं संवर्धन को समर्पित स्ववित्तपोषित संस्था शहिन्दुस्तानी भाषा अकादमीश द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित एन.डी. तिवारी सभागार में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया । इस समारोह में मेरठ के वरिष्ठ साहित्यकार श्री बृजराज किशोर 'राहगीर' को हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान-2023 से नवाजा गया। सम्मान स्वरूप में उन्हें शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, पुस्तक साझा गजल संग्रह 'गुलदस्ता-ए- गजल' की प्रति तथा नगद सम्मान राशि प्रदान की गई।

श्री बृजराज किशोर 'राहगीर' को यह सम्मान निर्णायक मंडल द्वारा साझा गजल संग्रह में शामिल उनकी गजलों के गुणवत्ता के आधार पर दिया गया । गौरतलब है कि अकादमी भारतीय भाषाओं के संवर्धन के साथ ही स्तरीय साहित्य को भी प्रोत्साहित करती रहती है। अकादमी द्वारा इससे पूर्व में साहित्य की गीत विधा पर यह सम्मान दिया गया था। इस वर्ष यह सम्मान साहित्य की गजल विधा के लिए कुछ महीने पहले घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से देश-विदेश के गजलकारों से उनकी तीन-तीन गजलें आमंत्रित की गई थीं। उन गजलों के आधार पर 50 श्रेष्ठ गजलकारों का चयन किया गया। चयनित 50 श्रेष्ठ गजलकारों की दो-दो गजलों को शामिल करके यह साझा गजल-संग्रह 'गुलदस्ता-ए-गजल' के नाम से प्रकाशित किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा इन 50 गजलकारों में से ही श्री ब्रज राज किशोर श्राजगीरश की गजलों को श्रेष्ठ घोषित किया गया, जिसके लिए उन्हें उक्त समारोह में 'हिन्दुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान-2023' से सम्मानित किया गया।

योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने के लिए निर्णायक के पास गजलों के साथ गजलकारों के नाम नहीं भेजे गए, बल्कि उन्हें एक प्रतियोगी क्रमांक आवंटित किया गया था। अकादमी से जुड़े किसी भी सदस्य को इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया। देश-विदेश से 171 गजलकारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया जिनमें से श्रेष्ठ 50 गजलकारों का चयन किया गया।

इस भव्य समारोह में सर्वश्रेष्ठ गजलकार श्री बृजराज किशोर राहगीर का सम्मान किया गया, इसके साथ ही समारोह में सम्मिलित अन्य चयनित सभी गजलकारों का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा तीन अन्य गजलकार डॉ. तूलिका सेठ, रवि ऋषि और संजय कुमार गिरी भी विशेष आमंत्रित गजलकारों के रूप में उपस्थित थे, उनका भी सम्मान किया गया ।

देश के विभिन्न प्रदेशों से पधारे चयनित गजलकारों में सर्वश्री/सुश्री रचना निर्मल (दिल्ली) कृष्ण कुमार दुबे (कोलकाता), अजय अज्ञात (फरीदाबाद), सुप्रिया सिंह वीणा (गाजियाबाद) रीता अदा (दिल्ली) रमा प्रवीर वर्मा (नागपुर) सोनिया सोनम 'अक्श' (पानीपत), सुंदर सिंह (दिल्ली) आनंद पांडे तन्हा (कानपुर), दीपक कामिल (चूरू),कुलदीप गर्ग 'तरुण' (सोलन), अब्दुल रहमान मंसूर (ओल्ड फरीदाबाद), राम श्याम हसीन (दिल्ली), दानिश कैमूरी (रोहतास), पंकज गर्ग (रुड़की), डॉ ऋषिपाल धीमान ऋषि (अहमदाबाद), आशीष सिंन्हा काशिद (दिल्ली), डॉ. निधि नीर (दिल्ली), रजनीश त्यागी राज (शदिल्ली), शहजाद खुर्रम नूर (ग्रेटर नोएडा), अनीस शाह (नरसिंहपुरा), डा. गुरविंदर बांगा (गुरुग्राम), रमेश डढवाल (धर्मशाला), मनीष मोहक (बेगूसराय), दीपक कुमार नगाइच रोशन (उदयपुर), पिंकी सिंगल अर्श (दिल्ली), कृष्ण सुकुमार (रुड़की) चमन लाल शर्मा (चंडीगढ़), अरविंद असर (दिल्ली), राजू खान (दिल्ली), साहिल मिश्र (रायबरेली) डॉ. श्रद्धा निकुंज भारद्वाज अश्क (फरीदाबाद), इंदु मिश्रा किरण (दिल्ली), शाहजहां साद (सूरत)

और ओंकार सिंह विवेक (रामपुर) समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी गजलकारों ने अपनी एक एक प्रतिनिधि गजल का पाठ भी किया।

मशहूर उस्ताद शायर सीमाब सुल्तानपुरी जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और 'गुलदस्ता-ए-गजल' साझा गजल-संग्रह को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गजल-गुरु श्री देवेंद्र मांझी जी मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। विशेष अतिथि के रूप में सर्वभाषा ट्रस्ट के निदेशक डॉ. केशव मोहन पांडे इस समारोह में शामिल थे।

अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने अपने स्वागत वक्तव्य में मंचासीन अतिथियों सहित सभी आमंत्रित अतिथियों का आभार ज्ञापित किया और अकादमी की कार्यपद्धति और इसकी भावी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही अकादमी की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अतिथियों से उनके कार्यों का उल्लेख सहित परिचय भी करवाया।

उल्लेखनीय बात यह रही कि 4 घंटे तक चले समारोह में 40 से अधिक गजलकारों और सम्माननीय अतिथियों ने अपनी बात रखी, उपस्थित श्रोताओं ने कार्यक्रम के अंत तक उन्हें बड़े ध्यान से सुना और और उसकी सराहना भी की।

इस कार्यक्रम का संचालन बड़े ही अनुशासित ढंग से संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य- सुश्री संजय गरिमा, डॉ. सोनिया आरोड़ा और विनोद पाराशर ने किया। अकादमी के अन्य सदस्यों-श्री विजय कुमार शर्मा डॉक्टर वनिता शर्मा, सुषमा भंडारी सीमा सिकंदर, सरोज शर्मा ओर राजकुमार श्रेष्ठ के सतत प्रयासों से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया। इस समस्त आयोजन की परिकल्पना के समय से जुड़े अकादमी के सलाहकार एवं केंद्रीय समिति के सदस्य श्री विनोद पाराशर के समन्वयन में आयोजित इस सफल आयोजन में उनकी मुख्य भूमिका को सभी अतिथियों ने बहुत सराहा।

लोकार्पण
समारोह

हिन्दी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा से जोड़ने पर बढ़ेगी हिन्दी की स्वीकार्यता

संजय चौधरी

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार और पत्रकार (अब दिवंगत) जयंत पवार की मानें तो 'हिन्दी अंग्रेजी से बेहतर इसलिए है, क्योंकि वह आम आदमी की भाषा है । उस आम आदमी की जिसे व्याकरण नहीं, संप्रेषण से मतलब है और जो विचार से नहीं, भावना से जुड़ा है ।' इस प्रकार माना जा सकता है कि आम आदमी को संप्रेषण के लिए सहज, सरल भाषा का एक माध्यम उपलब्ध कराने तथा हर वर्ग की भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने वाली भाषा होने के कारण ही हिन्दी अन्य देशी-विदेशी भाषाओं के मुकाबले भारत में अब तक सर्वसामान्य की लोकप्रिय भाषा बनी हुई है । देश की संपर्क भाषा होने के साथ-साथ साहित्य और मनोरंजन की भाषा के रुप में हिन्दी की अब तक की प्रगति भी उल्लेखनीय है । लेकिन जैसे ही अन्य तकनीकी क्षेत्रों, विभिन्न उप विषयों, गणित, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि की बात आती है, हम सोच में पड़ जाते हैं । विज्ञान व प्रौद्योगिकी, व्यापार व वाणिज्य, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आदि आधुनिक विषयों में हिन्दी की अभिव्यक्ति की स्थिति देखकर हम सोच में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हिन्दी भाषा में पर्याप्त पाठ्यपुस्तकें और गुणवत्तापूर्ण सामग्री नहीं है । कवि और चिंतक सच्चिदानन्द वात्सयायन अज्ञेय जी का कहना था कि भाषा कल्पवृक्ष है । श्रद्धापूर्वक जो उससे माँगो, वह देती है । यदि उससे कुछ माँगा ही न जाए तो कल्पवृक्ष भी कुछ नहीं देता । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हिन्दी के कल्पवृक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है ।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भविष्य की राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली हिन्दी स्वतंत्र भारत की मात्र एक राजभाषा घोषित हो पाई । इसके बाद सत्ता के गलियारों में धीरे-धीरे हिन्दी की उपेक्षा बढ़ती रही; शिक्षा और शासन व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रभुत्व विकसित होता रहा और मूक जनता अपनी पहचान के साथ-साथ अपनी भाषा को हर क्षेत्र में लगातार निष्प्रभावी बनते देखती रही । यहाँ तक कि गाँव के विद्यालय कब स्कूल और धीरे-धीरे फिर, कब केवल 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' के रुप में समाज में स्थापित हो गए, ये हमें पता ही नहीं चला । देश का मध्यम वर्ग अपने दैनिक जीवन के हिसाब-किताब में उलझा रह गया और एक नई पीढ़ी अपने बाजारवाद और उपभोक्तावाद का नया दर्शन लेकर पूरे समाज पर हावी हो गई । बाजारवाद, उपभोक्तावाद और खुलेपन की संस्कृति के इस अपप्रसार को दरअसल सिनेमा की देन कहा जा सकता है । कभी सिनेमा को भाषा एवं संस्कृति की कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता था लेकिन जिस प्रकार हिन्दी सिनेमा ने बाद के वर्षों में नंगेपन, फूहड़पन व भाषा के भद्देपन को बढ़ावा देना शुरु किया, वह कई अन्य क्षेत्रों में हिन्दी की दुर्गति की एक मिसाल बन गया । वास्तव में, आजादी के बाद के आरंभिक दौर से ही भाषा का प्रश्न झूठी समझ और राजनीति में फंस कर उपेक्षित रहा । हम भूल गए कि भाषा के साथ मनुष्य का संबंध क्या है ? याद रहे पहले भाषा ही हमें बनाती है । जिस भाषा को हम जन्म से सुनते, जानते हैं और जिस परिवेश में रहते हैं उसी से हम गढ़े भी जाते हैं । यदि उसी की उपेक्षा कर दी जाए तो स्वभाविक रूप से भाषा की नैसर्गिक धारा अवरुद्ध होने लगती है । याद रखने योग्य बात ये भी है कि सांस्कृतिक और भाषाई परम्पराओं को भी संवेदनापूर्ण संपोषण की जरूरत होती है। आर्थिक शोषण की अति तो सदा से ही विनाशकारी प्रभाव डालती रही है और हिन्दी सिनेमा ने इसे सिद्ध भी किया है ।

आज भारत कई क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी स्थान पर है । अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, सुधरती अर्थव्यवस्था, जी-20 की अध्यक्षता, नई शिक्षा नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुभाषावाद सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव के साथ हिन्दी का प्रवेश आदि के रुप में सकारात्मक परिवर्तनों की लम्बी सूची है । लेकिन भारत में डिजिटल अभियान को मिल रहे जबर्दस्त प्रोत्साहन के बावजूद कई बार जब इसकी सामान्य जानकारी भी जनता की भाषा में नही मिल पाती तो हिन्दी के सीमित विकास पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है । आखिर हिन्दी के संसार में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात कब होगी ? दुनिया के सभी शिक्षाविद और बाल मनोविज्ञान के जानकार इस बात पर हमेशा सहमत नजर आते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए । यदि हिन्दी को शुरू में ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया होता तो हमारे सामने समस्याएं इतनी विकराल नहीं होती । भारतीय भाषाओं को अनदेखा करने के कारण भारत में भाषाओं की क्या स्थिति है, इसे नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट से जाना जा सकता है, जहाँ कहा गया है कि 'दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है ।'

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डाटा एनालिसिस तथा शोध एवं नवाचार के बढ़ते महत्त्व के क्रांतिकारी दौर में हिन्दी की वर्तमान स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि कई तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी की उपस्थिति पर विचार करने की जरूरत है। समस्या केवल कन्टेंट की कमी नहीं है, वरन पराधीन मानसिकता की गहरी जड़ें अधिक बड़ी चुनौती है । वर्तमान हिन्दी की स्थिति में सरकारी स्तर पर सुधार के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु आम जनता के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया है । पराधीन मानसिकता की गहरी जड़ों को नष्ट किए बिना स्वभाषा के प्रति स्वाभिमान का विकास सम्भव नहीं है । हिन्दी के उत्थान के लिए हमें कुछ बड़ा सोचना ही नहीं, बहुत कुछ बड़ा करना भी होगा । सामान्य रूप से माना जाता है कि कुछ बेहतरी लाने के लिए बदलाव

की शुरुआत करना पहली शर्त है और यह हमेशा स्थिति को बेहतर बनाता है । अब तक हिन्दी की पहचान साहित्य और मनोरंजन की भाषा के रुप में रही है, किन्तु हर क्षेत्र में हिन्दी को स्थापित करने और हर विषय के समावेश के लिए हिन्दी की अभिव्यक्ति को नई धार देने के बड़े प्रयोजन को देखते हुए इस पारंपरिक छवि में बदलाव की आवश्यकता है । वर्तमान हिन्दी की स्थिति को किसी और संदर्भ में लिखी गई दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से समझा जा सकता है–

"अब तो इस तालाब का पानी बदल दो
ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं । "

स्पष्ट है कि समाज के तालाब में भाषाई पराधीनता की सोच को तुरंत बदलने की जरुरत है ताकि हिन्दी के कमल को कुम्हलाने से रोका जा सके । यहाँ इस बात पर विचार करना भी उपयोगी होगा कि हिन्दी साहित्य को आधुनिक प्रवृत्तियों से कैसे संबद्ध किया जाए । हिन्दी भाषा के विकास के लिए युवा पीढ़ी को साथ लेकर चलना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए । आधुनिक मीडिया इसमें हमारा सहयोगी हो सकता है और इसमें वे सहयोगी हो भी रहे हैं । जब भी कुछ नया लिखा जाता है तो मीडिया का हर रूप उसका माध्यम बन जाता है । यह सब पहले इतना सहज नहीं था लेकिन इंटरनेट के आ जाने के बाद सब कुछ सीधा आम जनता तक पहुँच रहा है । ऑनलाइन सक्रिय अनेक ब्लॉग और चर्चा मंच तथा सोशल मीडिया के विभिन्न पटल इसके साक्षी हैं । वैश्विक स्तर पर हिन्दी को व्यापार, रोजगार और पहचान की भाषा बनाने के पुराने अभियान को गति देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए । इस प्राथमिकता को पूरा करने में सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा । आज विभिन्न भौगोलिकसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सैकड़ों देशी–विदेशी लोग हिन्दी सिनेमा एवं डिजिटल माध्यमों के कारण हिन्दी सीख रहे हैं । हिन्दी सीखने की यह ललक कुछ वैसी ही है जैसे एक दौर में देवकी नन्दन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए उर्दू भाषी लोगों में हिन्दी सीखने की होड़ लग गई थी । इसमें कोई संदेह नहीं कि डिजिटल युग में हिन्दी की नई वैश्विक पहचान निर्मित हो रही है ।

हिन्दी भाषा के सन्दर्भ में 1904 में 'भारत मित्र' में बालमुकुंद ने लिखा था कि 'अंग्रेज इस समय अंग्रेजी को संसारव्यापी भाषा बना रहे हैं और सचमुच वह सारी पृथ्वी की भाषा बनती जाती है। वह बने, उसकी बराबरी करने का हमारा मकसद नहीं है, पर तो भी यदि हिन्दी को भारतवासी सारे भारत की भाषा बना सकें तो अंग्रेजी के बाद दूसरा दर्जा पृथ्वी पर इसी भाषा का होगा'। बालमुकुन्द अपने समय में भी अंगेजी का विरोध नहीं करते हैं, केवल इतना चाहते हैं कि भारतवासी अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह स्वयं ही मजबूत भाषा बन जाएगी । क्या चिंता का विषय नहीं है कि सौ साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी हिन्दी के लिए भारत में हम अभी भी भारतवासियों से वही अपेक्षा कर रहे हैं ?

स्पष्ट है कि हिन्दी के उत्थान के विषय में आम भारतवासी की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है, किन्तु तकनीकी क्षेत्रों एवं आधुनिक नवाचारी विषयों में हिन्दी में सामग्री उपलब्ध कराना उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति की नवीनतम विशेषताओं से युक्त हिन्दी अपने आप सामान्य लोगों के गले का हार बन जाएगी । नई शिक्षा नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप यदि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षण की मानक सामग्री हिन्दी में यथाशीघ्र तैयार करते हैं तो देश में हिन्दी को किसी अतिरिक्त साज–संभाल तथा संवर्धन और परिवर्धन की आवश्यकता नहीं होगी ।

वर्तमान समय में सभी भारतीय भाषाओं को बाजारीकरण के साथ विकसित होती हुई हिन्दी से बहुत आशा है । हिन्दी की अभिव्यक्ति क्षमता भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापारिक हित हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास से जुड़ा हुआ है । ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से विभिन्न भारतीय भाषाओं के विशाल साहित्य में पारस्परिक अनुवाद के माध्यम से हमें हिन्दी के फलक को विस्तार देने की मुहिम को तेज करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए । हिन्दी के फलक को विस्तार देने के क्रम में यदि हम आम हिन्दी भाषी के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर बढ़ाने में सफल होते हैं तो पूरा भारत सहज ही हिन्दी को भविष्य की सबसे भरोसेमंद भाषा के रुप में स्वीकार कर लेगा –

जायसी और खुसरो के कलम से निकली, सूर तुलसी ने उसे संवारा ।
दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद ने बहाई हिंदी की निर्मल धारा ।।
धरती की सीमा से निकल कर चाँद पर जा पहुँची है हिंदी ।
शब्द हो गए अंकित सदा को, चाँद के चेहरे पर दमकती बिंदी ।।
सप्त सुरों के अद्भुत संगम से आओ हिंदी का प्रगति राग वह साधें ।
ज्ञान–विज्ञान, अध्यात्म की त्रिवेणी में जग हित का संकल्प समा दें ।।

–संजय चौधरी
हिन्दी अधिकारी व संपादक,
सड़क दर्पण; सीएसआईआर–केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
दिल्ली मथुरा मार्ग, पो. सीआरआरआई, नई दिल्ली–110025

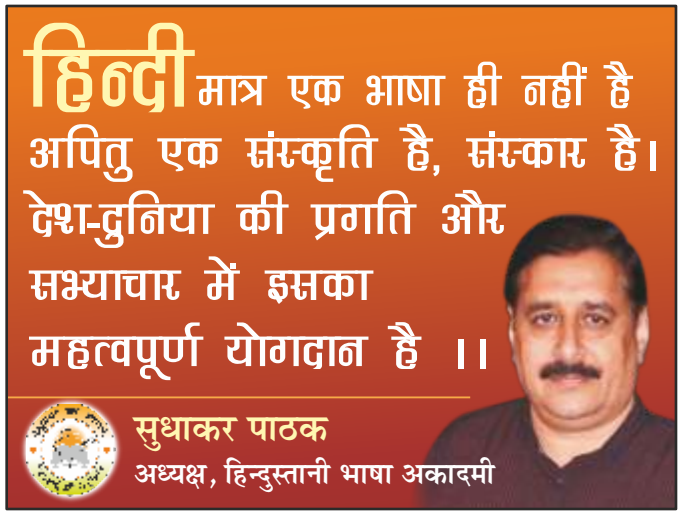

हिन्दी : इतिहास और वर्तमान

भारत, एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ बसी हैं अनेक संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ, लोग और सबसे महत्त्वपूर्ण जनमानस की भाषाएँ । इन्हीं भाषाओं में से एक भाषा है हिन्दी जो भारत की अधिकांश जनता की वाणी है, जो समस्त भारत की अस्मिता को एक साथ जोड़े रखती है। अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी का भी अपना इतिहास है । हिन्दी भाषा की ओर बढ़ने से पहले हम भाषा की परिभाषा पर चर्चा करेंगे । भाषा क्या है ? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में वार्तालाप करते हैं, अपनी भावनाओं को एक-दूसरे के समक्ष बिना किसी संकोच के प्रकट करते हैं । भाषा वह साधन है जिसके द्वारा समस्त राष्ट्र की एकता अक्षुण्ण रहती है । भारत में कुल 122 आधिकारिक भाषाएँ हैं और 1599 अन्य भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं । यदि विश्व की बात करें तो विश्व में लगभग 7200 भाषाएँ प्रयुक्त की जाती है । इन सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और हिन्दी इसी सूची में तीसरे स्थान पर है ।

हिन्दी इन्हीं 7200 भाषाओं में से एक भाषा है जो भारत के अधिकतर जनसंख्या द्वारा बोली जाती है । हिन्दी का इतिहास बड़ा ही विशाल तथा रोमांचकारी है । हिन्दी की उत्पत्ति और इसकी लिपि पर यदि हम चर्चा करेंगे तो, पाएँगे कि हिन्दी का जन्म लगभग एक हजार साल पहले हुआ था, हिन्दी की लिपि देवनागरी लिपि है जिसके अंतर्गत भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भी पायी जाती है । हिन्दी से पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में ज्यादा था । प्राचीन काल में सभी विद्यास्थलों में संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी और प्रयोग में लायी जाती थी फिर धीरे-धीरे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ उसे हम आज हिन्दी के नाम से जानते है । हिन्दी भाषा की कई शाखाएँ यानी कई बोलियाँ हैं जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली हिन्दी आदि जो हिन्दी साहित्य के चार कालों में अनेक कवियों तथा साहित्यकारों द्वारा प्रयोग में लायी जा चुकी है जिस कारणवश हिन्दी का विकास इन चार कालो में ऊँचाइयों को छू रहा था । कोई हिन्दी का प्रयोग कर अपने मन में छुपी भावनाओं को एक कविता या कहानी के रूप में प्रस्तुत करता, तो कोई किसी की वंदना, किसी का जीवन परिचय या किसी सुन्दर से दृश्य को देख उसकी छवि का वर्णन करता जिस कारण हिन्दी भाषा और सशक्त हो गई और आम जनता इसे अपने अंदाज में मोड़ने-मरोड़ने लगी । हिन्दी की मुख्य विशेषता यह है कि यह जनता की भाषा है और अत्यंत सरल है ।

जैसे-जैसे हम समय के साथ-साथ आगे बढ़ते गए अंग्रेजों का आगमन हुआ और वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा हथियार 'अंग्रेजी' साथ लाए जिससे हिन्दी की गति थोड़ी धीमी पड़ गई । यह गति धीमी जरूर थी परन्तु रुकी नहीं थी, स्वतंत्रता आन्दोलन के समय कई स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए जिस भाषा का चयन किया था वह हिन्दी थी, कई कविताएँ, आत्मकथाएँ और समाज को जागरूक करने हेतु कहानियाँ, पत्रिकाएँ हिन्दी में लिखी गई अत: हिन्दी भाषा का महत्त्व तब भी उतना ही था जितना अंग्रेजो के आगमन से पहले था । समय का चक्र फिर चल पड़ा और अब अंग्रेज तो चले गए परंतु भारत में अंधानुकरण का बीज बोते हुए अपनी भाषा को यही छोड़ गए जिसके कारण भारतीय भाषाओं में एक ऐसी भाषा जुड़ गई जिसका प्रयोग बिना समझे करने से मनुष्य का अपना अस्तित्व गिरने लगा । हिन्दी भाषा की गति फिर से धीमी हो गई परन्तु इस बार भी समाप्त नहीं हुई । स्वतंत्रता के बाद महात्मा गाँधी द्वारा कई केन्द्रीय संस्थानों का अलग-अलग स्थानों पर उद्घाटन हुआ जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि विश्व को हिन्दी भाषा के प्रति जागरूक करना । इन संस्थानों के कारण आज संपूर्ण विश्व में हिन्दी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की सूची में तीसरे स्थान पर है । अब यदि हम हिन्दी के अस्तित्व और मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो हमें यह पता चलता है कि हिन्दी की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ हैं :-

१) पहली विशेषता यह है कि हिन्दी अत्यंत ही सरल भाषा है । इस भाषा को अन्य भाषाओं से तुलना करने पर हमें यह जानकारी मिलती है की हिन्दी सभी भाषाओं में से ज्यादा सरल और सर्वाधिक लोगों को समझ आने वाली भाषा है ।

२) दूसरी मुख्य विशेषता हिन्दी की यह है कि हिन्दी भारत की राजभाषा है । राजभाषा का अर्थ उस भाषा से है जो किसी भी राष्ट्र, प्रान्त के सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है । भारत में सभी सरकारी काम हिन्दी भाषा में किए जाते हैं ।

३) तीसरी मुख्य विशेषता हिन्दी की यह है कि हिन्दी में किसी भी भाषा का मेल हो सकता है और उस मेल का असर हिन्दी भाषा पर नहीं होगा, अर्थात् जनता इस भाषा को अनेक रूप में प्रयोग में ला सकती है । उदाहरण के लिए भारत में अधिकतर जनता हिन्दी के साथ-साथ अपनी भाषा का प्रयोग करता है जैसे हिन्दी और उर्दू भाषा का मेल । विश्व में जब भारतीय लोग हिन्दी बोलते हैं तो वह अक्सर हिन्दी और अंग्रेजी का मेल करते हैं ।

४) चौथी विशेषता है कि हिन्दी का शब्द कोष अत्यंत विशाल और सरल है । अंग्रेजी की तरह हिन्दी भाषा में कोई 'साइलेंट' शब्द नहीं होते और हिन्दी में जैसा लिखा जाता है उसे वैसा ही पढ़ा जाता है ।

अब तक हमने हिन्दी का संक्षिप्त परिचय तथा इतिहास देखा और कुछ मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला । अब एक सार्थक प्रश्न पूछने की बारी है कि हिन्दी की इतनी विशेषताएँ होने

के उपरांत भी इसका प्रयोग भारत तथा विश्व में किसी को रोजगार दिलाने के लिए क्यों नहीं होता ? क्या भारत की राजभाषा के रूप में सचमुच हिन्दी को सम्मान मिला है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाना नितान्त आवश्यक है । भारत में आज यदि किसी व्यक्ति को कोई अच्छी नौकरी चाहिए तो उसे अंग्रेजी आना अनिवार्य है इसीलिए हम देख रहे हैं कि समाज में माता-पिता अपने संतानों को बाल्यावस्था से ही अंग्रेजी में निपुण बनाने की कोशिश कर रहे हैं । आज का समाज यह कहता है कि किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आती है तो वह मनुष्य समाज में रहने योग्य है । भले ही किसी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा कितनी भी अच्छे से क्यों न आती हो, यदि उसे अंग्रेजी नहीं आती वह समाज में अपनी अलग पहचान, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान कुछ भी नहीं बना सकता । ये धारणाएँ पर्याप्त हैं किसी भी भाषा को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए । यह सब एक सफेद कागज पर एक छोटे से काले धब्बे के समान है । फर्क इससे पड़ता है कि देश के निवासी किसे प्राथमिकता देते हैं । अत: यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो इस कागज पर से वह काला धब्बा भी हटाया जा सकता है ।

हिन्दी आज भले ही पूर्ण तरीके से फैली न हो, उपयोग में भले ही पूर्णत: लायी न जा रही हो पर इसका विकास अभी भी तीव्र गति से हो रहा है । आज हम यह देख सकते है कि विश्व भर में स्थापित केंद्रीय संस्थानों ने अच्छा परिणाम दिखाया है, वे सारे संस्थान लोगों को हिन्दी के प्रति जागृत करने में सक्षम है और अपने कार्य में सफल भी है । भारत में हिन्दी का प्रयोग आज सभी परीक्षाओं में एक और विकल्प के रूप में किया जा रहा है जहाँ विद्यार्थी को अगर हिन्दी भाषा अच्छे से आती है तो वह अपनी परीक्षा हिन्दी में दे सकता है । विद्यालयों में आज यह भी देखा जा सकता है कि हिन्दी दूसरी मुख्य भाषा के रूप में विराजमान है और यह भी देख सकते हैं कि विद्यार्थी अपने सुविधानुसार अपनी मातृभाषा को तीसरे मुख्य भाषा के रूप में उसका चयन कर सकता है । कार्य के क्षेत्र में भी हम देखें तो आज भी कुछ संस्थानों में, सरकारी कार्यस्थलों में हिन्दी भाषा में ही कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और उच्च पदों पर हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त भारत में अनुवाद क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा आदि में हिन्दी के अधिकतर प्रयोग से जन के बीच एक जागरूकता फैल रही है । उदहारण के लिए हम देख सकते हैं कि चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चाँद की सतह पर पहुँचते ही मीडिया द्वारा हिन्दी में अति सुन्दर तरीके से अनुवाद तथा उच्च भाषा का प्रयोग, हिन्दी भाषा के विकास एवं विशेषताओं को बढ़ावा देता है और विज्ञान में इसी भाषा का प्रयोग देश के विकास की ओर बढ़ावा देता है । आप देख सकते हैं कि कुल पूरा कागज सफेद ही है जिस पर हमें बहुत छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं - इन धब्बों को मिटाने के लिए हर व्यक्ति में एक चेतना होनी चाहिए, एक चाह होनी आवश्यक है जिसके वजह से हिन्दी भाषा संपूर्ण विश्व की भाषा के रूप में स्वीकृत हो और यह कार्य कोई केंद्रीय संस्था नहीं, कोई सरकार नहीं, सिर्फ हम सब मिलकर कर सकते हैं । जब विश्व के हर व्यक्ति तक यह भाषा पहुँचेगी तब हम कह सकते हैं कि हिन्दी का विकास हो रहा है या हिन्दी विकसित हो गई है ।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है । इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे भारतवर्ष में हिन्दी फैलती जाए और समाज का हर व्यक्ति अपने मन में एक उत्साह के साथ, एक चेतना लिए इस भाषा को सभी तक पहुँचाने में अपना योगदान दें । सबसे बड़ी बात और दिन को नहीं बल्कि भाषा को मनाये । अंतत: यही विचार रखना आवश्यक है कि हिन्दी देश की जनता की भाषा है, कोई भी इस भाषा का प्रयोग बड़ी सरलता से कर सकता है । अपने भावों को इस भाषा से जोड़ सकता है, अपने अंदाज में इसे बोल सकता है और समय आने पर अपने सर का ताज बनाकर इसे पहन भी सकता है । यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस भाषा का प्रयोग कैसे करता है और उसे प्रयोजन में कैसे लाता है ।

-अनिकेत सिन्हा
भवंस डिग्री कॉलेज
सैनिकपुरी केन्द्र, हैदराबाद (तेलंगाना)

हिन्दी कैसे बने विश्व-भाषा

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

अगर विश्वभाषा का ताज हिन्दी के सिर पर न रखा जाए तो किसके सिर रखा जा सकता है? हिन्दी की पगड़ी में ऐसे रत्न जड़े हुए हैं, जो दुनिया की किसी अन्य भाषा के पास नहीं हैं । सबसे पहले संख्या की बात ही लें । यूँ तो माना जाता है कि चीनी और अंग्रेजी के बाद हिन्दी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है लेकिन यह मान्यता अब पुरानी पड़ गई है । इस मान्यता का आधार यह था कि चीनी बोलने वालों की संख्या एक अरब से भी ज्यादा है और अंग्रेजी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आधे कनाडा के अलावा लगभग 50 राष्ट्रकुल देशों में भी बोली जाती है । इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिन्दी को तीसरे स्थान पर बिठा दिया जाता है।

यदि इन तर्कों की ठीक से परीक्षा करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि विश्व में हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और उसका स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए । पहले चीनी भाषा को लें । चीन की आधिकारिक भाषा 'मेन्डारिन' है । इस मेन्डारिन को पूरा चीन एक-जैसा न समझता है और न ही बोलता है। माओत्से तुंग जब हुनान से पेइचिंग आए तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनकी बोली किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। आज भी यही हाल है। कुछ वर्ष पहले अपनी चीन-यात्रा के दौरान मैंने पेइचिंग में जिन चीनी शब्दों को याद किया, उन्हें जब शांघाई में दोहराया तो लोग हँस-हँसकर लोट-पोट हो गए, क्योंकि वहाँ उनका मतलब बिल्कुल दूसरा ही होता था । इसीलिए चीनी भाषा को एक अरब लोगों की भाषा औपचारिक तौर पर ही कहा जा सकता है, जबकि हिन्दी न केवल भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, फीजी, सूरीनाम, मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद, जमैका आदि देशों में भी बोली और समझी जाती है । यदि दो करोड़ प्रवासी भारतीयों को भी जोड़ लिया जाए तो हिन्दी लगभग सवा अरब लोगों की भाषा बनती है । चीनी केवल चीन और ताइवान में बोली जाती है जबकि हिन्दी दुनिया के दर्जन भर देशों में बोली जाती है । फीजी से सूरीनाम तक फैले 35 हजार किलोमीटर के आकाश में हिन्दी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता । ऐसी हिन्दी अगर विश्व-भाषा कहलाने योग्य नहीं है तो फिर कौन सी भाषा विश्व-भाषा कहलाएगी? इसके अलावा चीनी भाषा की चित्र- लिपि चीनियों के लिए भी अत्यंत दुर्गम होती है जबकि हिन्दी की लिपि, देवनागरी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से एक मानी जाती है । हिन्दी का व्याकरण और उच्चारण भी सारी दुनिया में एक-जैसा है। गैर-चीनियों के लिए चीनी को अपनाना जितना कठिन है, गैर-हिन्दियों के लिए हिन्दी को अपनाना उतना ही सरल है।

अब अंग्रेजी को लें । अंग्रेजी दुनिया के सिर्फ साढ़े चार देशों में बोली जाती है, जिनकी आबादी लगभग 50 करोड़ है । इन देशों में भी सभी लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। अकेले अमेरिका में चार करोड़ हिस्पानीभाषी हैं । उनके अलावा चीनी, भारतीय, जापानी आदि अन्य भाषाभाषी लगभग एक करोड़ हैं । ये सब लोग अपनी मातृभाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । अंग्रेजी के गढ़ ग्रेट ब्रिटेन में भी लाखों स्कॉट और वेल्श लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते । वह अंग्रेजी के दबदबे का विरोध करते हैं । जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो अंग्रेजी की कमियाँ उजागर करते हुए उसके अनावश्यक वर्चस्व को खत्म करने की मुहिम भी चलाई थी। कनाडा के फ्रांसीसी भाषी इलाकों में अंग्रेजी का इतना कठोर विरोध रहा है कि मॉंट्रियाल जैसे शहर में यदि कभी अंग्रेजी में पानी माँगते थे तो हमें पानी तक मिलना मुश्किल हो जाता था । जहाँ तक अंग्रेज के पुराने गुलाम देशों का सवाल है, उनमें से कई देशों में अब भी अंग्रेजी का वर्चस्व है । गुलामी की इस दौड़ में भारत सबसे आगे है लेकिन भारत में कितने लोग हैं, जो अंग्रेजी लिखते-पढ़ते हैं? मुश्किल से दो-तीन प्रतिशत! यदि भारत-जैसे देश में ऐसे लोगों का इतना कम प्रतिशत है तो अन्य देशों में कितना होगा? और उन सब देशों की जनसंख्या भी भारत के मुकाबले नगण्य है । इसके अलावा यह भी सत्य है कि पिछले पचास वर्षों में अनेक अन्य देशों में भी अंग्रेजी का प्रसार हुआ है । यह मान भी लें तो हिन्दी के मुकाबले अंग्रेजी भाषियों की संख्या अधिक कैसे हो सकती है? संख्या-बल में तो हिन्दी अंग्रेजी से निश्चय ही आगे है । इसीलिए अब यह कहना बंद किया जाना चाहिए कि हिन्दी दुनिया की तीसरी भाषा है। वह दुनिया की पहली भाषा है । इसीलिए वह विश्वभाषा होने की हकदार है।

जहाँ तक भाषाशास्त्र का प्रश्न है, उस दृष्टि से भी हिन्दी की गिनती दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में की जानी चाहिए । यूँ तो हिन्दी का इतिहास लगभग एक हजार साल पुराना है लेकिन अगर पाली और प्राकृत में उसका मूल खोजने लगें तो वह ढाई हजार साल तक पीछे जा सकती है। जरा विचार करें कि पिछले हजार-दो हजार साल में कितने लोग भारत में पैदा हुए होंगे और हिन्दी बोलते रहे होंगे? यह हिसाब अरबों-खरबों तक पहुँच जाएगा। जिस भाषा को खरबों लोग सैकड़ों वर्षों से बोलते-बरतते चले आ रहे हैं, क्या उसे पिछड़ी हुई भाषा माना जा सकता है? उसे पिछड़ी हुई कहना तो शुद्ध दिमागी गुलामी का प्रतीक है । जहाँ तक शब्दों का सवाल है, आज तक हिन्दी का कोई विशाल शब्द-कोश ही नहीं बना है । यदि लोक-प्रतिशत शब्दों को ही लिपिबद्ध कर लिया जाए तो कम-से-कम पचास लाख शब्द बनेंगे। दुनिया की कौन सी अन्य भाषा है, जिसके पास हिन्दी से अधिक शब्द हैं?

जितनी बोलियाँ हिन्दी के आँगन में सरस रही हैं, क्या किसी अन्य भाषा के स्वप्न में भी आ सकती हैं? हिन्दी की बेल को हजारों-सैकड़ों वर्षों से सींचने वाली संस्कृत, अरबी, फारसी की धरोहर क्या अन्य भाषाओं के पास भी है? संस्कृत तो हिन्दी की माता है । संस्कृत के शब्द हिन्दी में ज्यों के त्यों खप जाते हैं । संस्कृत में लगभग तीन हजार ज्ञात धातुएं हैं प्रत्येक धातु से हजारों शब्द बनते हैं उनमें प्रत्यय और विभक्तियाँ आदि लगाकर अन्य नए हजारों शब्दों का निर्माण किया जा सकता है । यानि कोई चाहे तो कई करोड़ शब्दों का कोश बनाकर दुनिया को यह बता सकता है कि जो सामर्थ्य हिन्दी भाषा में है, वह दुनिया की किसी भाषा में नहीं है । उसके पास प्रयोगजन्य और व्याकरणजन्य शब्दों का अनंत भंडार है । हिन्दी की लिपि देवनागरी है । यह दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से है । संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, नेपाली, उर्दू आदि भाषाओं के लिए इस लिपि का सुगमतापूर्वक प्रयोग होता है । यह लिपि प्राचीन ही नहीं है, वैज्ञानिक और सरल भी है । इसमें जैसा लिखा जाता है, वैसा बोला जाता है और जैसा बोला जाता है, वैसा लिखा जाता है । इस लिपि की तुलना चीनी की चित्र-लिपि और अंग्रेजी आदि की रोमन लिपि से करना बेकार है । वास्तव में देवनागरी ऐसी लिपि है, जो विश्व-लिपि बनने के योग्य है । तात्पर्य यह कि जिस भाषा के पास शब्दों का अतुलनीय विश्व-कोश है और अद्वितीय विश्व-लिपि है, उसे विश्व-भाषा का दर्जा सहज ही क्यों नहीं मिलना चाहिए ?

इन सब विशेषताओं के बावजूद हिन्दी विश्व-भाषा बिल्कुल नहीं है, यह स्वीकार करने में हमें क्यों हिचकना चाहिए? यह सत्य है, जो भाषा अपने ही घर में अनाथ है, उसे हम विश्वनाथ बनाने चले हैं । यह पागलपन भी हो सकता है । यह सपना है । यह अभी एक विचार है लेकिन विचार की ताकत किसी परमाणु बम से कम नहीं होती । विचार को वास्तविकता का रूप कैसे दिया जाए, यह हमारी मुख्य चिन्ता है । यह चिन्ता उन भाषाओं को भी रही है, जो आज विश्व-भाषा के नाम से जानी जाती है । अभी तीन-चार सौ साल पहले तक लंदन की अदालतों में अंग्रेजी बोलने पर जुर्माना होता था । अभी डेढ़-सौ साल पहले तक लोग अपनी मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखते थे और उसकी भूमिका लेटिन में । ताकि विद्वतजगत का उस पर ध्यान चला जाए। अंग्रेजी को अंग्रेजी का रूतबा हासिल करने के लिए सदियों तक लड़ना पड़ा । हिन्दी की लड़ाई को तो अभी सत्तर साल ही हुए हैं। यदि इस लड़ाई में हिन्दी हार गई तो वह विश्व-भाषा कभी नहीं बन सकती । विश्व-भाषा बनने के पहले हिन्दी को भारत-भाषा बनना होगा।

भारत-भाषा यानि क्या, सारा भारत हिन्दी समझता है लेकिन फिर भी वह भारत-भाषा नहीं है । क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सरकार की भाषा हिन्दी नहीं है । हिन्दी राज भाषा नहीं है । वह सम्मान की भाषा नहीं है । भद्रलोक की भाषा नहीं है । वह साहित्य की भाषा है लेकिन मौलिक विचार की भाषा नहीं है । वह उच्च पदों की सीढ़ी नहीं है । वह राजनीतिक सत्ता की सीढ़ी है । यह उसकी लोकतांत्रिक विवशता है लेकिन प्रशासन, न्याय, वित्त, व्यापार, शिक्षा, कूटनीति आदि के सर्वोच्च सोपानों से हिन्दी का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है । वह सारे भारत में है लेकिन वैसे ही है, जैसे रोमन साम्राज्य में गुलाम होते थे । हिन्दी करोड़ों लोगों का पेट भरती है, उनका मनोरंजन करती है, उनका संवाद-सेतु बनती है लेकिन उसकी हैसियत क्या है? क्या किसी गुलाम से ज्यादा है? जब तक भारत में हिन्दी का यह गुलाम-भाषा का दर्जा खत्म नहीं होगा, वह विश्व में सम्मान कैसे अर्जित करेगी?

यदि हिन्दी को हमें विश्व-भाषा बनाना है तो पहले उसे भारत की राज भाषा बनाना होगा । जिसे हमने घर में नौकरानी बना रखा है, उसे हम दुनिया में महारानी कहलवाना चाहते हैं । क्या कभी ऐसा होता है? जिस दिन हिन्दी भारत की राज भाषा बनेगी, वह पहला दिन होगा जब वह विश्व-भाषा के पायदान पर अपना पाँव रखेगी । यदि सचमुच वह भारत-भाषा बन जाएगी तो विश्व-भाषा बनने के लिए वह स्वत: ही अनेक कदम उठाएगी । लगभग सभी भारतवंशी राष्ट्रों में भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के संस्थान खोल रखें हैं उनमें नियुक्त अधिकारी प्राणप्रण से कार्य भी करते हैं लेकिन उनकी उपलब्धियाँ नगण्य ही हैं । मुझे मॉरीशस में एक बार फ्रांसीसी राजदूत ने बताया कि फ्रांसीसी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उनका बजट हमारे संपूर्ण दूतावास के बजट से भी बड़ा है । लगभग सभी देशों में अपनी भाषाई पकड़ बनाए रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं । वे जानते हैं कि कूटनीति और व्यापार में लंबे मोर्चे मारने में भाषा की भूमिका क्या है? हमारे दूतावास चाहे जिस देश में हों, अंग्रेजी की गुलामी में डूबे रहते हैं । न तो उन्हें राष्ट्रभाषा का गुमान होता है और न ही वे स्थानीय भाषा का उचित लाभ उठा पाते हैं। भारतवंशी राष्ट्रों में हिन्दी है जरूर, लेकिन वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है । त्रिनिदाद, गुयाना और जमैका में तो आम आदमी हिन्दी उतनी ही समझता है, जितनी भारत के हिन्दीभाषी संस्कृत समझते हैं । फीजी और मॉरीशस में हिन्दी अभी बची हुई है लेकिन वहाँ के लोग जब भारत आकर अंग्रेजी का बोलचाल देखते हैं तो वे भी अपने बच्चों की नाक में अंग्रेजी और फ्रांसीसी की नकेल डाल देते हैं । भारतवंशी बच्चों का मुंह लंदन और पेरिस की तरफ होता है और पीठ दिल्ली की तरफ ! इन देशों के नेता जब हमारे यहाँ आते हैं और हमारे नेता वहाँ जाते हैं तो उनका सारा आधिकारिक काम-काज अंग्रेजी में होता है । हमारा बर्ताव गुलाम देश के नेताओं की तरह होता है । ऐसे में हम यह आशा कैसे करें कि वे हमारा अनुकरण करेंगे? क्या गुलामों की भाषा कभी विश्व-भाषा बनी है।

गुलामों की भाषा कभी विश्व-भाषा नहीं बनी । अभी जिन्हें हम विश्व-भाषा के तौर पर जानते हैं- अंग्रेजी, फ्रांसीसी,

रूसी, जर्मन, हिस्पानी, चीनी वगैरह ये भाषाएँ या तो मालिक देशों की भाषाएँ हैं या महाशक्तियों की! हिन्दी कभी डंडे के जोर से नहीं फैली । जहाँ भी गई, प्रेम और परिश्रम की प्रतीक बनी । हिन्दी की भूमिका न भारत में कभी शोषक की रही और न ही विश्व में वह कभी वैसी होगी लेकिन अब यदि हिन्दी को विश्व-भाषा बनना है तो भारत को महाशक्ति बनना ही होगा । भारत के महाशक्ति बने बिना हिन्दी विश्व-भाषा कैसे बनेगी? अभी तो हाल यह है कि भारत के छोटे-मोटे पड़ौसी राष्ट्र ही भारत-भाषा को मान्यता नहीं देते तो महाराष्ट्र मान्यता क्यों देंगे? दक्षेस-राष्ट्रों के सम्मेलन में भारत हिन्दी का औपचारिक प्रयोग तक नहीं करता, इससे बढ़कर सोचनीय स्थिति क्या होगी। चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मेरे कहने पर एक बार हिन्दी में भाषण दिया था, मालदीव सम्मेलन में । उसका सम्पूर्ण दक्षिण एशिया की जनता में जबर्दस्त स्वागत हुआ था लेकिन उनके बाद पूंछ फिर टेढ़ी हो गई।

दक्षेस में हिन्दी नहीं है लेकिन संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी लाने का नारा दिया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी लाना बच्चों का खेल नहीं है । वहाँ पहले से जो छह भाषाएँ चल रही हैं, उनमें स्वत: अनुवाद की व्यवस्था क्या हमारे पास है? संयुक्त राष्ट्र में हजारों पृष्ठों की सामग्री रोज तैयार होती है । उसकी हिन्दी कौन करेगा, कैसे करेगा? हम पैसे तो भर सकते हैं लेकिन अनुवादकों की कुर्सी में डॉलरों को तो नहीं बिठा सकते । हमारे प्रवक्ताओं के भाषण कौन सी भाषा में होंगे? क्या वे हिन्दी जानते हैं? हमारे कूटनीतिज्ञों को हिन्दी बोलने का अभ्यास ही नहीं है । मैंने 1999 में जब संयुक्त राष्ट्र में अपना मूल भाषण हिन्दी में देने की कोशिश की तो राजदूत कमलेश शर्मा ने कठिनाइयों का हिमालय खड़ा कर दिया । मुझे अपने तीनों भाषण मजबूरन अंग्रेजी में देने पड़े । संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी लाने का स्वांग अगर हमने उसी तरह रचा, जैसा कि भारत में राजभाषा हिन्दी का ढोंग रचा रखा है तो यह अत्यंत लज्जास्पद होगा । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी न लाई जाए । जरूर लाई जाए । यदि वह वहाँ पहुँच गई तो प्रवासी भारतीय हिन्दी के प्रति प्रोत्साहित होंगे, भारतवंशी देशों में हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्य देशों में हिन्दी के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, लिपि-वंचित भाषाओं को देवनागरी का विकल्प मिलेगा और विश्व-भाषा के तौर पर हिन्दी की मान्यता बढ़ेगी।

लेकिन यह ध्यान रहे कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में आसन जमा लेना काफी नहीं है। विश्व-भाषा बनने के लिए हिन्दी को विश्व-बाजार, विश्व-संचार, विश्व- विचार, विश्व-विज्ञान की भाषा भी बनना होगा । पिछले 15-20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के बाजार में जो भी वस्तुएं बिकने आती हैं, उनके डिब्बों पर सारे विवरण अरबी भाषा में भी होते हैं? हिन्दी में क्यों नहीं होते? अरब बाजार तो फैला ही है, वे लोग अपना काम भी अरबी में ही करते हैं जबकि बाजार तो हमारा भी फैला है लेकिन हमारा सारा महत्वपूर्ण काम अंग्रेजी में होता है । हमारी जो चीजें सारी दुनिया में जाती हैं, उन पर भी सारा विवरण अंग्रेजी में होता है, जो कि ठीक है लेकिन हम कितने बेशर्म हैं कि अपनी भाषा में एक शब्द भी नहीं होता और जिस देश में वह माल बिकता है, उसकी भाषा में भी कुछ नहीं होता । हमसे बढ़कर मूर्ख व्यापारी कौन होगा? यही हाल विश्व-संचार का है । हमारे टी.वी. चैनल तो अब सारी दुनिया में देखे जाते हैं । लेकिन क्या हमारी आकाशवाणी इतनी ताकतवर है कि वह बी.बी.सी. और वॉइस ऑफ अमेरिका की टक्कर में खड़ी हो सके? क्या विश्व-घटनाओं पर हम विश्व-स्तरीय समाचार अपनी भाषा में दे पाते हैं? क्या हमारी दी हुई खबरें सुनने और देखने के लिए दुनिया कभी लालायित होती है? अगर नहीं तो हमारी भाषा विश्व-भाषा कैसे बनेगी? हमारे देश में आज तक कोई सम्पूर्ण समाचार समिति तक नहीं है । जब तक भारत में हिन्दी की मौलिक सम्पूर्ण और सबल समाचार समिति नहीं बनेगी, भारत के अखबारों, रेडियो और टी.वी. में सुधार नहीं होगा और जब तक वे विश्व-स्तर के नहीं बनेंगे, हिन्दी विश्व-भाषा कैसे बनेगी?

विश्व-भाषा बनने के लिए विश्व-स्तरीय साहित्य का सृजन भी आवश्यक है। इस मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है लेकिन समस्या वही है कि किसी गुलाम-भाषा के सिर पर प्रभुता का चमचमाता ताज कौन रखेगा? परदेसी भाषा में लिखकर विश्व-ख्याति अर्जित करने वाले भारतीय लेखकों के मुकाबले भारतीय भाषाओं के लेखकों की रचनाएं कहीं अधिक प्रगल्भ हैं लेकिन उनकी पूछ-परख कैसे करवाई जाए? शुद्ध विचार और उच्च-विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीयों ने अपने झंडे गाढ़े हैं लेकिन वे झंडे अंग्रेजी के डंडों पर फहरा रहे हैं । इन्हीं डंडों से हिन्दी की पिटाई होती है, भारत में भी और भारत के बाहर भी ! दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं में यदि हमारी सभी प्रकार की रचनाओं का अनुवाद हो तो भारत और हिन्दी का रूतबा बढ़ेगा । अन्य भाषाएँ हिन्दी की महत्ता को अधिक आसानी से अंगीकार करेंगी, क्योंकि वह उनकी गुलाम कभी नहीं रही, जैसी कि अंग्रेजी की वह आज भी है । भारत जिस दिन स्वभाषा में काम शुरू करेगा, विश्व में उसका स्वत्व भी पहचाना जाएगा और वह पहचान उसे महाशक्ति बनवाने में भी सहायक होगी ! भारत का महाशक्ति बनना और हिन्दी का विश्व-भाषा बनना एक-दूसरे के पर्याय हैं।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र

हिन्दी का बढ़ता वैश्विक दायरा

आज हिन्दी विश्व के सबसे सक्षम मानव संसाधन की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गयी है । वह विश्व भर में फैल रहे पेशेवर भारतीयों के द्वारा सभी महाद्वीपों तथा लगभग सभी देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है । भारतवर्ष की निरंतर विकासमान राजनीतिक और आर्थिक हैसियत उसे वैश्विक व्याप्ति प्रदान कर रही है । फलत: वैश्विक शक्तियाँ और बहुराष्ट्रीय निगम उसके प्रति रुझान महसूस कर रहे हैं । यहाँ तक कि स्वयं गूगल का सर्वेक्षण सिद्ध कर रहा है कि विगत दो वर्षों में सोशल मीडिया पर हिन्दी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में 94 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है जबकि अंग्रेजी में मात्र 19 प्रतिशत सामग्री का ही इजाफा हुआ है। हिन्दी ने डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी के एकाधिकार को जिस तरह चुनौती दी है वह आश्चर्यजनक है।

21वीं सदी प्रौद्योगिकीय क्रांति के रथ पर सवार होकर आयी है जिसने भाषाओं के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती पेश की है । तकनीक लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो रही है । कुछ वर्ष पूर्व तक जो कार्य कम्प्यूटर अथवा लैपटॉप द्वारा सम्पन्न होता था वह संपूर्ण कार्य अब स्मार्ट फोन द्वारा विधिवत संचालित हो रहा है । अब तकनीक और अभिव्यक्ति के सभी क्षेत्रों में हिन्दी प्रभावी ढंग से मुखरित हो रही है । यूनिकोड के कारण फॉन्ट की समस्या काफी हद तक सीमित हो गई है । अब हिन्दी के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण का व्यवहारिक निदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । ऐसा माना जाता है कि वर्तमान सदी में जो भाषाएँ उत्तरोत्तर तकनीकी आविष्कृतियों के अनुरूप अपने आपको पूरी तरह ढाल नहीं पाएंगी अथवा उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाहट का अनुभव करेंगी, उनका भविष्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जो भाषाएँ बहुभाषिक कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी की एकदम नवीनतम आविष्कृतियों में अपने संपूर्ण शब्दकोश, विश्वकोश, व्याकरण, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र की तमाम उपलब्धियों के साथ दर्ज होंगी और डिजिटल विश्व में अपनी उपस्थिति का गहरा एहसास कराएंगी उनकी प्रगति निर्विवाद है। हिन्दी इस दिशा में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है, लेकिन उसके समक्ष आने वाली चुनौतियां अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। उसे अंग्रेजी के साथ-साथ अपने ही देश के लोगों से भी संघर्ष करना पड़ रहा है । आज जब समूचा विश्व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति को उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिए अपनी गतिशील भविष्य दृष्टि का परिचय दे रहा है और हम विश्व बाजारवाद, भूमंडलीकरण तथा विश्व ग्राम के सपने को यथार्थ में बदलता देख रहे हैं । हमें उदार दृष्टिकोण और व्यवहारिक सोच के साथ जो कुछ भी हिन्दी के लिए उपयोगी हो, उसे चरितार्थ करना होगा।

हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी हिन्दी के वैश्विक राजदूत और सुपर ब्रांड बन गए हैं । वे संपूर्ण विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हिन्दी में जिस प्रभावी तरीके से भाषण देते हैं और उन्हें सुनने के लिए जिस तरह भारी भीड़ जमा होती है, वह प्रकारांतर से हिन्द और हिन्दी की बढ़ती शक्ति का भी उद्घोष है । प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में आयोजित दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में तीन भाषाओं का ही दबदबा रहने वाला है । अंग्रेजी, हिन्दी और चीनी । तकनीकी विशेषज्ञ नये सॉफ्टवेयर और ऐप तैयार करें । भाषा आज बदली हुई तकनीक के कारण बड़ा बाजार बनने वाली है । हिन्दी को भी एक बाजार के रूप में बदला जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि हमारे हर राज्य की अपनी मातृभाषा है, ये ज्ञान का विशाल भंडार हैं । चिंतकों को इन भाषाओं के बेहतर तत्वों से हिन्दी को समृद्ध बनाना चाहिए और हिन्दी को अन्य भाषाओं को जोड़ने में सूत्रधार बनना चाहिए । कहना न होगा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं देश-विदेश में हिन्दी का प्रयोग जिस कौशल के साथ करते हैं उससे न केवल हिन्दी की गरिमा बढ़ी है अपितु हिन्दी जगत का आत्मविश्वास भी बढ़ा है । वर्तमान केंद्र सरकार ने हिन्दी के व्यवहार में आधिकारिक तौर पर बढ़ावा देने के लिए भी कतिपय प्रयास किए हैं । इस दृष्टि से केन्द्रीय विभागों में हिन्दी के व्यवहार को बढ़ाने के साथ-साथ तमिलनाडु के राजमार्गों पर हिन्दी में भी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं । दूसरा कार्य संसदीय समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम केन्द्रीय मंत्री हिन्दी बोलने, पढ़ने अथवा लिखने में सक्षम हैं तो वे अपने वक्तव्य हिन्दी में ही देंगे । इस निर्णय का देश भर में स्वागत किया गया है। भारत सरकार के तमाम प्रयासों के अलावा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उपग्रह-चैनलों, विज्ञापन एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा यांत्रिक सुविधाओं का विशेष योगदान है। आज हिन्दी वैश्विक मीडिया की चहेती भाषाओं में से एक है । वह जन संचार माध्यमों की सबसे प्रिय और अनुकूल भाषा बनकर निखरी है । इस समय विश्व में दस सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में आधे से अधिक हिन्दी के अखबार हैं ।

आज भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है । यहाँ के पेशेवर दुनिया के सभी देशों में पहुँच रहे हैं और विश्वभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में निवेश के लिए आ रही हैं । इसलिए एक तरफ हिन्दी भाषी दुनिया-भर में फैल रहे हैं तो दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखानी पड़ रही है । तेजी से हिन्दी सीखने वालों में चीन और अमेरिका सबसे आगे हैं । वास्तविक स्थिति यह है कि आज भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरिशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक हिन्दी लगातार विस्तार पा रही है । उपग्रह प्रसारित कार्यक्रम, इंटरनेट पर उपलब्ध हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, बी.बी.सी. हिन्दी के कार्यक्रम और एफ.एम. रेडियो के द्वारा हिन्दी को सीमाहीन विस्तार मिल रहा है । बावजूद इसके वर्तमान सरकार के समक्ष हिन्दी को टूटने से बचाने का बड़ा दायित्व है । आज हिन्दी की अनेक बोलियां संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं। यदि हिन्दी का संयुक्त परिवार विभक्त होता है तो देश की भाषिक व्यवस्था के समक्ष गहरा संकट उपस्थित हो जाएगा । हिन्दी के संख्याबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । ऐसी स्थिति में हिन्दी की अखंडता की रक्षा के लिए सरकार को प्रतिबद्ध रहना जरूरी है । दूसरी चुनौती हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाना है। यदि हिन्दी विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली और सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिष्ठा सहित आसीन नहीं है तो यह विश्व के हर छठे व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन है । हमारी सरकार यदि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 170 देशों का समर्थन प्राप्त कर सकती है तो उसके लिए यह मुश्किल नहीं है ।

-डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय

रिपोर्ट

'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के सभागार में गूंजे 'आजादी के तराने'

रविवार, 13 अगस्त, 2023- आजादी की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में, भारतीय भाषाओं के विकास व उनके संवर्धन के लिए समर्पित संस्था 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' के सभागार में एक काव्य-संध्या का आयोजन किया गया। यह समारोह 'हम सब साथ साथ' संस्था के साथ मिलकर 'आजादी के तराने' शीर्षक से आयोजित किया गया। इस काव्य संध्या में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पधारे लगभग 35 कवि एवं कवित्रियों ने देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताओं का पाठ किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉ. जय सिंह आर्य ने की। मंच पर उनका साथ दिया एक और प्रसिद्ध कवि विनय विनम्र, ऑल इंडिया राइटर एसोशिएशन के सचिव एवं नोएडा रेडियो के निदेशक सुशील भारती और अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने। पूरे कार्यक्रम का बहुत ही रोचक अंदाज में संचालन किया, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, हरफनमौला वरिष्ठ साहित्यकार किशोर श्रीवास्तव ने।

इस अवसर पर अपने विशेष उद्बोधन में सुशील भारती ने कहा कि कविता लिखना एक गंभीर विषय है। हमें किसी भी विषय पर तुरंत कविता नहीं लिखनी चाहिए। हमें उसे विषय पर गंभीर चिंतन करने के उपरांत ही, कविता अथवा साहित्य की अन्य विधा में लिखना चाहिए।

डॉ. वनिता शर्मा

सुधाकर पाठक ने उपस्थित कवियों साहित्यकारों एवं पत्रकारों को अकादमी के क्रियाकलापों से अवगत करवाया। उन्होंने अकादमी की भावी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी तथा सभी से अकादमी के कार्य में सहयोग करने की अपील भी की।

अकादमी द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषाओं पर केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' के नवीनतम अंक (अप्रैल-जून 2023) का लोकार्पण भी इस मौके पर किया गया। समारोह में शामिल अकादमी के अन्य सदस्य थे- श्री विजय शर्मा, डॉ. वनिता शर्मा, सुश्री सरोज शर्मा, सुश्री संजय गरिमा, सुश्री सीमा सिकंदर, श्री राजकुमार श्रेष्ठ, श्री विनोद पाराशर एवं पत्रकार श्री एस.एस. डोगरा।

कविता पाठ करने वालों में शामिल थे- डॉ आकाश मिड्ढा, प्रगति मिश्र, साहित्य कुमार चंचल, इरफान राही,सतीश दीक्षित, बबली वशिष्ठ, कविता सिंह , दिव्य शर्मा, यज्ञ मेहरू, अपूर्व श्रीवास्तव,परिणिता सिन्हा, दर्शनी प्रिया, अजय मनचंदा, अशोक कुमार, राकेश भ्रमर, मुकेश श्रीवास्तव आदि के अलावा अकादमी के कई सदस्य।

रिपोर्ट

भूटान में 16-22 सितम्बर 2023 तक आयोजित

10वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन

विनोद पाराशर

सामाजिक संस्था 'हम सब साथ-साथ' और भारतीय भाषाओं के विकास एवं उनके संवर्धन के लिए समर्पित स्ववित्तपोषित संस्था 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी' द्वारा भूटान में 16-22 सितम्बर, 2023 को '10वां अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन' आयोजित किया गया । यह सम्मेलन भूटान के फुन्त्सोलिंग, थिंपु और पारो शहरों में, आयोजित किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के 45 तथा भूटान के 15 स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया । इन कलाकारों में साहित्य, नृत्य, अभिनय, गायन व योग इत्यादि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शामिल थे । सांस्कृतिक समारोह में, इन कलाकारों ने अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया ।

इस सांस्कृतिक यात्रा में अकादमी की ओर से श्री सुधाकर पाठक (सह संयोजक), श्री विनोद पाराशर और श्री रामसिंह मेहता ने अपनी भागेदारी निभाई । यात्रा के सह संयोजक श्री किशोर श्रीवास्तव बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं । वे वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ-साथ चित्रकार, गायक, अभिनेता और उद्देश्यपरक लघु फिल्मों के निर्माता भी हैं । दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी की रेलयत्रा के दोरान उन्होंने एक लघु फिल्म 'चौकसी' की शूटिंग की, जिसके कुछ दृश्य, अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक और सलाहकार सम्पादक श्री विनोद पाराशर पर भी फिल्माये गये । इस फिल्म में अन्य कलाकार हैं- सुश्री तूलिका सेठ,नमिता राकेश,आशा शर्मा,रीता अरोड़ा, श्री साहित्य कुमार चंचल, सत्य कुमार प्रेमी और जय सिंह आर्य ।

16 सितंबर, 2023 की रात्रि को लगभग 8:00 बजे सभी यात्री भूटान के फुन्त्सोलिंग शहर में पहुँच गई । इसी शहर से भूटान की सीमा प्रारंभ होती है । यहाँ के होटल गार्डन में सभी के ठहरने की व्यवस्था टूर ऑपरेटर श्रीमती तारा डीमाजी द्वारा की गई थी । रात्रि में भोजन के उपरांत परिचय सत्र में सभी यात्रियों ने अपना-अपना परिचय दिया । यात्रा के दूसरे दिन 17 सितंबर, 2023 को सभी सुबह नाश्ते के उपरांत, वहाँ से थिम्पू शहर के लिए चल दिए । रास्ते में आसपास के दृश्य देखते हुए शाम होते-होते थिम्पू शहर के कुबेर होटल में पहुँच गए । रात्रि में भोजन के उपरांत सांप्रदायिक सद्भाव और विश्व बंधुत्व की आवश्यकता जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई । इस सत्र का संचालन श्री सुधाकर पाठक एवं श्रीमती आशा शर्मा ने किया, जिसमें देश के कोने-कोने से आए विद्वानों ने अपने-अपने विचार रखें ।

18 सितम्बर, 2023 को थिम्पू शहर के आस-पास के दर्शनीय स्थलों का दौरा किया, जिनमें पुनाखा, दोचूला पास व बैठे हुए महात्मा बुद्ध का विश्व प्रसिद्ध मंदिर शामिल था । रात्रि में भोजन के उपरांत एक काव्य गोष्ठी का अभी आयोजन किया गया जिसमें 30 से अधिक कवि कवित्रियों ने अपनी-अपनी कविताओं का पाठ किया । काव्य गोष्ठी के इस सत्र का संचालन श्रीमती अंजू मोटवानी व श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया ।

19 सितंबर, 2023 इस सांस्कृतिक यात्रा का चौथा दिन था । थिम्पू शहर से विदा लेकर हम पारो शहर की ओर बढ़ चले । रास्ते में ऊँचे-ऊँचे पहाड़, पहाड़ों पर तैरते बादल, बहुत ही रमणीय दृश्य नजर आ रहे थे । पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक ही कल-कल बहती नदी नजर आई । हमने कुछ देर ठहर कर, वहाँ के प्राकृतिक नजारे को अपने मोबाइल के कमरे में कैद किया । शाम को पहुँच गए पारो शहर के नामसेछोलिंग रिसोर्ट में । बहुत ही सुंदर रिसोर्ट । रिसोर्ट के कमरों एवं गैलरी में भूटान की संस्कृति को प्रदर्शित करती पेंटिंग्स लगी हुई थी । रात्रि में भोजन के उपरांत हास्य व अभिनय सत्र प्रारंभ किया गया, जिसका संचालन श्रीमती रीता सिंह एवं पंडित साहित्य कुमार चंचल ने किया । इस सत्र में हास्य व्यंग्य की कविताओं के साथ-साथ, नृत्य-नाटिका व एकल अभिनय भी प्रस्तुत किया गया ।

भूटान यात्रा के पाँचवें दिन (20 सितम्बर, 2023) शाम के समय इस रिसॉर्ट के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया । समारोह के इस सत्र का संचालन श्रीमती नमिता राकेश और किशोर श्रीवास्तव ने किया । विशिष्ट अतिथि के रूप में सुधाकर पाठक, जय सिंह आर्य, रामचंद्र मोटवानी, विष्णु सक्सेना, एवं सुवर्णा जाधव मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न शहरों से पधारे कलाकारों व भूटान के स्थानीय कलाकारों ने अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें गायन, नृत्य, भाषण, योग, अभिनय व बाँसुरी वादन शामिल रहा । इस अवसर पर सभी सहभागी कलाकारों को सम्मानित भी किया गया ।

21 सितम्बर, 2023 को सुबह नाश्ता करने के उपरांत वापस शाम को भूटान के बॉर्डर पर पहुँच गए और उसके बाद 22 सितम्बर, 2023 को रात्रि 8:00 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठे और वापस अपने घर पहुँच गए ।

थोड़ी-बहुत परेशानियों के बावजूद बहुत ही शानदार और यादगार रही यह भूटान यात्रा ।

भूटान में 16-22 सितम्बर 2023 तक आयोजित

10वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया मैत्री सम्मेलन के चित्र

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की नि: शुल्क सभाकक्ष योजना

साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नि:शुल्क 'सभाकक्ष' उपलब्धता संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना :-

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक लोकार्पण, पुस्तक परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, विमर्श, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि के लिए अकादमी का 'सभाकक्ष' नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्व-वित्तपोषित संस्था है जो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अपने कार्यों को विस्तार देते हुए अकादमी ने रोहिणी, दिल्ली में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही 65-70 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित वातानुकूलित सभाकक्ष भी बनाया गया है। इस हॉल में मंच, पोडियम, माइक आदि की व्यवस्था है। अकादमी की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि अकादमी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्यालय स्थित सभागार को साहित्यिक आयोजनों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजन हेतु सामान्य नियमावली-

1. सभाकक्ष सीमित समयावधि के लिए पूर्णतया नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

2. सभाकक्ष की नि:शुल्क बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।

3. आयोजन के लिए लिखित रूप/ईमेल द्वारा, कार्यक्रम के विवरण सहित आवेदन करना होगा तथा आयोजन अवधि में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने की सहमति देनी होगी।

4. सभाकक्ष में केवल साहित्यिक आयोजनों की ही अनुमति होगी और अकादमी की केंद्रीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

नोट : नि:शुल्क सभाकक्ष की बुकिंग के लिए संपर्क करें :-

सुधाकर पाठक

अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
प्लॉट 19-20, पॉकेट बी-5, सेक्टर 7, रोहिणी,
(निकट रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110085

ईमेल: hindustanibhashabharati@gmail.com
Info@hindustanibhadhaakadami.com
मोबाइल- 9873556781 / 9968097816

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

आगामी आयोजन

'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा उत्सव के अन्तर्गत

'मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह'

अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातारण बनाने और भाषाई सौहार्द विकसित करने के उद्देश्य से 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली' के संयुक्त तत्त्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में बुधवार, 6 दिसम्बर, 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया जा रहा है ।

छात्रों को भारतीय भाषाओं की जानकारी देने, अन्य भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करने और भारतीय भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने पिछले वर्ष 2022 में भारतीय भाषाओं के महत्त्व पर जोर देने के लिए गठित भारतीय भाषा समिति की सिफारिशों के बाद प्रत्येक वर्ष 11 दिसम्बर को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को चिठ्ठी लिखकर निर्देश दिया था कि उत्तर-दक्षिण के सेतु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की जयंती के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा । सरकार द्वारा घोषित 'भारतीय भाषा दिवस' का यह दूसरा संस्करण है और इस दिवस की महत्ता और उद्देश्यों को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के कार्यों को रेखांकित किया है, साथ ही इस भव्य आयोजन में अकादमी को विशेष योगदान के रूप में जोड़ा है ।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी पिछले सात वर्षों से बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है । इस सम्मान समारोह में भारतीय भाषाओं में 10 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा दूत सम्मान', शत प्रतिशत (100%) अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' एवं उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया जाता है । अकादमी के इस महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार और उन्नयन करना है । प्रत्येक आयोजन में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है । अब तक के आयोजन में इस सम्मान समारोह ने शैक्षिक, साहित्यिक एवं अकादमिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है । अपनी मातृभाषा को लेकर समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है । जिस तरह से छात्रों, शिक्षकों, विद्यालयों, अभिभावकों ने इस तरह के आयोजन की सराहना की है उससे हमारा हौसला और बुलन्द हुआ है ।

गरिमा संजय

इस वर्ष सम्मान समारोह में दिल्ली प्रदेश के प्रतिष्ठित 212 विद्यालयों के 6194 मेधावी छात्रों के साथ-साथ भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी और उर्दू) के 605 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा । इस सूची में 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं में शत प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं । इसी तरह गुरुग्राम, हरियाणा के 56 विद्यालयों के 1816 मेधावी छात्र, जिनमें 75 बच्चों ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उनके साथ 128 शिक्षक भी सम्मिलित होंगे ।

इस वर्ष के आयोजन की विशिष्टता यह है कि इस वर्ष 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' हेतु सरकारी विद्यालयों की ओर से उत्साहजनक रूप में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं । भारतीय सेना के तीनों विभाग से भी प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं और इतनी बड़ी संख्या में (8000 से अधिक) छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति हो रही है जो अपने आप में अभूतपूर्व है । इस सम्मान समारोह से संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण इसकी गरिमा और भी बढ़ गई है ।

G20 भारत 2023 INDIA

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF
CULTURE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्मारिका

भारतीय भाषा दिवस

(11 दिसम्बर)

भारतीय भाषा उत्सव

मेधावी छात्र एवं
भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह

बुधवार, 6 दिसम्बर 2023

स्थान : तालकटोरा इंडोर स्टेडियम

तालकटोरा लेन, प्रेसिडेंट्स एस्टेट, नई दिल्ली-110004

आयोजक

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

RNI No. : DELHIN/2017/73904

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : 3675, राजा पार्क, रानी बाग, दिल्ली-110034

दूरभाष : 09873556781, 09968097816

E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
Website : www.hindustanibhashaakadami.com